

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग





वार्षिक रिपोर्ट

2020-21



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग

36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष : +91 11 23353503 • फेक्स: +91 11 23753923

<https://cercind.gov.in>



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने भारत में विद्युत क्षेत्र के सुधारों को सुकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आयोग और कर्मचारियों के कठिन प्रयासों और आयोग में प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के कारण, कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद, विद्युत क्षेत्र के लिए बाजार के विकास के संदर्भ में इस वर्ष को कई महत्वपूर्ण विनियामक विकासों द्वारा चिह्नित किया गया था।

भारत में विद्युत के लिए वास्तविक समय बाजार (आरटीएम) के लिए रूपरेखा जून, 2020 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के समीप ऊर्जा व्यापार के लिए एक संगठित मंच प्रदान करना था। आरटीएम आधे घंटे का बाजार है जो दिन में 48 बार चलता है। इससे अनुनुसूचित अंतरविनियम के माध्यम से ग्रिड पर रुझान के बिना संगठित बाजार मंच के माध्यम से भार और नवीकरणीय उत्पादन एकीकरण में भिन्नता को संभालने में सहायता मिलने की आशा है।

1 अप्रैल, 2019 से पोसोकों की सहायता से विद्युत के सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) पर एक मार्गदर्शी कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। इस मार्गदर्शी कार्यक्रम ने अनुकूलन की परिधि और इस प्रकार मौजूदा प्रणाली में बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना प्रणाली लागत को कम करने की संभावना का पता लगाने में सहायता की। तदनुसार, मार्गदर्शी कार्यक्रम को मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। पोसोकों की रिपोर्ट के अनुसार, मार्गदर्शी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अप्रैल, 2019 से अगस्त, 2021 तक की अवधि के बीच लगभग 63.7 करोड़ रुपये की मासिक बचत हुई है।

आयोग ने "प्रतिस्पर्धात्मक बोली थर्मल उत्पादनकारी संयंत्रों के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुसरण में विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र" और "बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से वृद्धि कारकों की संगणना और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किसी अन्य स्रोत से सशक्त विद्युत से पूरक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए भुगतान" पर चर्चा के दस्तावेज रिलीज़ किए।

आयोग ने बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से वृद्धि कारकों की संगणना और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किसी अन्य स्रोत से सशक्त विद्युत से पूरक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए भुगतान के लिए कार्यप्रणाली तैयार की।

पिछले दशक में भारतीय विद्युत बाजार में, मांग में वृद्धि, भारतीय विद्युत बाजार की बढ़ती गंभीरता और बाजार सहभागियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की बढ़ती आवश्यकता के साथ-साथ बाजार निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता जैसे परिवर्तन लाने वाले कई कारक रहे हैं। इसलिए, आयोग ने फरवरी, 2021 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टर्म अहेड वास्तविक डिलीवरी आधारित संविदाएं, ओटीसी प्लेटफॉर्म, अनुषंगी सेवा संविदाए बाजार कपलिंग के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध आदि कई उपबंध शामिल थे।

आयोग द्वारा जारी किया गया अन्य महत्वपूर्ण विनियम ए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 था। इस विनियम ने पारेषण प्रभारों के



केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग Central Electricity Regulatory Commission

घटकों का विवरण दिया, और प्रत्येक सप्ताह के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा अखिल भारतीय ऐसत आधार पर आईएसटीएस के लिए पारेषण हानियों के परिकलन के लिए तंत्र को परिभाषित किया।

आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 को भी अधिसूचित किया। इस विनियम का प्रमुख उद्देश्य अन्य कारोबारों के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग करने के लिए तंत्र को विनिर्दिष्ट करना है। इस विनियम का उपयोग पारेषण अनुज्ञितधारी द्वारा पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग के लिए किया जाना है।

आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तों के संबंध में भी विनियमों को अधिसूचित किया।

आयोग ने केविविआ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विनियामक फोरम (एफओआर), एक निगमित निकाय, की गतिविधियों को भी समर्थन प्रदान किया। एसईआरसी / जेर्झआरसी के अध्यक्ष एफओआर के सदस्य हैं। इसने अपने संसाधनों को प्रदान करके फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) और साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (एसएएफआईआर) को भी समर्थन प्रदान किया चूंकि यह इन संगठनों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है।

आयोग अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

पी. के. पुजारी

विषय सूची

1. आयोग	11
2. मिशन विवरण	15
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	19
4. पूर्व वर्ष : एक अवलोकन	29
5. विनियामक क्रियाविधियां और प्रक्रिया	35
6. वर्ष 2020-21 के दौरान गतिविधियां	39
7. उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	71
8. वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं	75
9. वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची	77
10. लेखा का वार्षिक विवरण	83
11. आयोग का मानव संसाधन	87
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	91
अनुबंध	95



संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एसीपी	क्षेत्रीय क्लीयरिंग कीमत
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एजीसी	स्वतः उत्पादन नियंत्रण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल / एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एटीएस	संबद्ध पारेषण प्रणाली
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीसीडी	बिलिंग, वसूली और संवितरण (प्रक्रिया)
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
ब्रिक्स	बाह्रील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीबीटीई	विद्युत का सीमा-पार व्यापार
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएम	मंत्री स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा (शिखर सम्मेलन)
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईजीआरई	बड़ी विद्युत प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद्
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डीईईपी	कुशल विद्युत कीमत डिस्कवरी

डीआईसी	पदनामित आईएसटीएस ग्राहक
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएसएम	विचलन व्यवस्थापन तंत्र या मांग पक्ष प्रबंधन
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
एचवीडीसी	उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनियम
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर-राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग



जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलोवाट घंटा
एलसी/एलओसी	साख—पत्र
एलडीसी	भार प्रेषण केन्द्र
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमबीईडी	बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण
एमसीपी	बाजार समाशोधन कीमत
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर—पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईपी	राष्ट्रीय विद्युत योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	उत्तर—पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर—पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर—पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्झो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति

एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओपेक्स	प्रचालन व्यय
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमआर	विद्युत बाजार विनियम
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनियम लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गेसीकृत लिकवीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
आरटीएम	वास्तविक समय बाजार



साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की टैरिफ अधिकरण
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार
उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचवीएसी	अल्ट्रा उच्च वोल्टेज वैकल्पिक करंट
यूआई	अननुसूचित अंतर्विनिमय
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
वीएटी	मूल्य वर्द्धित कर
वाईटीसी	वार्षिक पारेषण प्रभार

|
आयोग



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्ड का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्ड से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि 'राज्य विद्युत बोर्ड में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।'

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ के दायित्वों के दायरे में काफी विस्तार किया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन केविविआ में केवल टैरिफ अवधारण करने की शक्तियां निहित थीं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ को टैरिफ अवधारण करने की शक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य दायित्व सौंपे हैं। इनमें अंतर-राज्यिक पारेषण, अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान करने और परिणामतः अनुज्ञाप्ति को संशोधित, निलंबित और रद्द करने की शक्ति, प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करके और उनका अनुपालन सुनिश्चित करके अनुज्ञाप्तिधारियों को विनियमित करने की शक्तियां आदि शामिल हैं।

आयोग अर्ध-न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में नियुक्ति की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।



अधिदेश

जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:

- क. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;
- ख. खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;
- ग. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;
- घ. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;
- ङ. किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी और उनकी अंतर-राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;
- च. उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;
- छ. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;
- ज. ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;
- झ. अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;
- ञ. विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;
- ट. ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना:

- क. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;
- ख. विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;
- ग. विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन;
- घ. केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2

मिशन विवरण



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाठने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य—

- क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।
- ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- ग. अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।
- घ. अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।
- ड. विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।
- च. सभी पण्धारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।
- छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।
- ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

- क. सभी पण्धारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।
- ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।
- ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।
- घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पण्धारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पण्धारियों की आशाओं के अनुरूप हों।
- ड. विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।
- च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

3
अध्यक्ष एवं
सदस्यों का
संक्षिप्त विवरण



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission



श्री पी.के.पुजारी
अध्यक्ष
(1 फरवरी 2018 – कार्यरत)

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, श्री पी.के. पुजारी ने वर्ष 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें गुजरात केडर आबंटित किया गया। अपने कैरियर के दौरान, उन्हे गुजरात में विभिन्न विभागों / मंत्रालयों और साथ ही केंद्र सरकार में बिजली, वाणिज्यिक कर, वित्त और उद्योगों का कार्य सौंपा गया। वे अपने 36 वर्षों की सेवा के बाद, वर्ष 2017 में अपनी अधिवार्षिकी से पूर्व दो वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सचिव पद पर रहे।

वित्त और उद्योगों के क्षेत्र में कुछ मुख्य कार्य (i) वित्तीय संसाधन पूर्वानुमान, व्यय योजना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऋण एवं गारंटी प्रबंधन; (ii) बिक्री कर से मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) में संक्रमण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए वाणिज्यिक करों का नियंत्रण और इसे सक्षम बनाना एवं; (iii) औद्योगिक संपदाओं एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना और मार्केटिंग शामिल है।

उन्होंने निदेशक एवं सचिव के रूप में 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र में कार्य किया। निदेशक के रूप में वह उत्पादन एवं वितरण में निजी विद्युत कंपनियों की सहभागिता के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क के विकास में शामिल रहे। सचिव के रूप में अपनी अवधि के दौरान (2015–17), अधिकतम उत्पादन क्षमता तथा अंतर-राज्यिक पारेषण क्षमता को देश में जोड़ा गया जिसे एक राष्ट्र – एक ग्रिड – एक कीमत में परिणत किया गया।

सचिव के रूप में, उन्होंने कई दूरगामी पहल और नीतिगत परिवर्तनों में सहभागिता की। इनमें शेष 18,452 सभी गांव का विद्युतीकरण (1.4.2015 की स्थिति के अनुसार), डिस्कॉम के सतत प्रचालन और वित्तीय टर्म अराउण्ड के लिए 'उदय' का शुभारंभ, संशोधित टैरिफ नीति 2016, विद्युत संयंत्रों के लिए नई कोयला संबद्ध नीति, संशोधित राष्ट्रीय विद्युत योजना XIX विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, यूएमपीपी के लिए संशोधित बोली दस्तावेज सीजी केन्द्रों से राज्यों के लिए संशोधित विद्युत आवंटन फार्मूला, नई हाइड्रो विद्युत नीति का तैयार करना, 2019 तक वैश्विक घरेलू विद्युतीकरण के लिए नई नीति को तैयार करना, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए नीतिगत मार्ग निर्देश, कैप्टिव उत्पादकों के लिए संशोधित नियमावली, टैरिफ संरचना और टैरिफ श्रेणियों की तर्कसंगतता के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग Central Electricity Regulatory Commission

अपने कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्रॉस बोर्डर व्यापार के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। क्रॉस बोर्डर पारेषण लाइनों में पर्याप्त वृद्धि की गई। इससे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ विद्युत के व्यापार में वृद्धि संभव हुई। पहली बार म्यांमार के साथ विद्युत व्यापार आरंभ हुआ। श्रीलंका के साथ सबमैरिन केबल कनेक्शन के लिए वार्ता आरंभ हुई। उन्होंने इन देशों के साथ विद्युत व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

वे माराकेश में सीओपी 22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर करने से निकटता से संबद्ध रहे। उन्होंने दूसरे ब्रिक्स उर्जा मंत्री सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बीजिंग में 8वें क्लीन ऊर्जा मंत्री (सीईएम) सम्मेलन का नेतृत्व किया।

पुस्तकें पढ़ना, खेलकूद और संगीत सुनना उनकी रुचियों में शामिल है।



श्री आई. एस. झा
सदस्य
(21 जनवरी, 2019 – कार्यरत)

श्री आई. एस. झा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में जनवरी, 2019 से सदस्य हैं। अपने मौजूदा कार्य से पूर्व, उन्होंने वर्ष 2015 से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., राज्य-चलित पारेषण प्रयोज्यता, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे एनआईटी, जमशेदपुर से इलेक्ट्रीकल अभियंता, विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों, जैसे कि, उत्पादन, पारेषण, प्रणाली परिचालन, वितरण सहित ग्राहकों से संयोजकता तथा विनियामक पहलुओं में 38 वर्षों से अधिक का प्रचुर तथा विविध कार्य अनुभव रखने वाले विद्युत क्षेत्र के एक सुविख्यात व्यावसायिक हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनटीपीसी में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया तथा वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार संभाला। तदुपरांत, उन्होंने जनवरी, 2019 में केविविआ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। एनटीपीसी तथा पावरग्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अवधारणीकरण, योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन से जुड़े रहे।

उन्होंने देश में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का आरंभ किया। पारेषण क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ, श्री झा ने राष्ट्रीय ग्रिड के अवधारणीकरण तथा कार्यान्वयन, पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस-बार्डर अंतःसंबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर, लंबी दूरी के मल्टी-टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली 1200 किलोवाट यूएचवीएसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

वे तकनीक क्षमता एवं जनकेन्द्रित नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। वे बड़ी इलैक्ट्रिक प्रणाली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद् (सीआईजीआरई) – भारत के अध्यक्ष हैं, शीर्ष गवर्निंग बॉडी अर्थात् सीआईजीआरई – पेरिस और अन्य व्यवसायिक निकायों की संचालन समिति के सदस्य हैं। उनके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल / सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में 50 से अधिक तकनीकी पेपर, बड़ी मात्रा में लेख प्रकाशित / प्रस्तुत किए गए। वे "रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी" तथा "स्मार्ट ग्रिड फंडमेंटल एंड एप्लीकेशंस" नामक दो पुस्तकों में सहयोगी लेखक रहे हैं। श्री झा विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों के लिए पेटेंट्स हेतु भी प्रयासरत हैं।



श्री अरुण गोयल
सदस्य
(7 अप्रैल 2020 – कार्यरत)

श्री अरुण गोयल, अप्रैल ए 2020 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश कैडर के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अगस्त, 2019 में भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम कार्य, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) था। सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक उन्हें 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आस्तियों और देनदारियों के विभाजन पर सलाहकार समिति' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री अरुण गोयल को भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, विशेष रूप से विद्युत, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सुधारों, संरक्षण और संगठनों में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के जिज्ञासु हैं। वे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने और उसके बाद के कार्यान्वयनय वित्तीय आसूचना इकाई और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की स्थापना और भारत के जीएटीटी से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तन सहित भारत में प्रमुख सुधारों और परिवर्तनों का हिस्सा रहे हैं।

दिल्ली के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न चरणों के दौरान तीन कार्यकालों के साथ उन्हें विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है और उन्होंने प्रमुख सचिव (विद्युत); सीएमडी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड; सीएमडी, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, इंट्रप्रैथ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तत्कालीन दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के अतिरिक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विद्युत सुधारों को आगे बढ़ाने और स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत बोर्ड का विभाजन हुआ और वितरण का निजीकरण हुआ। उन्होंने 30 मई 2014 को विनाशकारी आंधी से उत्पन्न दिल्ली में बड़े विद्युत संकट को प्रभावी ढंग से संभाला और दिल्ली की विद्युत पारेषण प्रणाली के उन्नयन के लिए व्यापक निवेश योजना तैयार की। प्रधान सचिव (विद्युत), गोवा सरकार के रूप में, उन्होंने भारत सरकार और गोवा सरकार के बीच '24X7 पावर फॉर ऑल' एमओयू को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कैबिनेट सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक परियोजना मॉनिटरिंग समूह के प्रमुख के रूप में कई विद्युत पारेषण और उत्पादन परियोजनाओं सहित कई मेगा और रुकी हुई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्हें भारत सरकार में वित्त और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं में 13 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे विशेष सचिव, जीएसटी कांउसिलय मंत्री (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, टोक्यो; निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई—भारत; और उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के पदों पर कार्यरत रहे। वे लगभग दो वर्षों तक सचिव (वित्त) और अंडमान और निकोबार प्रशासन के उपराज्यपाल के सचिव भी रहे।

उनके द्वारा 'दिल्ली पावर सेक्टर रिफॉर्म्स' पर तैयार किए गए व्यष्टि अध्ययन ने मुंबई में इंडिया टेक फाउंडेशन इवेंट (2004) में प्रथम पुरस्कार जीता और एलबीएसएनए, मसूरी (2014) में आईएएस अधिकारियों के लिए फेस-V प्रशिक्षण के दौरान 'इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन' पर पॉलिसी पेपर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें डीसीई—डीटीयू एलुमनी एसोसिएशन (2018) द्वारा विशिष्ट एलुमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

श्री अरुण गोयल को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त है; वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबी, (पीजीडीएम); एचपी विश्वविद्यालय; से एमए (अर्थशास्त्र) और ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय, यूके से एमएससी (विकास प्रबंधन) हैं।



श्री प्रवास कुमार सिंह
सदस्य
(22 फरवरी, 2021 – कार्यरत)

श्री प्रवास कुमार सिंह, 22 फरवरी, 2021 से शपथ लेने के बाद सदस्य (विधि), केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग हैं। वे प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी थे और 32 वर्ष से अधिक समय तक बिहार और झारखंड की जिला न्यायपालिका में सेवा की। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में पोस्टिंग के साथ राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था, परंतु उन्होंने प्रासंगिक समय पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उक्त पद के लिए श्री सिंह की उम्मीदवारी की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा न्यायाधीशों और अन्य ने की थी।

इस कार्य में शामिल होने से पूर्व, वे जून 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि में झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य (विधि) के रूप में कार्यरत थे।

एच. डी. जैन कॉलेज आरा से अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक करने के बाद, उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

सिविल कोर्ट पटना में प्रारंभिक अभ्यास के बाद – उन्होंने वर्ष 1986 में बिहार सिविल (न्यायिक शाखा) सेवा में प्रवेश किया और छपरा, भागलपुर, मधुबनी, नालंदा और जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची और लोहरदगा के रूप में तैनात किया गया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री सिंह की नियुक्ति उल्लेखनीय थी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, विभिन्न दीवानी, आपराधिक और अन्य मामलों के अलावा, उनके द्वारा ऐतिहासिक निर्णय आरसी 20 (ए) / 96 पारित किया गया था – संसद के दो माननीय सदस्यों और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने निर्णय की शक्ति से अपनी सदस्यता खोई, यह देश में पहला निर्णय था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई। इस मामले में दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, कई एमएलए, कुछ आईएएस अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य उच्चाधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। शीघ्र निस्तारण के प्रयासों की सभी ने सराहना की। “इंडिया टुडे”, एक प्रमुख पत्रिका ने अपने अंग्रेजी / हिंदी दोनों संस्करणों में “जजेस ऑफ कैरेक्टर” शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। हिंदू एक अंग्रेजी दैनिक ने कई शब्दों में निर्णय की प्रशंसा की। निर्णय को कई मास तक झारखंड हाईकोर्ट की साइट पर अत्यधिक विशेष केस के रूप में लगाया गया।

विभिन्न जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कई लोक सेवा कार्यों का नेतृत्व किया गया। पीड़ित मुआवजे के संबंध में श्री सिंह द्वारा अपनाए गए एक अभिनव विचार की झारखंड उच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेश में सराहना की।

श्री सिंह ने कुछ समय के लिए झारखंड उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में भी कार्य किया।

कई स्थानों पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद – उन्हें झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (विधि)–सह-एल.आर. के रूप में तैनात किया गया। इस कार्यकाल के दौरान कई, अधिनियम, नियम, विनियम उनके सामने पुनरीक्षण के लिए लाए गए और वे सदैव राज्य में विधइ निर्माण का हिस्सा बने रहे।

श्री सिंह, झारखंड न्यायिक सेवा संघ के सचिव सर्वसम्मति से चुने गए और वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के कार्यकारी सदस्य हैं।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

4
पूर्व वर्ष
एक अवलोकन



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

4. पूर्व वर्ष : एक अवलोकन

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

आयोग को निर्णय के लिए बड़ी संख्या में याचिकाएँ प्राप्त होती हैं। इस वर्ष के दौरान, 542 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष की याचिकाएँ आगे ले जाने के साथ इनका योग 783 था। आयोग ने विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 277 याचिकाओं में आदेश पारित किए।

आदेशों के अतिरिक्त, आयोग ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर विनियम जारी किए, जो इस क्षेत्र के लिए निहितार्थ हैं। आयोग के कर्मचारियों ने भविष्य के लिए बाजार सुधारों के संबंध में चर्चा करने और हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए चर्चा पत्र भी प्रकाशित किए।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021

आयोग ने 15 फरवरी 2021 को विद्युत क्षेत्र में विकास के साथ तालमेल रखते हुए, विद्युत बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य एक व्यापक बाजार संरचना के निर्माण में मदद करना और विद्युत बाजारों में सभी प्रकार के संभावित उत्पादों के संव्यवहार, निष्पादन और संविदाओं को सक्षम करना है। इन विनियमों में लंबी अवधि वाले टर्म अहेड भौतिक डिलीवरी आधारित संविदाओं, अनुषंगी सेवा संविदाओं के आरंभ के लिए व्यवस्था की गई। ओटीसी प्लेटफॉर्म की संकल्पना का आरंभ किया गया जहाँ विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच ओटीसी

संविदाओं का संव्यवहार सीधे या व्यापार अनुज्ञितधारी के माध्यम से किया जाएगा। इन विनियमों ने डे-अहेड बाजार या वास्तविक समय बाजार के लिए एकसमान बाजार किलयरिंग कीमत को खोजने के उद्देश्य से पावर एक्सचेंजों के बीच बाजार कपलिंग की संकल्पना को भी आरंभ किया।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020:

केविविआ ने दिनांक 23.06.2020 को आरई स्रोतों के लिए टैरिफ विनियम अधिसूचित किए। इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना है। ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होते हैं जहां उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई के लिए टैरिफ, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, और अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धाराओं 79(1) (क) और (ख) के अधीन शामिल है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020:

आयोग ने दिनांक 4.5.2020 की अधिसूचना सं. एल-1 / 250 / 2019 / केविविआ द्वारा मौजूदा शेयरिंग विनियम 2010 के अधिक्रमण में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग), 2020 को अधिसूचित किया। विनियम दिनांक 1.11.2020 से प्रवृत्त हुआ।

केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:



- i. इन विनियमों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
 - क. नामित आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) द्वारा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के पारेषण प्रभारों की शेयरिंग की पद्धति।
 - ख. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण हानियों की शेयरिंग की पद्धति
 - ग. उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली में विलंब के मामले में पारेषण प्रभारों का व्यवहार
- ii. पारेषण प्रभारों के संघटक:
 - डीआईसी के लिए पारेषण प्रभारों के निम्नलिखित संघटक होंगे:
 - क. राष्ट्रीय संघटक (एनसी):

राष्ट्रीय संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को अखिल भारतीय अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालिक पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाएगा।
 - ख. प्रादेशिक संघटक (आरसी):

प्रादेशिक संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को प्रादेशिक अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः

उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालित पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

ग. ट्रांसफार्मर संघटक (टीसी):

इसमें संबंधित राज्य द्वारा विद्युत के आहरण के लिए नियोजित आईसीटी के वाईटीसी सम्मिलित होंगे और संबंधित राज्य में स्थित आदेशिती डीआईसी द्वारा दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुपात में शेयर किए जाएंगे।

घ. एसी प्रणाली संघटक (एसीसी):

इस संघटक में उपर्युक्त कवर किए गए के अलावा पारेषण प्रणाली का शेष वाईटीसी सम्मिलित होगा। इसे और आगे निम्नलिखित दो संघटकों में विभाजित किया गया है, अर्थात् उपयोग आधारित संघटक (एसी-यूबीसी) और शेष संघटक (एसी-बीसी)। एसी-यूबीसी, डीआईसी द्वारा पारेषण लाइनों के संबंधित उपयोग के संबंध में शेयर किए जाने वाले वाईटीसी के भाग के अनुरूप होगा और एसी-बीसी में एसी-यूबीसी के अवधारण के बाद एसीसी से शेष वाईटीसी सम्मिलित होगा और आदेशिती डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

- iii. आईएसटीएस के लिए पारेषण हानियों की संगणना, कार्यान्वयन एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा प्रत्येक सप्ताह के लिए अखिल भारतीय औसत के आधार पर की जाएगी।
- iv. कार्यान्वयन एजेंसी, बिलिंग माह के लिए आदेशिती डीआईसी और खुले एलटीए के साथ अंतःक्षेपण करने वाली डीआईसी द्वारा देय पारेषण प्रभारों को रूपये के संदर्भ में प्रकाशित करेगी।
- v. केन्द्रीय पारेषण कंपनी, पारेषण प्रणाली के लिए प्रथम बिल के पारेषण प्रभार एकत्र करेगी और इस एकत्र की गई राशि को अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके वार्षिक पारेषण प्रभारों के अनुपात में वितरित करेगी।

“अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना” के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक खुली पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 में 7वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24.07.2020 को “अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना” के लिए विस्तृत प्रक्रिया में ड्राफ्ट संशोधन प्रस्तावित किया और संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित उपबंधों पर दिनांक 16.8.2020 तक हितधारकों से टिप्पणियाँ/सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर, आयोग ने दिनांक 20.02.2021 की

अधिसूचना संख्या एल-1 / (3) / 2009—केविविआ के माध्यम से “अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना” के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया जारी की।

“अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना” के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- i. बैंक गारंटी से संबंधित उपबंधों में राहत दी गई है अर्थात् यदि आईएसटीएस सब-स्टेशन पर संबद्ध बे का निर्माण स्वयं स्टेज-II अनुदानग्राही द्वारा किया जा रहा है, तो कॉन-बीजी 1 के अनुरूप राशि अर्थात् रुपए 50 लाख ही लागू होंगे।
- ii. पूर्व-पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन प्रस्तुत कॉन-बीजी को रुपए 50 लाख के लिए कॉन-बीजी 1 और शेष राशि के लिए कॉन-बीजी 2 के रूप में माना जाएगा। यदि ऐसे आवेदकों की स्टेज-II संयोजकता को पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन रद्द करने की आवश्यकता होती है और यदि आईएसटीएस सब-स्टेशन पर संबद्ध बे का निर्माण स्वयं स्टेज-II अनुदानग्राही द्वारा किया जा रहा है, तो कॉन-बीजी 1 के अनुरूप राशि को जब्त कर लिया जाएगा और बीजी2 के रूप में मानी जाने वाली शेष राशि को इस प्रक्रिया के अधीन वापस कर दिया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार, यदि ऐसे आवेदकों की स्टेज-II संयोजकता को पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन रद्द करने की आवश्यकता होती है, और यदि



आईएसटीएस सब—स्टेशन पर संबद्ध बे का निर्माण आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है, तो कॉन—बीजी 1 के अनुरूप राशि और कॉन—बीजी 2 की राशि को इस प्रक्रिया के खंड 10.8 (क) के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा और पूर्व—पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन कॉन—बीजी के रूप में प्रस्तुत की गई कोई भी अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

- iv. केन्द्रीय पारेषण कंपनी, साप्ताहिक आधार पर मौजूदा या प्रस्तावित आईएसटीएस सब—स्टेशन पर बे के आबंटन की अद्यतन स्थिति (अन्य बातों के साथ—साथ बे—वार प्रदान की गई स्टेज—II संयोजकता की मात्रा, बे—वार शेष मात्रा जिसके लिए स्टेज—II संयोजकता प्रदान की जा सकती है) अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
- v. आईएसटीएस सबस्टेशन के साथ संयोजकता को बनाए रखते हुए, परियोजना के स्थान में परिवर्तन को संयोजकता विनियमों के विनियम 8(1) के प्रथम परंतुक के अधीन स्थान में भौतिक परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- vi. राउंड द क्लॉक हाइब्रिड परियोजना सहित नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन (नो) को लागू करने वाली इकाई, विद्युत की मात्रा, जिसके लिए एलओए प्रदान किया गया है या पीपीए हस्ताक्षरित

किया गया है, से कम की परियोजना की क्षमता के लिए समान एलओए या पीपीए के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए पृथक स्टेज—II संयोजकता हेतु आवेदन करने का पात्र होगी। इस प्रयोजन के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे प्रत्येक स्थान पर स्थान और क्षमता को, संयोजकता आवेदनों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- vii. स्टेज—II संयोजकता अनुदानग्राही (ग्राहियों) के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर और पारेषण अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से केन्द्रीय पारेषण कंपनी, संबंधित स्टेज—II संयोजकता अनुदानग्राही (ग्राहियों) के परामर्श के बाद, समान आईएसटीएस सब—स्टेशन के विभिन्न बे में स्टेज—II संयोजकता की पुनर्व्यवस्था या स्थानांतरण कर सकता है।
- viii. समर्पित पारेषण लाइन की शेयरिंग के लिए ऐसे आवेदकों के बीच विधिवत हस्ताक्षरित करार के साथ सामान्य बे पर स्टेज—II संयोजकता के लिए दो या अधिक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। स्टेज—II संयोजकता, समर्पित पारेषण लाइन में क्षमता की उपलब्धता के अध्याधीन ऐसे आवेदकों को प्रदान की गई जाएगी।

5
विनियामक क्रियाविधियां
एवं प्रक्रिया



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

5. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:


- i. विनियमों को अधिसूचित करता है
- ii. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
 - क. टैरिफ का अवधारणा करने
 - ख. अनुज्ञाप्ति जारी करने
 - ग. प्रकीर्ण मामले

क विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर की तैयारी किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृद्ध स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके

बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पण्डारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पण्डारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।



चित्रः विनियम के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के प्रवाह का चित्र

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :

- I. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
- II. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और

अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञाप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

- I. विविध याचिकाएं



II. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञाप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशेष अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पण्डारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात् 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो

गया) के अधिनियमन के पश्चात्, आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तें और वर्ष 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए फरवरी, 2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य-वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली-वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया जो 1.4.2019 से 31.03.2024 तक प्रभावी है।

टैरिफ समय-समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूँजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंतरिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूँजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूँजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6
वर्ष 2020–21 के
दौरान गतिविधियां



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

6. वर्ष 2020-21 के दौरान गतिविधियाँ

विधिक कार्यवाही

वर्ष 2020-21 के दौरान, 542 याचिकाएं दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, 783 याचिकाओं को पिछले वर्ष से आगे लाया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1325 हुई। इनमें से, 277 याचिकाओं का निपटारा वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत स्थिति अनुबंध—I में दी गई है।

वर्ष 2020-21 में जारी प्रमुख निर्णय / विनियम

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य, अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग हेतु क्रियाविधि विनिर्दिष्ट करना है। इस विनियम का उपयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त विनियम से पूर्व, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2007 प्रभाव में था। आयोग ने इस विनियम को पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग के विनियामक ढांचे को संशोधित करने के लिए एकत्रित अनुभव के आधार पर उपबंधों की समीक्षा करने के बाद निरस्त किया है। यह विनियम, 17 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

2. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और

हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020:

आयोग ने दिनांक 4.5.2020 की अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/केविविआ द्वारा मौजूदा शेयरिंग विनियम 2010 के अधिक्रमण में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग), 2020 को अधिसूचित किया। विनियम दिनांक 1.11.2020 से प्रवृत्त हुआ।

विनियमों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

नामित आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) द्वारा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के पारेषण प्रभारों की शेयरिंग की पद्धति।

अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण हानियों की शेयरिंग की पद्धति

उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली में विलंब के मामले में पारेषण प्रभारों का व्यवहार

पारेषण प्रभारों के संघटक: डीआईसी के लिए पारेषण प्रभारों के निम्नलिखित संघटक होंगे:

- I. राष्ट्रीय संघटक (एनसी): राष्ट्रीय संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को अखिल भारतीय अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालिक पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाता है।
- II. प्रादेशिक संघटक (आरसी): प्रादेशिक संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को प्रादेशिक अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालिक पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाता है।



केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग Central Electricity Regulatory Commission

- III. ट्रांसफार्मर संघटक (टीसी):** इसमें संबंधित राज्य द्वारा विद्युत के आहरण के लिए नियोजित आईसीटी के वाईटीसी समिलित होते हैं और संबंधित राज्य में स्थित आदेशित डीआईसी द्वारा दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुपात में शेयर किए जाते हैं।
- IV. एसी प्रणाली संघटक (एसीसी):** इस संघटक में उपर्युक्त कवर किए गए के अलावा पारेषण प्रणाली का शेष वाईटीसी समिलित होते हैं। इसे और आगे निम्नलिखित दो संघटकों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् उपयोग आधारित संघटक (एसी-यूबीसी) और शेष संघटक (एसी-बीसी)। एसी-यूबीसी, डीआईसी द्वारा पारेषण लाईनों के संबंधित उपयोग के संबंध में शेयर किए जाने वाले वाईटीसी के भाग के अनुरूप होते हैं और एसी-बीसी में एसी-यूबीसी के अवधारण के बाद एसीसी से शेष वाईटीसी समिलित होता है और आदेशित डीआईसी और अंतःक्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच के अनुपात में शेयर किया जाता है।

आईएसटीएस के लिए पारेषण हानियों की संगणना, कार्यान्वयन एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा प्रत्येक सप्ताह के लिए अखिल भारतीय औसत के आधार पर की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी, बिलिंग माह के लिए आदेशित डीआईसी और खुले एलटीए के साथ अंतःक्षेपण करने वाली डीआईसी द्वारा देय पारेषण प्रभारों को रूपये के संदर्भ में प्रकाशित करेगी। केंद्रीय पारेषण कंपनी, पारेषण प्रणाली के लिए प्रथम बिल के पारेषण प्रभार एकत्र करेगी और इस एकत्र की गई राशि को अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्तिधारियों और अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्तिधारियों को उनके वार्षिक पारेषण प्रभारों के अनुपात में वितरित करेगी।

3. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020:

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के खंड (2) के उप-खंड (ध) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के बाद, दिनांक 23.06.2020 को इस विनियम को अधिसूचित किया। ये विनियम दिनांक 01.07.2020 से लागू हुआ। इन विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अवधारण करने के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना था।

ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होते हैं जहां ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई को, अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धारा 79(1)(क) और (ख) के अधीन कवर किया गया है। विनियमों की नियंत्रण अवधि दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2023 तक होगी। नियंत्रण अवधि के दौरान आरंभ की गई नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ, एसी आरई परियोजना की टैरिफ अवधि के लिए वैध रहेगा जो उनके उपयोगी जीवन के समान होगा। ये विनियम आरई परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी मानदंडों सहित मानदंडों को विनिर्दिष्ट करते हैं।

4. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020:

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया।

आयोग ने केविविआ (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य

संबद्ध मामले) विनियम, 2020 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप केविविआ (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के विनियम 7 के खंड (3) में संशोधन प्रस्तावित किया।

5. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (ध) के संदर्भ में टैरिफ निबंधन व शर्तें तैयार करना अधिदेशित है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के खंड (2) के उप-खंड (ध) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग ने 7 मार्च, 2020 को मूल विनियमों अर्थात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया था। तदुपरांत, आयोग ने 25 अगस्त, 2020 को मूल विनियमों, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 में संशोधन को अनुमोदित किया।

इन विनियमों में संशोधन, प्रमुख रूप से दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले कोयले या लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन विद्युत संयंत्रों में संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली पर लागू प्रतिपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए पद्धति की व्यवस्था करना है। इन विनियमों में कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों में संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए वित्तीय मानकों, तकनीकी मानकों और प्रतिपूरक टैरिफ की वसूली के ढंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, कुछ संशोधन शामिल किए गए हैं जो उत्पादन स्टेशनों और पारेषण प्रणाली पर लागू होते हैं। उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के प्रतिपूरक टैरिफ का अवधारण, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के आरंभ होने से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक किया जाएगा।

विद्युत बाजार: व्यापार और पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

आयोग ने जनवरी, 2020 में विद्युत व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 अधिसूचित किया था। 31 मार्च, 2021 को आयोग द्वारा विनियमित 33 कारोबार अनुज्ञप्तिधारी थे। इनमें से, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, लगभग 25 अनुज्ञप्तिधारियों ने या तो अल्पकालिक या अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों व्यापार किए, जबकि लगभग 3 अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत का केवल दीर्घकालिक व्यापार किया।

आयोग ने, पूर्वकथित विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया कि एक वर्ष तक अल्पकालिक संविदाओं और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संविदाओं के अधीन, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी शून्य (0.0) पैसे/किलोवाट घंटा से कम नहीं और सात (7.0) पैसे/किलोवाट घंटा से अधिक नहीं का मार्जिन प्रभारित करेंगे। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल होंगे। व्यापार मार्जिन को विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

पावर एक्सचेंज

भारत में दो पावर एक्सचेंज अर्थात् मैसर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. (आईईएक्स), नई दिल्ली और पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल), मुंबई प्रचालन में हैं। आईईएक्स और पीएक्सआईएल ने क्रमशः 27 जून, 2008 और 22 अक्टूबर, 2008 को प्रचालन आरंभ किया था।

आयोग ने फरवरी, 2021 में विद्युत क्षेत्र में विकास की गति बनाए रखते हुए, विद्युत बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इस विनियम का उद्देश्य, व्यापक बाजार संरचना के निर्माण में सहायता और विद्युत बाजार में संभव उत्पादों के सभी प्रकारों के



संव्यवहार, निष्पादन और संविदाओं को सक्षम करना है।

एक बेहतर वास्तविक समय ऊर्जा प्रबंधन के लिए, आयोग ने 12 दिसम्बर, 2019 को “विद्युत के वास्तविक समय बाजार के लिए ढांचा” को औपचारिक रूप दिया और केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम, 2010, केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 और केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड), विनियम, 2010 में आवश्यक संशोधनों को अधिसूचित किया। दिनांक 29 मई, 2020 के आदेशों द्वारा आयोग ने, दोनों पावर एक्सचेंजों में वास्तविक समय बाजार (आरटीएम) के आरंभ को अनुमोदित किया। आयोग के आदेश को दोनों पावर एक्सचेंजों में कार्यान्वित किया गया है और 1 जून, 2020 से वास्तविक समय बाजार प्रचालन में है।

आयोग ने, दिनांक 17 अगस्त, 2020 और 19 मार्च, 2021 के अपने आदेशों द्वारा क्रमशः आईईएक्स और पीएक्सआईएल में ग्रीन टर्म अहेड बाजार (जीटीएएम) के आरंभ के लिए अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा। आयोग के आदेश को दोनों पावर एक्सचेंजों द्वारा कार्यान्वित किया गया है और ग्रीन टर्म अहेड बाजार दिनांक 21 अगस्त 2020 से आईईएक्स में और दिनांक 24 मार्च,

2021 से पीएक्सआईएल में प्रचालन में है।

बाजार मॉनिटरिंग सेल

केविविआ का बाजार मॉनिटरिंग सेल (एमएमसी) ‘विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट’ प्रकाशित करता है जो कि अगस्त, 2008 से केविविआ की वेबसाइट पर नियमित रूप से पोस्ट की जा रही है। ‘विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों’ से व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार), पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (पूर्व में अननुसूचित इंटरचेंज) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत अभिप्रेत है। रिपोर्ट का केन्द्र-बिंदु (i) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा एवं कीमत के संबंध में सूचना प्रदान करना; (ii) बाजार के सहभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना; (iii) पावर बाजारों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की मात्रा एवं कीमत के संबंध में सूचना प्रदान करना और (v) हितधारकों को सुसंगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

एमएमसी, अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन भी करता है। रिपोर्ट में अल्पकालिक संव्यवहारों की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा (विलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत	पावर एक्सचेंजों (आईईएक्स एवं पीएक्सआईएल) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत	डीएसएम की मात्रा	वितरण कंपनियों के बीच सीधे संव्यवहारित विद्युत
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77
2018-19	47.32	53.52	25.13	19.23
2019-20	29.95	56.45	22.59	28.17
2020-21	26.67	79.59	22.91	16.84

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा
2010-11	81.56	852.35	9.6%
2011-12	94.51	927.75	10.2%
2012-13	98.94	969.29	10.2%
2013-14	104.64	1026.34	10.2%
2014-15	98.99	1110.07	8.9%
2015-16	115.23	1172.78	9.8%
2016-17	119.23	1241.70	9.6%
2017-18	127.62	1308.15	9.8%
2018-19	145.20	1375.86	10.6%
2019-20	137.16	1390.93	9.9%
2020-21	146.01	1380.06*	10.6%

*अनंतिम

कुल उत्पादन का अभिप्राय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित, भारत में सकल उत्पादन है।

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत और डीएसएम की कीमत (₹ / किलोवाट घंटा)			
वर्ष	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत (डीएएम+ डीएएम+आरटीईएम+ जीटीईएम)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की औसत कीमत
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03
2018-19	4.28	4.26	2.68
2019-20	4.51	3.24	2.85
2020-21	3.47	2.98	2.82



बोली मूल्यांकन और भुगतान के उद्देश्य से वृद्धि कारकों और अन्य मानदंडों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी “वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ के अवधारण के लिए दिशानिर्देश” के अनुसार, आयोग से, बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन से प्रत्येक छह मास में विविध वृद्धि कारकों और अन्य मानदंडों को अधिसूचित करना अपेक्षित है। तदनुसार, आयोग ने दिनांक 13.05.2020 और 12.10.2020 की अधिसूचना द्वारा उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मानदंडों को अधिसूचित किया और दिनांक 27.03.2020 और 05.10.2020 की अधिसूचना द्वारा पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मानदंडों को अधिसूचित किया।

आयोग ने अपनी स्वप्रेरणा से दिनांक 18.10.2019 के आदेश द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए लागू समुचित कोयला कीमत सूचकांक के संकलन के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित किया। इस सूचकांक का उपयोग दिनांक 01.10.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद हेतु भुगतान के लिए घरेलू कोयले की वृद्धि दर की संगणना के लिए किया जाता है।

थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग ने, अधिनियम की धारा 62 के अधीन एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसीएल), नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), टिहरी हाइड्रो विकास निगम (टीएचडीसी), दामोदर वैली

कॉर्पोरेशन (डीवीसी), निजी क्षेत्र आईपीपी के साथ-साथ सीएसपीयू सहित संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादनकारी कंपनियों के अंतर-राज्यिक उत्पादनकारी स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित करता है।

नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)

दिनांक 31.3.2021 को एनटीपीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता, जो कि केविविआ के अवलोकन के अधीन है, 56567.23 मेगावाट है जिसमें कोयले (पिट और गैर-पिट हेड) पर 46210 मेगावाट, प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट और एनटीपीसी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं प्रचालित कोयले एवं गैस दोनों पर 6340 मेगावाट सहित शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनटीपीसी ने 2920 मेगावाट (660 मेगावाट की खारगोन यूनिट#2; 800 मेगावाट की लारा एसटीपीएस यूनिट#2; 800 मेगावाट की गदरवाड़ा एसटीपीएस यूनिट#2 और 660 मेगावाट की मेजा यूनिट#2 का आरंभ) की कुल क्षमता को जोड़ा।

दिनांक 31.03.2021 को, एनटीपीसी के कुल 44 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट एवं गैर-पिट हेड), 7 गैस आधारित थर्मल स्टेशन और 7 संयुक्त उद्यम वाले कोयले एवं गैस स्टेशन हैं। इन स्टेशनों के लिए, वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाएं और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारण की याचिकाएं, वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग के विचाराधीन थीं। दिनांक 31.03.2021 को एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता और प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-II में दी गई है।



एनटीपीसी उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ़:

वर्ष 2014–19 की टैरिफ़ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण हेतु एनटीपीसी उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ़ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)

दिनांक 31.3.2021 को डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 6960 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, डीवीसी ने कोई नई क्षमता नहीं जोड़ी है। वर्ष 2019–20 के दौरान, 130 मेगावाट का चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन, दिनांक 1.4.2020 को सेवानिवृत्त हुआ। दिनांक 31.3.2021 को डीवीसी की संस्थापित क्षमता और प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-III में दी गई है।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ़:

वर्ष 2014–19 की टैरिफ़ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की

अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण हेतु दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ़ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको)

दिनांक 31.03.2021 को नीपको लिमिटेड के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता, थर्मल आधारित उत्पादन स्टेशनों की 527 मेगावाट है। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-IV में दी गई है।

नीपको उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ़:

वर्ष 2014–19 की टैरिफ़ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण हेतु नीपको उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ़ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लि. (एनएलसी)



दिनांक 31.03.2021 को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लि. के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 4640 मेगावाट है। दिनांक 10.2.2021 को नेवेली नवीन थर्मल पावर परियोजना (एनएनटीपीपी) के 500 मेगावाट के द्वितीय इकाई के रूप में आरंभ किया गया था जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नई क्षमता के रूप में जोड़ा गया। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) अनुबंध—V में दी गई है।

एनएलसी उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ़:

वर्ष 2014–19 की टैरिफ़ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण हेतु एनएलसी उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ़ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

प्रगति विद्युत निगम लि. उत्पादन स्टेशनों के लिए टैरिफ़:

वर्ष 2014–19 की टैरिफ़ अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण हेतु पीपीसीएल उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ़ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

एनटीपीसी, डीवीसी, नीपको, ओटीपीसीएल और एनएलसीआईएल, एमपीएल, पीपीसीएल, जीएमआर, यूपीसीएल जैसे थर्मल विद्युत स्टेशनों के लिए दिनांक 31.03.2020 को ऊर्जा प्रभार, अनुबंध VI के रूप में संलग्न हैं।

टॉरेंट इंडिया लिमिटेड के उत्पादन स्टेशन

वर्ष 2020–2021 के दौरान, टॉरेंट इंडिया लिमिटेड के निम्नलिखित स्टेशनों के लिए आयोग ने टैरिफ़ का अनुमोदन किया:—

- (i) याचिका सं. 270 / जीटी / 2019:
सुजेन मेगा पावर प्लांट, (1147.5 मेगावाट) के वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ़ का अंतिम ट्रूइंग अप

आयोग ने दिनांक 13.07.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए सुजेन मेगा पावर प्लांट (1147.5 मेगावाट) के टैरिफ़ का अनुमोदन किया।

- (ii) याचिका सं. 272 / जीटी / 2019:
यूनोसुजेन पावर प्लांट (382.5 मेगावाट) के वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ़ का अंतिम ट्रूइंग अप

आयोग ने दिनांक 20.07.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए यूनोसुजेन पावर प्लांट (382.5 मेगावाट) के टैरिफ़ का अनुमोदन किया।

- (iii) याचिका सं. 268 / जीटी / 2019:
यूनोसुजेन पावर प्लांट (382.5 मेगावाट) के वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण

आयोग ने दिनांक 20.08.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए यूनोसुजेन पावर प्लांट (382.5 मेगावाट) के टैरिफ़ का अनुमोदन किया।

- (iv) याचिका सं. 259 / जीटी / 2019:
सुजेन पावर प्लांट (1147.5 मेगावाट) के वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ़ अवधारण

आयोग ने दिनांक 20.08.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए सुजेन पावर प्लांट (1147.5 मेगावाट) के टैरिफ़ का अनुमोदन किया।

रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राइवेड लिमिटेड के उत्पादन स्टेशन

याचिका सं. 434 / जीटी / 2020: रत्नागिरी पावर स्टेशन (1967.08 मेगावाट) के वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ़ का अंतिम ट्रूइंग अप। आयोग ने दिनांक 20.07.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए रत्नागिरी पावर स्टेशन (1967.08 मेगावाट) के टैरिफ़ का अनुमोदन किया।



थर्मल उत्पादन के अन्य मामले जिन पर आयोग द्वारा विचार किया गया (विविध याचिकाएं)

446 / एमपी / 2019: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और दिनांक 07.08.2007 की विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2(ख) और उत्सर्जन के संबंध में पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के अनुपालन में विविध उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संस्थापन के कारण अतिरिक्त पूंजी और प्रचालन व्यय का अननंतिम अनुमोदन मांगने के लिए याचिका संख्या 133 / एमपी / 2016 में माननीय आयोग के दिनांक 08.10.2018 के इस आदेश के अधीन याचिका। 133 / एमपी / 2016 में दिनांक 8.10.2018 के आदेश में आयोग के निर्देश के अनुसार SO₂ के पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एफजीडी प्रणाली के संस्थापन हेतु सासन पावर लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले पूंजी व्यय का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन मांगने के लिए तत्काल याचिका दायर की गई है।

169 / एमपी / 2019: केरल राज्य विद्युत बोर्ड

लिमिटेड को 115 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दिनांक 31.12.2014 के विद्युत आपूर्ति करार और विद्युत की 100 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.12.2014 के विद्युत आपूर्ति करार के कारण न्यायनिर्णयन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका। झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा वर्तमान याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस घोषणा की मांग करते हुए कि याचिकाकर्ता के उत्पादन स्टेशन के पास पीएसए दिनांक 31.12.2014 के अधीन विद्युत की आपूर्ति आरंभ होने के बाद से नियत प्रभारों के भुगतान के लिए 2347.9 किलोकैलोरी / किलोवाट घंटा का निवल एसएचआर है और प्रतिवादी, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) को क्रमशः 115 मेगावाट और 100 मेगावाट की आपूर्ति के लिए दिनांक 31.12.2014 और दिनांक 26.12.2014 के विद्युत आपूर्ति करारों (पीएसए) के अधीन विद्युत की आपूर्ति आरंभ होने के बाद से 2465.2 किलोकैलोरी / किलोवाट घंटा का निवल एसएचआर पर ईंधन प्रभार की वसूली की अनुमति के लिए दायर की गई थी।



इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को दोनों पीएसए के अधीन विद्युत आपूर्ति के आरंभ से पुनरीक्षित बीजकों को जारी करने और प्रतिवादी को उसी गैर-अनुपालन, जिसके परिणामस्वरूप एलपीएस हुआ, के जारी होने की तारीख के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

168 / एमपी / 2019: याचिका सं. 77 / एमपी / 2016 में दिनांक 22.04.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के खंड 4.7 और माननीय आयोग के दिनांक 17.09.2018 के इस आदेश के अधीन याचिका। याचिकाकर्ता, कोस्टल गुजरात पावर लि. (सीजीपीएल) ने, याचिका सं. 77 / एमपी / 2016 में आयोग द्वारा दिनांक 17.9.2018 के आदेश में निर्देशानुसार ₹.2715 करोड़ के कुल पूँजी व्यय और किए जाने वाले आवर्ती वार्षिक प्रचालन व्यय के अनुमोदन हेतु और पुनरीक्षित टैरिफ के अनुमोदन हेतु और एमओईएफसीसी अधिसूचना के कारण लागतों में अतिरिक्त निवेश/वृद्धि को पूरा करने के लिए टैरिफ में समायोजन को संगणित करने के लिए समुचित मानकों को निर्धारित, तैयार और लागू करें।

119 / एमपी / 2019: बद्रपुर थर्मल विद्युत स्टेशन की स्टेज-II को प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) और धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका। आयोग के पास तत्काल याचिका यह घोषणा करने के लिए दायर की गई कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा याचिकाकर्ता को नई दिल्ली में गंभीर परिवेशी वायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बद्रपुर थर्मल विद्युत स्टेशन की स्टेज-II (2 x 210 मेगावाट) इकाइयों का प्रचालन न करने के संबंध में जारी किए गया दिनांक 03.10.2017 का निर्देश, विधि में परिवर्तन की घटना है और अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता दिनांक 17.10.2017 और 28.02.2018

की बीच की अवधि के लिए प्रतिवादी सं. 1 से लेकर प्रतिवादी सं. 5 से विधि के अनुसार समुचित क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए हकदार है।

382 / एमपी / 2018: याचिकाकर्ता, एनटीपीसी के पांच (5) गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए विनियम 13.3 के अधीन परिवर्ती प्रभारों की गंभीर कम-वसूली के पहलुओं के संबंध में शिथिल करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति को प्रयोग करने की मांग करने हेतु केविविआ (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 के विनियम 15 और 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79 के अधीन याचिका। यह याचिका, याचिकाकर्ता एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा उसके पांच (5) गैस आधारित स्टेशनों अर्थात् अंता, औरिया, दादरी, गांधार और कवास के मामले में, एएसओ विनियमों के विनियम 15.1 के आवेदन द्वारा विनियम 13.3 के उपबंधों को शिथिल करने के निर्देश की मांग के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि जब आरएलएनजी पावर अनुसूचित की जाती है, तो अनुसूची की सीमा तक परिवर्ती प्रभारों का ट्रॉइंग अप किया जाना चाहिए। आयोग ने दिनांक 27.07.2020 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विनियम 15 के आवेदन द्वारा विनियम 13.3 के उपबंधों में मांगी गई छूट और आरएलएनजी के लिए परिवर्ती प्रभारों के ट्रॉइंग अप के लिए सहमति नहीं दी जा सकती है।

404 / एमपी / 2019: याचिकाकर्ता और खरीददारों के बीच निष्पादित दिनांक 22.04.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन याचिका में आयोग ने दिनांक 25.01.2021 को आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड ने, मुंद्रा अल्ट्रा मेंगा विद्युत परियोजना के संबंध में प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन की घटनाओं के अधीन कुछ राहतों की मांग करने के लिए पीपीए के अनुच्छेद 13 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79(1)(ख) और धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका दायर की।



186 / एमपी / 2018:

प्रतिवादियों, टीएसएसपीडीसीएल और टीएसएनपीडीसीएल द्वारा, दिनांक 31.7.2021 के विद्युत क्रय करार के निबंधनों के विपरीत, क्षमता प्रभारों, प्रोत्साहन, ऊर्जा प्रभारों, पारेषण प्रभारों, देर से संदाय अधिभार के लिए गलत ढंग से काटी गई राशि की वापसी के लिए दिशा-निर्देश मांगने हेतु याचिका। याचिकाकर्ता, केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड ने प्रतिवादियों, तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी और तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा, दिनांक 31.7.2021 के विद्युत क्रय करार के निबंधनों के विपरीत, क्षमता प्रभारों, प्रोत्साहन, ऊर्जा प्रभारों, पारेषण प्रभारों, देर से संदाय अधिभार के लिए गलत ढंग से काटी गई राशि की वापसी के लिए दिशा-निर्देश मांगे। आयोग ने दिनांक 25.01.2021 को आदेश जारी किया।

292 / एमपी / 2019: याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच निष्पादित दिनांक 25.3.2011 के

विद्युत क्रय करार और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच निष्पादित दिनांक 5.1.2011 के विद्युत क्रय आपूर्ति करार के अधीन आयोग द्वारा स्वीकृत विधि में परिवर्तन घटनाओं के संबंध में वहन लागत की क्षतिपूर्ति मांगते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन याचिका। याचिकाकर्ता, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने याचिका संख्या 255 / एमपी / 2017 में दिनांक 30.04.2019 के आयोग के आदेश में उसके द्वारा स्वीकृत विधि में परिवर्तन के दावों के संबंध में वहन लागत की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने आदेश जारी किया और निर्देश दिया कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता, निधि (लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित) की व्यवस्था के लिए याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई वास्तविक ब्याज दर या लागू केविविआ टैरिफ विनियमों के अनुसार कार्यशील पूँजी पर ब्याज दर या पीपीए के अनुसार एलपीएस, जो भी सबसे कम हो, पर वहन लागत के लिए हकदार होगा। याचिकाकर्ता



को पीपीए/पीएसए के अनुसार निर्धारित तारीख के भीतर भुगतान किया जाएगा, और ऐसा न करने पर पीपीए/पीएसए के विलंबित भुगतान अधिभार के उपबंध लागू होंगे।

260 / एमपी / 2019: याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच निष्पादित दिनांक 25.3.2011 के विद्युत क्रय करार (पीपीए) और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच निष्पादित दिनांक 5.1.2011 के विद्युत आपूर्ति करार (पीएसए) के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन याचिका। याचिकाकर्ता, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को याचिकाकर्ता के उत्पादन स्टेशन से विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन की विभिन्न घटनाओं के अधीन राहत के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत के बीच निष्पादित दिनांक 5.1.2011 के विद्युत विक्रय करार (पीएसए) के अनुच्छेद 10 और पीटीसी और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित दिनांक 25.3.2011 के विद्युत क्रय करार (पीपीए) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) और 79(1)(च) के अधीन वर्तमान याचिका दायर की। आयोग ने इस याचिका में दिनांक 31.01.2021 को आदेश जारी किया।

405 / एमपी / 2019: फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण और फ्लाई ऐश और वहन लागत के परिवहन के लिए प्रभारों के उद्ग्रहण के कारण वित्तीय प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए समुचित समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक क्रियापद्धति विकसित करने हेतु (क) जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच दिनांक 9.11.2011 के पीपीए के अनुच्छेद 10 और (ख) पीटीसी इंडिया लि. और

हरियाणा वितरण कंपनियों के बीच बैंक टू बैंक पीपीए के साथ जीएमआर एनर्जी लिमिटेड (जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड की ओर से) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 12.3.2009 के पीपीए के अनुच्छेद 13 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली ('प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देश') के माध्यम से विद्युत की खरीद को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढांचे के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका। याचिकाकर्ताओं, जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड और जीएमआर एनर्जी लिमिटेड, ने, फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए किए गए व्यय के कारण क्षतिपूर्ति के संबंध में अवधारण और फ्लाई ऐश के परिवहन और उसके साथ वहन लागत के लिए जीकेईएल द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए और प्रतिवादियों को उसका भुगतान करने के निर्देश देने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 25.1.2016 की अधिसूचना के अनुसरण में फ्लाई ऐश के परिवहन पर किए गए भावी व्यय की वसूली के लिए जीकेईएल को सक्षम बनाने हेतु तंत्र की व्युत्पत्ति की मांग करने के लिए संयुक्त रूप से वर्तमान याचिका दायर की। आयोग ने इस याचिका में दिनांक 22.03.2021 को आदेश जारी किया।

इसके आगे यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना है कि इस आदेश को प्रभावी बनाए रखने के लिए अधिनियम की धारा 79(1)(ख) के अनुसार, एक से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए उनके पास सदैव एक संयुक्त योजना है।

330 / एमपी / 2020: एनटीपीसी दादरी स्टेज- ॥ केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र के यूनिट- ॥ को एपी वितरण कंपनियों द्वारा रु. 24,54,15,645.00 (रु. 24.54 करोड़) के नियत प्रभारों के भुगतान में छूट के समुचित आदेशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका। एपी दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड



(एपीएसपीडीसीएलद्व और एपी पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) ने, एनटीपीसी लिमिटेड के दादरी स्टेज-॥ केन्द्रीय थर्मल उत्पादन केन्द्र के यूनिट-॥ के संबंध में निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका दायर की ।

(क) एनटीपीसी को उसके द्वारा दावा किए गए बिल को संशोधित करने और उक्त विवादित राशि की कटौती करने और दादरी स्टेज-॥ के यूनिट-॥, जो कि सितम्बर, 2019 को पूरे माह के लिए वार्षिक ओवर हॉल के अधीन था, के लिए रु. 24,54,15,645/- के नियत प्रभारों की विधिवत् कटौती करते हुए सितम्बर, 2019 माह के लिए प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए रु. 49,08,31,289/- के स्थान पर एपी वितरण कंपनियों को दादरी स्टेज-॥ के नियत प्रभारों को केवल रु. 24,54,15,645/- तक सीमित करने की अनुमति देने का निर्देश देने हेतु ।

(ख) दादरी स्टेज-॥ से याचिकाकर्ता को सितम्बर, 2019 माह के लिए 575.8 मेगावाट के स्थान पर 287.9 मेगावाट के अतिरिक्त आबंटन को पुनरीक्षित करने हेतु सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक अनुदेश प्रदान करने हेतु ।

आयोग ने दिनांक 2.3.2021 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ याचिका का निपटारा किया कि चूंकि सितम्बर 2019 माह के लिए याचिकाकर्ताओं को क्षमता आबंटन के पुनरीक्षण/निरस्तीकरण के लिए प्रतिवादी सं. 2 ने पहले ही कार्रवाई की है, अतः हम इस मामले पर और अधिक विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21.01.2020 के पूर्वोक्त पत्र के निर्देशों के आधार पर सीईए द्वारा आबंटन को पुनरीक्षित/निरस्तीकरण करने के बादए प्रतिवादी सं. 1 याचिकाकर्ताओं के लिए बनाए गए बिल का पुनरीक्षण करेगा। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता फिर से आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।



समीक्षा याचिकाएं

इस वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निपटाई गई कुछ समीक्षा याचिकाएं इस प्रकार हैं:

245 / एमपी / 2018 में 9 / आरपी / 2020:

याचिका संख्या 245 / एमपी / 2018 में दिनांक 8.1.2020 के आदेश की समीक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन समीक्षा याचिका। समीक्षा याचिकाकर्ता, ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड ने याचिका संख्या 245 / एमपी / 2018 (इसके बाद आक्षेपित आदेश के रूप में उल्लिखित) में दिनांक 8.1.2020 के आदेश की समीक्षा के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन तत्काल समीक्षा याचिका दायर की।

222 / एमपी / 2017 में 7 / आरपी / 2020:

याचिका संख्या 222 / एमपी / 2017 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 23.7.2019 के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका। केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड ने याचिका सं. 222 / एमपी / 2017 में दिनांक 23.7.2019 के आदेश में आयोग के निर्णय से व्यथित होते हुए किया (क) अनुसूचित डिलीवरी की तारीख को दिनांक 1.10.2015 के स्थान पर दिनांक 1.8.2015 तक बढ़ा दिया गया है; (ख) समाप्ति तिथि में केवल 6 महीने का विस्तार; और (ग) ब्याज का गई-अनुदान।

199 / जीटी / 2017 में 8 / आरपी / 2020:

यूनिट- I की सीओडी से दिनांक 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कुदगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज- I (2400 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के संबंध में याचिका सं. 199 / जीटी / 2017 में आयोग के दिनांक 8.1.2020 के आदेश की समीक्षा। याचिकाकर्ता, एनटीपीसी ने दिनांक 8.1.2020 के उक्त आदेश से व्यथित होकर इस आधार पर समीक्षा की मांग की है कि आदेश में प्रत्यक्ष त्रुटियां हैं।

विविध याचिकाएं (अशक्त विद्युत के संबंध में):

602 / एमपी / 2020: संतुलन गतिविधियों के लिए अशक्त विद्युत के अंतर परिवर्तन की अनुमित और लारा एसटीपीपी (2x800 मेगावाट) के यूनिट- II की प्रथम सिंक्रोनाइजेशन की तारीख अर्थात् 13.8.2020 से छह मास की विस्तार अवधि से आगे ग्रिड से इस के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की अनुमति मांगने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका। यह याचिका, याचिकाकर्ता एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के संदर्भ में दिनांक 13.2.2021 तक या छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में लारा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना के 1600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) के यूनिट- II की वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित अशक्त विद्युत के अंतर-परिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई। आयोग ने दिनांक 12.08.2020 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 13.2.2021 तक या वाणिज्यिक

प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक यूनिट-2 के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।

600 / एमपी / 2020: नवीनगर एसटीपीएस स्टेज-1 (3X660 मेगावाट) के यूनिट-II के प्रथम सिंक्रोनाइज़ेशन की तारीख अर्थात् 11.8.2020 से आगे की छह माह की अवधि से आगे के लिए ट्रायल रन प्रचालन के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतर्विनियम की अनुमति आयोग से मांगने के लिए। यह याचिका, याचिकाकर्ता नवीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के संदर्भ में दिनांक 11.2.2021 तक या बिहार राज्य के नवीन नवीनगर जिले में 1980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) थर्मल विद्युत प्लांट के यूनिट-II के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित विद्युत के अंतर-परिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई।

आयोग ने दिनांक 12.08.2020 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 11.2.2021 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक यूनिट-2 के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।

615 / एमपी / 2020: संतुलन गतिविधियों के लिए अशक्त विद्युत के अंतर परिवर्तन और मेजा टीपीएस स्टेज-1 (2x660 मेगावाट) की प्रथम सिंक्रोनाइज़ेशन की तारीख अर्थात् 17.9.2020 से छह मास की विस्तार अवधि से आगे ग्रिड से इस के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की अनुमति मांगने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका। यह याचिका, याचिकाकर्ता मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी लि. और उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के संदर्भ में दिनांक 17.3.2021 तक या उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) मेजा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना के यूनिट-II स्टेज-1 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित अशक्त विद्युत के अंतर-परिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई। आयोग ने दिनांक 28.08.2020 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 17.3.2021 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक यूनिट-II स्टेज-1 के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।



41 / एमपी / 2021: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका और संतुलन गतिविधियों के लिए अशक्त विद्युत के अंतर्विनिमय और गड़वारा एसटीपीएस (2×800 मेगावाट) के यूनिट-II के प्रथम सिंक्रोनाइजेशन की तारीख अर्थात् 25.2.2021 से आगे की छह मास की अवधि से आगे ग्रिड से इसके वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की अनुमति मांगने के मामले में।

यह याचिका, याचिकाकर्ता एनटीपीसी लि. द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के संदर्भ में दिनांक 25.8.2021 तक या मध्यप्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में स्थित 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) गड़वारा सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन के यूनिट-II के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित अशक्त विद्युत के अंतर्विनिमय के लिए इस आयोग द्वारा समय-सीमा का विस्तार मांगने के लिए दायर की गई। आयोग ने दिनांक 25.02.2021 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 30.6.2021 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक उत्पादन स्टेशन के यूनिट-II के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।

38 / एमपी / 2021: यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में

संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका और दिनांक 11.2.2021 से आगे नबीनगर एसटीपीएस स्टेज-I (3×660 मेगावाट) के यूनिट-II के परीक्षण प्रचालन के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतर्विनिमय की स्वीकृति के लिए आयोग की अनुमति मांगने के मामले में। यह याचिका, याचिकाकर्ता नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के खंड (7) के संदर्भ में दिनांक 31.5.2021 तक या बिहार राज्य के नवीन नबीनगर जिले में 1980 मेगावाट (3×660 मेगावाट) थर्मल विद्युत प्लांट के यूनिट-II के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित विद्युत के अंतर-परिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई। आयोग ने दिनांक 04.03.2021 के आदेश द्वारा, दिनांक 11.2.2021 से 31.5.2021 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के यूनिट-II के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।

624 / एमपी / 2020: केएपीपी-3 के प्रथम सिंक्रोनाइजेशन या दिनांक 31.3.2021, जो भी पहले हो, तक विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) के अनुसार ग्रिड से स्टार्ट-अप विद्युत का आहरण जारी रखने की अनुमति मांगने के लिए याचिका। यह याचिका याचिकाकर्ता, न्यूकिलयर पावर कॉरपोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा केएपीपी-३ के सिंक्रोनाइजेशन या दिनांक 31.3.2021, जो भी पहले हो, तक केएपीपी-३ आरंभ करने के लिए विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) के अधीन ग्रिड से स्टार्ट-अप विद्युत के आहरण की अनुमति मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) के विनियम ८ के खंड (7) के अधीन दायर की गई है। आयोग ने दिनांक 04.03.2021 के आदेश द्वारा दिनांक 1.10.2020 से 31.10.2020 और 10.2.2021 से 31.3.2021 तक एक मास की अवधि के लिए केएपीपी-३ के लिए ग्रिड से एक महीने की अवधि के लिए स्टार्ट-अप विद्युत के आहरण की अनुमति दी।

80 / एमपी / 2021: बाढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन, स्टेज-१ (3x660 मेगावाट) के यूनिट-१ (660 मेगावाट) के विद्युत के अंतर्विनियम के लिए, आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन की तारीख से छह मास के उपरांत, समय का विस्तार मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम ८ के अधीन याचिका। यह याचिका, याचिकाकर्ता एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम ८ के खंड (7) के संदर्भ में बिहार राज्य के पटना जिले में बाढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन के स्टेज-१ के यूनिट-१ की दिनांक 25.9.2021 तक ग्रिड में स्टार्ट अप विद्युत के आहरण सहित विद्युत के अंतर-परिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई। आयोग ने दिनांक 24.03.2021 के आदेश द्वारा,

दिनांक 25.09.2021 या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक यूनिट-१ के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। तथापि, यथोपरोक्त दिए गए समय का विस्तार, अनुसूचित सीओडी से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईईडीसी/आईडीसी के लिए याचिकाकर्ता को स्वतः हकदार नहीं बनाती।

विविध याचिकाएँ:

एनएलसीआईएल:

527 / एमपी / 2020: 2x500 मेगावाट एनएलसीआईएल— नेवेली न्यू थर्मल विद्युत परियोजना (एनएनटीपीपी) के यूनिट II के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा में प्रत्याशित विलंब और यूनिट II की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या दिनांक 30.09.2020, जो भी पहले हो, तक यूआई तंत्र के अधीन स्टार्ट-अप विद्युत के आहरण और अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग की अनुमति मांगने के मामले में। आयोग ने दिनांक 17.6.2020 के आदेश द्वारा, कोविड-19 महामारी के कारण याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को दिनांक 30.09.2020, वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, तक उत्पादन स्टेशन के यूनिट-II के लिए ग्रिड से स्टार्ट-अप पावर का आहरण करने और ग्रिड में अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण करने की अनुमति दी।

623 / एमपी / 2020: 2x500 मेगावाट एनएलसीआईएल— नेवेली न्यू थर्मल विद्युत परियोजना (एनएनटीपीपी) के यूनिट II के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा में प्रत्याशित विलंब और यूनिट-II की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या दिनांक 31.3.2021, जो भी



पहले हो, तक यूआई तंत्र के अधीन स्टार्ट—अप विद्युत के आहरण और अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग की अनुमति मांगने के मामले में। आयोग ने दिनांक 2.3.2021 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दिनांक 1.10.2020 से 31.10.2020 तक, एक मास की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के यूनिट-II के लिए ग्रिड से स्टार्ट—अप पावर का आहरण करने और ग्रिड में अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यूनिट-II की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, दिनांक 24.01.2021 (जिस तारीख तक ऐपटेल को, 2020 की मूल याचिका सं. 19 में दिनांक 24.12.2020 के इसके आदेश द्वारा, इस प्रकार के आहरण और अंतःक्षेपण को स्वीकृति दी) दिनांक से 03.02.2021 के दौरान उत्पादन स्टेशन के यूनिट-II के पूर्ण भार परिक्षण सहित आरंभिक परिक्षणों के लिए स्टार्ट—अप विद्युत के आहरण और ग्रिड में अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण को भी अनुमोदित किया।

डीवीसी

101 / एमपी / 2019: 'विधि में परिवर्तन' की घटना के कारण पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 25.01.2016 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, फलाई ऐश की परिवहन लागत की शेयरिंग के कारण किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 8(3)(ii) और 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(क) और 79(1)(क) के अधीन याचिका। 2016 फलाई ऐश अधिसूचना के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में आयोग से घोषणा की मांग की कि 2016 फलाई ऐश अधिसूचना जारी करना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 (इसके

बाद "2014 टैरिफ विनियम के रूप में उल्लिखित") के विनियम 8(3)(ii) के अधीन 'विधि में परिवर्तन' की घटना है। याचिकाकर्ता ने 2016 फलाई ऐश अधिसूचना के अनुपालन के कारण हुए व्यय को, याचिकाकर्ता के उत्पादन स्टेशनों के लाभार्थियों से मासिक बिलों के माध्यम से वसूल करने की भी मांग की। याचिका संख्या 172/एमपी/2016 में आयोग के दिनांक 5.11.2018 के आदेश के संदर्भ में, 2016 फलाई ऐश अधिसूचना, 2014 टैरिफ विनियमों के विनियम 3(9)(ii) के संदर्भ में 'विधि में परिवर्तन' की घटना है। तदनुसार, याचिका संख्या 172/एमपी/2016 के संदर्भ में, आयोग ने याचिका संख्या 101/एमपी/2019 में दिनांक 29.7.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 2014 के टैरिफ विनियमों के विनियम 8 के संदर्भ में वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की ट्रूइंग अप की कार्रवाई के आधार पर अपने उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ के पुनरीक्षण के समय आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

नीपको

वर्ष 2014–19 के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के ट्रूइंग अप और वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारण हेतु नीपको उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ याचिकाएं, आयोग के विचाराधीन हैं।

हाइड्रो उत्पादन

आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान, सीपीएसयू के स्वामित्व वाले केन्द्रीय क्षेत्र के हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों अर्थात् एनएचपीसी, एनएचडीसी, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी, और बीबीएमबी, राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत स्टेशन अर्थात् टीयूएल, मैसर्स जेरसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स हिमाचल बसपा पावर कंपनी लिमिटेड) के स्वामित्व वाले आईपीपी स्टेशन और राजस्थान (आरआरवीएनपीएल) और मध्य प्रदेश

राज्यों के संयुक्त उद्यम परियोजनाओं जो कि उत्तरी, पूर्वी उत्तर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं, के टैरिफ को विनियमित किया। दिनांक 31.3.2021 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष **अनुबंध VII** में दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, हाइड्रो विद्युत स्टेशनों से संबंधित कुल 7 याचिकाओं पर विचार किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित उत्पादन टैरिफ याचिकाओं का निपटान किया गया।

i. वर्ष 2014-19 की अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका सं. 354 / जीटी / 2018

क्रम सं.	हाइड्रो पावर स्टेशन	कंपनी
1	टीएलडीपी-IV	एनएचपीसी

ii. वर्ष 2014-19 की अवधि के लिए दूड़ अप/अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका सं. 329 / जीटी / 2019

क्रम सं.	हाइड्रो पावर स्टेशन	कंपनी
1	टुइरिअल	नीपको

हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्रों की निम्नलिखित विविध याचिकाओं का निपटान किया गया:

328 / एमपी / 2018:— एनएचपीसी के सीवा-II पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले

गए ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम-31(6) के अधीन आवेदन।

329 / एमपी / 2018:— एनएचपीसी के धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले गए ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम-31(6) के अधीन आवेदन।

330 / एमपी / 2018:— एनएचपीसी के तीस्ता निम्न बांध-III पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले गए ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम-31(6) के अधीन आवेदन।

348 / एमपी / 2018:— एनएचपीसी के चमेरा-II पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले गए ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम-31(6) के अधीन आवेदन।

369 / एमपी / 2018:— एनएचपीसी के बाइरा सियूल पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूले गए ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम-31(6) के अधीन आवेदन।

वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए उत्पादन कंपनियों द्वारा हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए अधुनातन अनुमोदित एफसी के आधार पर यथा प्रस्तुत संयुक्त टैरिफ अनुबंध VIII में दिया गया है।



पारेषण टैरिफ

आयोग ने अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से संबंधित याचिकाओं में कई आदेश जारी किए हैं, जिनमें टैरिफ अवधि 2019–24 के दौरान आरंभ किए गए/आरंभ किए जाने वाली प्रत्याशित पारेषण आस्तियों के लिए अनंतिम आदेश शामिल हैं। पावरग्रिड द्वारा दायर की गई अधिकांश टैरिफ याचिकाएं केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के द्रौंग अप और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के अधीन 2019–24 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण से संबंधित हैं और कई याचिकाएं केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के अधीन 2020–21 के दौरान आरंभ किए गए/आरंभ किए जाने के लिए प्रत्याशित आस्तियों के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थीं।

आयोग ने दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2015 के विनियम 8 के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए फीस और प्रभारों के द्रौंग अप के संबंध में आदेश और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आरएलडीसी/एनएलडीसी के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के संबंध में आदेश जारी किए।

निर्बाध पहुंच

निर्बाध पहुंच, विद्युत अधिनियम, 2003 की आधारशिलाओं में से एक है। आयोग को अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणालियों लिए निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करने और सहबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केंद्रीय विद्युत

विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किए हैं। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान, आयोग ने अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए कई याचिकाओं का निपटारा किया है। इसके अतिरिक्त, केविविआ ने केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता विनियम, 2020 को अंतर-राज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने में भी आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित याचिकाओं का निपटान किया है:

- (I) याचिका संख्या 269/एमपी/2019 में दिनांक 12.5.2020 का आदेश:** केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) ने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने हेतु यह याचिका दायर की। केविविआ (केंद्रीय पारेषण कंपनी को अंतर-राज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010 (संक्षेप में विनियामक अनुमोदन विनियम) के विनियम 3(1) (i) आईएसटीएस योजना पर लागू होता है जिसके लिए उत्पादनकर्ताओं ने दीर्घकालिक पहुंच की मांग की है। तथापि, केंद्रीय पारेषण कंपनी द्वारा प्रस्तावित चिन्हित पारेषण प्रणाली के लिए उत्पादनकर्ताओं द्वारा अभी तक दीर्घकालिक पहुंच की पूर्ण मात्रा की मांग नहीं की गई है। केंद्रीय पारेषण कंपनी ने प्रार्थना की कि आयोग, विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 8 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उक्त विनियमों के उपबंधों में राहत प्रदान करे। आयोग, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह योजना राष्ट्रीय महत्व की है जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.7.2019 के पत्र में उल्लेख किया है और अधिनियम 2003 की धारा 61 (ज) के अधीन यथा प्रतिष्ठापित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्गदर्शक सिद्धांत को ध्यान में रखते

हुए, विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 8 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 3(1)(i) के उपबंधों में राहत दी और प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया।

- (2) याचिका संख्या 331/एमपी/2020 में दिनांक 28.1.2021 का आदेश: याचिकाकर्ताओं (भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और अन्य) ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में सौर पार्क को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ने वाले पारेषण नेटवर्क के विकास/संवर्धन/उन्नयन की घोषणा करने की प्रार्थना की और शेयरिंग विनियम, 2010 के विनियम 7 और सौर ऊर्जा विकास से संबंधित पारेषण प्रभारों और हानियों के भुगतान से व्यवहार करने वाले उपबंधों में सौर पार्कों और सौर पार्कों में सौर विद्युत परियोजनाओं में इसके लागू होने की सीमा तक छूट/संशोधन की मांग की। आयोग ने पाया कि सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता, केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 (संक्षेप में संयोजकता विनियम, 2009) के अनुसार संयोजकता और दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करने हेतु पात्र इकाइयां हैं और संयोजकता विनियम, 2009 के कारणों का कथन स्पष्ट करता है कि एसपीपीडी जो संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करेगा, वह 2009 के संयोजकता विनियमों और 2010 के शेयरिंग विनियमों के उपबंधों के अधीन जनरेटर को चालू करने में देरी के लिए पारेषण प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, यदि एसपीपीडी संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें सभी परिणामी देनदारियों को वहन करना होगा।

एसपीपीडी और एसपीडी के बीच पारेषण प्रभारों के भुगतान और हानियों सहित दायित्वों की कोई भी शेयरिंग, उनके बीच करारों, यदि कोई हो, द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु किसी भी मामले में इसे पीओसी पूल के माध्यम से अन्य इकाइयों द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता है।

अन्य मामले

- (1) याचिका संख्या 265/एमपी/2020 में दिनांक 25.1.2021 का आदेश: पावरग्रिड वरोरा पारेषण लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल) ने विधि में परिवर्तन की घटनाओं के कारण दिनांक 9.2.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12 के अधीन प्रतिपूरक और घोषणात्मक राहतों की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिससे परियोजना के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आयोग ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और पाया कि याचिकाकर्ता को विधि में परिवर्तन की घटनाओं के कारण निम्नलिखित के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी:
- क) बीपीसी द्वारा अधिग्रहण कीमत में वृद्धि;
 - ख) जीएसटी कानूनों के कारण अतिरिक्त व्यय; तथा
 - ग) भूमि की क्षतिपूर्ति पर नीति की अधिसूचना।
- (2) याचिका संख्या 191/एमपी/2019 में दिनांक 27.01.2021 का आदेश: नॉर्थ ईस्ट पारेषण कंपनी लिमिटेड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के मामलों के कारण ओ एंड एम के लिए अनुभवी एजेंसी की तैनाती की आवश्यकता, भारी वर्षा के कारण भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पारेषण टावर और नदी पार करने और आरक्षित वन के कारण कठिनाई जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम



29(4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन और रखरखाव मानदंडों में छूट की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। आयोग ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया चूंकि याचिकाकर्ता के निवेदन के अनुसार उसे उच्चतर ओएंडएम व्यय की अनुमति दिए जाने के लिए आयोग को शिथिल करने की शक्ति के उपबंधों को लागू करने का कोई कारण नहीं मिला। आयोग ने याचिकाकर्ता से अधिक विवेकपूर्ण होने और निर्धारित मानदंडों के भीतर अपने ओंड एम व्यय को सीमित करने की अपेक्षा की।

- (3) **याचिका संख्या 307 / एमपी / 2018 में दिनांक 8.2.2021 का आदेश:** राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड ने प्रतिवादी सं. 1, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से ब्याज सहित बकाया रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वर्तमान याचिका दायर करने के बाद, यूपीपीसीएल रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार। एकमात्र मुद्दा जो आयोग के विचार हेतु शेष था, वह यूपीपीसीएल द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के विलंबित भुगतान पर याचिकाकर्ता की ब्याज की पात्रता था। आयोग ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी और यह पाया कि पारस्परिक रूप से सहमत विवरण जो कि रिकॉर्ड में है, वह प्रतिवादी यूपीपीसीएल द्वारा जारी किया गया दिनांक 17.04.2012 का समाधान विवरण है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.04.2012 को विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। विस्तृत बिल में यूपीपीसीएल और याचिकाकर्ता के बीच रिएक्टिव ऊर्जा और व्हीलिंग प्रभारों के लिए प्रभार शामिल हैं जिसमें किसी भी ब्याज प्रभारों का उल्लेख नहीं है। आयोग ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से ग्रिड कोड के उपबंधों, जिन्हें स्वयं वर्ष 2010 में अधिसूचित किया गया था, के अधीन वर्ष

2002 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए ब्याज का दावा करना गलत है।

- (4) **याचिका संख्या 106 / एमपी / 2019 में दिनांक 15.3.2021 का आदेश:** पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने उत्पादनकारी संयंत्रों और संबद्ध पारेषण प्रणाली, जिन्हें डीम्ड अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के रूप में उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना (यूटीटीपी) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के समीचीन और कुशल निष्पादन के लिए नई समयसीमा के साथ पुनरीक्षित कार्यान्वयन करारों के निष्पादन के लिए उत्पादनकर्ताओं, जिन्होंने प्रतिवादी के रूप में प्रतिवेदना की है, को समुचित दिशानिर्देशों को जारी करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे में उक्त उत्पादन संयंत्रों से विद्युत की निकासी के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच (एलटीए) प्रदान करना और याचिकाकर्ता और केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) के साथ त्रिपक्षीय दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए) करार करना शामिल है। आयोग ने निम्नानुसार पाया:

- क) कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर और संबंधित समयसीमा, उत्पादनकर्ताओं और याचिकाकर्ता के बीच परस्पर मुद्दा है, और आयोग के किसी भी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
- ख) याचिकाकर्ता, सीटीयू और उत्पादनकर्ताओं को संयोजकता विनियमों के उपबंधों के अनुसार त्रिपक्षीय एलटीए करार करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जहां हितधारकों को एलटीए करार करने की आवश्यकता होती है, उस पर हस्ताक्षर के संबंध में संबंधित उत्पादनकर्ताओं द्वारा समन्वय किया जा सकता है।

- ग) यूआईटीपी योजना के अधीन पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के भुगतान और विलंब से व्यवहार, केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियमए 2010 या केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियमए 2020, जैसा भी लागू हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (5) याचिका संख्या 81/एमपी/2019 में दिनांक 19.3.2021 का आदेशः** छत्तीसगढ़-डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने यह घोषणा करने कि शिकारपुर जीआईएस पर 765 किलोवाट डी/सी औरंगाबाद-पाडघे पारेषण लाइन के एक सर्किट के लीलों को री-रूट करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ॲफ इंडिया लिमिटेड जैसा कारक/घटना, दिनांक 24.06.2015 के टीएसए के अधीन अप्रत्याशित घटना है और टीएसए के अनुच्छेद 4.4.2 के अधीन परियोजना के एससीओडी को प्राप्त करने के लिए समय अवधि का विस्तार और अन्य परिणामी राहतें मांगने के लिए याचिका दायर की थी। आयोग ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया और पाया कि याचिकाकर्ता, टीएसए के अधीन अपने स्वयं के दायित्वों की अनदेखी और सीओडी प्राप्त करने में विलंब के लिए कारण के रूप में साइट की अनुपयुक्तता के लिए राहत का दावा नहीं कर सकता है। यद्यपि रूट के साथ शहरीकरण, याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो सकता है तथापि समुचित पथांतर, यदि आवश्यक हो, के साथ लीलों के कुशल प्रबंधनए याचिकाकर्ता का दायित्व था। इसके अतिरिक्त, टीएसए के अनुच्छेद 5.1.3 के अनुसार, प्राधिकारियों से आवश्यक सहमति और अनुमोदन लेने के लिए याचिकाकर्ता उत्तरदायी है। परिणामस्वरूप,

पीजीसीआईएल द्वारा दिनांक 27.6.2019 के अपने पत्र के माध्यम से दिए गए निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा किए गए संशोधनों के कारण विलंब को अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि विलंब याचिकाकर्ता के कारण हुआ था।

- (6) याचिका संख्या 187/एमपी/2020 में दिनांक 15.5.2020 का आदेशः** रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने दीर्घकालिक पहुंच को त्यागने के लिए आवेदन करने से पूर्व त्याग करने वाली इकाई द्वारा देय त्याग प्रभार का पूर्व- प्रकटीकरण करने के लिए पीजीसीआईएल को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि यदि त्याग प्रभार के बारे में कार्योत्तर के बजाय पूर्व में पता चल जाता है, तो यह याचिकाकर्ता को सूचित और व्यवसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। आयोग ने पाया कि त्याग प्रभार की संगणना, नोटिस अवधि, भार प्रवाह के परिदृश्य, उसी कॉरिडोर में त्यागी गई क्षमता के प्रति दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदकों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। हमने पाया है कि जब तक याचिकाकर्ता दीर्घकालिक पहुंच का त्याग नहीं करता, तब तक केन्द्रीय पारेषण कंपनी/पीजीसीआईएल के लिए ऐसे प्रभारों की संगणना करना संभव नहीं है चूंकि केन्द्रीय पारेषण कंपनी/पीजीसीआईएल द्वारा यथोपरोक्त दशाओं की ठीक रूप से परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संगणना करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली और याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना और याचिकाकर्ता के पास मौजूद किसी भी अन्य सूचना के आधार पर प्रदान की गई कार्यप्रणाली के अनुसार अनुमान लगाना जाएगा।



आईएसटीएस पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग

आयोग को विद्युत की अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली को विनियमित करने और विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करने के लिए, अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा 2 के खंड (ज) के संदर्भ में विनियम बनाने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। आयोग ने धारा 178 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियमों को अधिसूचित किया था।

आयोग ने वर्ष 2019–20, में शेयरिंग विनियम, 2010 के लिए कई आदेश पारित किए अर्थात् आईए सं. 46/आईए/2019, 48/आईए/2019 और 49/आईए/2019 और समीक्षा याचिका सं. 3/आरपी/2019 के साथ याचिका सं. समीक्षा याचिका सं. 20/आरपी/2018 में दिनांक 31.07.2019 का आदेश याचिका सं. 220/एमपी/2018 में दिनांक 21.11.2019 का आदेश, याचिका सं. 120/एमपी/2019 में दिनांक 21.11.2019 का आदेश, आईए सं.22/2017 के साथ याचिका सं. 94/एमपी/2017 में दिनांक 28.05.2019 का आदेश, याचिका सं.394/एमपी/2019 में दिनांक 24.01.2020 का आदेश।

पारेषण अनुज्ञप्ति:

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में व्यवस्था है कि समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति कोए किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए – (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या (ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान कई आदेशों द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा और पारेषण

सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश" और "पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों पर आधारित टैरिफ" के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पावर फ्टेंहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफटीएल) (425 / टीएल / 2019), वापी-II, उत्तर लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीएनएलटीएल) (599 / टीएल / 2020) जैसी कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्तियां प्रदान कीं।

पारेषण टैरिफ का अंगीकरण

- I. अधिनियम, 2003 की धारा 63 में व्यवस्था है कि समुचित आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि ऐसा टैरिफ केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया गया है।
- II. आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान, 480 मेगावाट सौर पीवी परियोजनाओं (ट्रांच-V) (337 / एटी / 2020) के लिए टैरिफ, 600 मेगावाट (1200 मेगावाट में से) पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-II) (307 / एटी / 2020) के लिए टैरिफ, 900 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-VI) (552 / एटी / 2020), 3000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (549 / एटी / 2020), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 20 मेगावाट सौर विद्युत (160 / एटी / 2020), 840 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-I) (56 / एटी / 2020), 440.8 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-VIII) (596 / एटी / 2020), 1150 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं (ट्रांच-IV) (579 / एटी / 2020) आदि के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पारेषण टैरिफ का अंगीकरण किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान केविविआ द्वारा अधिसूचित किए गए विनियम/विस्तृत प्रक्रिया

- I. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020
- II. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020
- III. "अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करना" के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया
- IV. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020
- V. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020
- VI. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020
- VII. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020
- VIII. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020

नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 2020-21 के दौरान, आयोग ने अधिनियम के अधिदेश और हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-23 की नियंत्रण अवधि के लिए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। पूर्वक विनियम में, आयोग ने

विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर आधारित ग्रिड इंटरेक्टिव विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण हेतु टैरिफ अवसंरचना और डिज़ाइन, वित्तीय सिद्धांतों, प्रचालन मानदंडों और प्रौद्योगिकी विनिर्दिष्ट मानकों को विनिर्दिष्ट किया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पवन विद्युत परियोजना, रैकाइन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना, लघु हाइड्रो परियोजना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट / रिफ्यूज से प्राप्त ईंधन आधारित परियोजना, सौर पीवी / फ्लोटिंग सौर / सौर थर्मल विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना, बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना, नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना और भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना शामिल हैं।

इन विनियमों में वार्षिक आधार पर आरई उत्पादन स्टेशनों की निम्नलिखित श्रेणियों के जेनेरिक टैरिफ के अवधारण के लिए भी व्यवस्था है।

क. लघु हाइड्रो परियोजना;

ख. रैकाइन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजना;

ग. गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन परियोजना;

घ. बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना;

ड. बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आरई टैरिफ आदेश

आयोग ने याचिका सं.13/एसएम/2020 में दिनांक 21.07.2020 के आदेश द्वारा आरई टैरिफ विनियम, 2020 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आरई प्रौद्योगिकी के लिए जेनेरिक टैरिफ अवधारित किया।



वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित जेनेरिक टैरिफ के विवरण **अनुबंध IX**-के में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत की संगणना

आयोग ने याचिका सं 1/एसएम/2021 में दिनांक 31.03.2021 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹3.85/किलोवाट घंटा की राष्ट्रीय औसत विद्युत खरीद की लागत को मंजूरी दी। यह एपीपीसी, निर्बाध पहुंच और प्रादेशिक इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करने वाले कैप्टिव पवन और सौर उत्पादकों के संबंध में विचलन व्यवस्थापन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020–21 को दौरान या और आगामी आदेश के पर्यन्त तक भी लागू रहेंगे। एपीपीसीए, राज्यों के संबंधित वित्तीय वर्ष 2020–21 के टैरिफ आदेशों से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विद्युत की अनुमोदित खरीद लागत और मात्रा पर आधारित थी। एपीपीसी की संगणना के लिए मानी गई विद्युत खरीद की कुल लागत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन या खरीद की लागत और ट्रांसमिशन प्रभार सम्मिलित नहीं थे। नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन या खरीद की लागत का अपवर्जन एपीपीसी को अवधारित करने के उद्देश्य के अनुरूप था, जो कि विद्युत के पारंपरिक स्रोतों से विद्युत की औसत लागत को अभिनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, केवल ऊर्जा लागतों पर विचार करने के लिए ट्रांसमिशन प्रभारों को इन परिकलनों से बाहर रखा गया था।

राष्ट्रीय स्तर पर एपीपीसी के अवधारण के लिए विवरण **अनुबंध IX** खं में दिया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियाँ कीं। आयोग में प्रभाग स्तर

पर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन पहले किया जा चुका है, जिसके लिए प्रत्येक तिमाही बैठक आयोजित की जाती है जिसमें कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग के संबंध में समीक्षा एवं चर्चा की जाती है। आयोग में 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान राजभाषा के प्रयोग के प्रति समर्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूपण तथा हिन्दी अनुवाद के ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 09 दिसंबर, 2020 को संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति द्वारा राजभाषा नीति और अनुपालन के संबंध में एक निरीक्षण किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों की प्राप्ति के लिए केविविआ की सराहना की गई थी। समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि केविविआ उसी भावना से राजभाषा नीति का पालन करना जारी रखेगा।

हिंदी गृह पत्रिका "सौदामनी"

आयोग आंतरिक पत्रिका सौदामनी हिंदी में प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा आयोग में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की फोटो के साथ पुरस्कार जीतने वाली प्रविष्टियों (अर्थात् निबंध, लेख, कविताओं आदि) को भी प्रकाशित किया जाता है। इस मैगजीन में मुख्य रूप से आयोग में आयोजित राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान

"स्वच्छ भारत अभियान" के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। आयोग के सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए प्रोत्साहित

किया गया। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान भी कार्यान्वित किया गया जिसका उद्देश्य, अभिलेखों का बेहतर प्रबंधन, कार्यस्थल व वातावरण इत्यादि का अच्छा रखरखाव था।

लेखा परीक्षा पैरा

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, केविविआ से संबंधित कोई भी पैरा भारत की सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

सतर्कता मामले

केविविआ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं है।

वार्षिक दिवस

केविविआ ने अपना 22वां वार्षिक दिवस 24 जुलाई, 2021 को मनाया। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए, यह दिवस ऑनलाइन बैठक के माध्यम से मनाया गया जिसमें केविविआ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर इस शुभ दिवस को मनाया। माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने केविविआ के अधिकारियों/ कर्मचारियों को संबोधित किया। केविविआ का स्टाफ, विनियमन के क्षेत्र में अपनाए गए सर्वोत्तम अभ्यासों से संबंधित बहुमूल्य विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुआ।

ई-कोर्ट

सूचना पाने के लिए दक्ष, मितव्यी और प्रभावी साधन के साथ प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने अपनी ई-कोर्ट परियोजना अर्थात् सौदामिनी (डिजिटल पहुँच का उपयोग करते हुए न्यायनिर्णयन और नेटवर्क एकीकरण के माध्यम से सूचना का प्रबंधन) का प्रमोचन किया जिसे पूर्व में सीसीएमएएस (कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) के नाम से जाना जाता था। वेब आधारित ई-फाइलिंग और ई-प्लीडिंग मॉड्यूल अप्रैल 2016 से सफलतापूर्वक चल रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी

याचिकाएं/ उत्तर/ प्रत्युत्तर/ अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकाओं की स्थिति को ट्रैक कर/ देख सकते हैं। यह केविविआ की कानूनी प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुँच प्रदान करता है और प्रक्रिया ऑटोमेशन को बढ़ाने के संगठन के जारी प्रयासों का एक हिस्सा है। सौदामिनी केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मॉड्यूल में डैशबोर्ड, कॉर्ज़ लिस्ट जेनरेशन, रिपोर्ट जेनरेशन, एडवांस सर्च, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी विशेषताएं भी कार्यशील हैं और इसका उपयोग केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सौदामिनी परियोजना का ई-हियरिंग मॉड्यूल भी जो आयोग को याचिकाओं की सॉफ्टकॉफी के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जून 2017 से कार्यशील है। सौदामिनी ई-मॉनिटरिंग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) मॉड्यूल का प्रमोचन, 24 जुलाई, 2020 को किया गया जो एनएलडीसी, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों को इसके माध्यम से अपनी विनियामक अनुपालन सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। केविविआ की ई-कोर्ट प्रणाली से आयोग को एकीकृत, लचीला परंतु गतिशील डेटाबेस विकसित करने में सक्षम होना अपेक्षित है, जिससे आयोग को विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके निर्णय लेने की सुविधा मिलना अपेक्षित है।

विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम (साफिर)

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष



फोरम के अध्यक्ष हैं। अन्य उद्देश्यों के साथ—साथ, विनियामक फोरम का मुख्य उद्देश्य केविविआ, एससीआरसी और जईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र में बनाए गए विनियमों का समानीकरण है। विनियामक फोरम ने विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न विषयों पर सरकार को सिफारिशें उपलब्ध करवाई जाती है। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवा प्रदान करता है।

विनियामक फोरम की 5 बैठकें 2020–21 के दौरान वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार—विमर्श किया गया और सिफारिशें की गईं।

- i. मई—जून 2020 में आयोजित विनियामक फोरम की 71वीं बैठक
- ii. 17 अगस्त, 2020 को आयोजित विनियामक फोरम की 72वीं बैठक
- iii. 21 और 29 सितम्बर, 2020 को आयोजित विनियामक फोरम की 73वीं बैठक
- iv. 16 अक्टूबर, 2020 में आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक
- v. 27 फरवरी, 2021 में आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

इस वर्ष (2020–21) को दौरान विनियामक फोरम ने "विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण" पर अध्ययन पूरा किया। "वितरण आस्तियों के लिए अवक्षयण के विकसित सिद्धांत और वितरण क्षेत्र के लिए प्रचालन और वित्तीय मानदंड" और "खुदरा टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण और उनसे निपटने के उपाय" पर अध्ययन जारी है। "एफओआर" ने विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर अपने सदस्यों के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम (वर्चुअल माध्यम से) भी आयोजित किए।

- I. राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए

तीसरा वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम, आईआईटी, कानपुर के सहयोग से आयोजित किया गया।

- II. "विद्युत क्षेत्र में उभरते विनियामक मुद्दे – टैरिफ, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता विकल्प" पर 14वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आईआईटी, कानपुर के सहयोग से आयोजित किया गया।
- III. सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए "उपभोक्ता हितों का संरक्षण" पर चार दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एनपीटीआई, फरीदाबाद के सहयोग से आयोजित किया गया।

केविविआ एफओआईआर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जिसे भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुभवों के शेयरिंग के लिए प्लेटफार्म के रूप में लिया गया था। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि एईआरए, सीसीआई, आईबीबीआई, पीएनजीआरबी, टीएएमपी, टीआरएआई आदि अन्य विनियामक प्राधिकारियों तथा विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, एफओआईआर ने विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और एफओआईआर की अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए रिटेनरशिप आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को नियुक्त किया है और इस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन किया है। इस साझेदारी के अधीन, अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमए केंद्रीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए वार्तालाप और सभी सदस्यों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एफओआईआर के अध्यक्ष हैं।

केविविआ इंफ्रास्ट्रक्चर विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (साफिर) को सचिवीय सेवाएं प्रदान

करता है जो क्षेत्र के बुनियादी विनियामकों के नेटवर्क के रूप में वर्ष 1999 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं) और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तथा इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति शामिल हैं। सदस्यों की चार श्रेणियां हैं अर्थात् शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, कॉर्पोरेट/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी और विशेषज्ञता का लाभप्रद विनिमय करना तथा विश्व सर्वोत्तम पद्धतियों का तत्परता से कार्यान्वयन करना है।

वर्तमान में, भूटान विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2020-21 में, साफिर ने

19वां कोर्स कोर्स आयोजित किया। कोर्स का आयोजन मार्च 2021 के दौरान आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से किया गया। साफिर की 26वीं संचालन समिति की बैठक (एससीएम) और 19वीं कार्यकारी समिति की बैठक 28 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई जबकि 20वीं कार्यकारी समिति की बैठक (ईसीएम) 10 मार्च, 2021 को आयोजित की गई।

संगोष्ठी / सम्मेलन / प्रशिक्षण / एक्सचेंज कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए संगोष्ठी/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/संयंत्र के दौरे/ एक्सचेंज कार्यक्रमों के विवरण अनुबंध—**X** और अनुबंध—**XI** में दिए गए हैं।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

7

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

7. उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्ता शामिल हैं जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है:

I. ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा

ग्रिड नियंत्रण के लिए सतत प्रयासों से बेहतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी और ग्रिड प्रचालन हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

II. बाजार मॉनिटरिंग

अल्पकालिक बाजार कीमते स्थिर रही। अल्पकालिक संब्यवहारों ने 146.01 बिलियन यूनिट को स्पर्श किया जिससे पिछले वर्ष से 8.85 बिलियन यूनिट की कमी हुई। पावर एक्सचेंजों पर औसत डे अहेड कीमत प्रति यूनिट 2.98 रुपये पर स्थिर रही।

III. हरित ऊर्जा का उन्नयन

क. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन के लिए प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क।

ख. उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

I. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा विचलन व्यवस्थापनतंत्र के फ्रेमवर्क का लक्ष्य परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखना है।

II. ग्रिड अनुशासन

क. फ्रिक्वेंसी बैण्ड को कड़ा करने और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के सतत प्रयास।

ख. पहल से ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा आसान बनाया गया जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेक होल्डरों के हित में है।

III. बाजार विकास

क. सहायक सेवा प्रचालन के माध्यम से, आयोग ने ग्रिड सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परवर्ती एवं भार संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल किया।

ख. आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्ग देने के उद्देश्य से पावर एक्सचेंजों पर ग्रीन टर्म अहेड बाजार को अनुमति दी।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

8
वर्ष 2020-21
के दौरान जारी
की गई अधिसूचनाएं



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

8. वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र.सं.	अधिसूचना की संख्या	राजपत्र की तारीख	विनियम
1.	एल-1/246/2019/ सीईआरसी (239)	01.07.2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण अस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020
2.	एल-1/253/2019/ सीईआरसी (461)	02.11.2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020
3.	एल-1/160/2020/ सीईआरसी (462)	02.11.2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान)(द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020
4.	एल-1/250/2019/ सीईआरसी (243)	01.07.2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020
5.	आरए-14026(11)/4/ 2020-सीईआरसी (324)	19.08.2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020
6.	एल-1/236/2018/ सीईआरसी (53)	03.02.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020
7.	एल-1/257/2020/ सीईआरसी (241)	16.06.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021
8.	एल-1/42/2010- सीईआरसी (152)	12.04.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021
9.	2/2(2)/2011-स्था./ सीईआरसी (112)	23.03.2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण और सेवा निबंधन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

९

वर्ष 2021–22

के लिए
कार्यसूची



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

9. वर्ष 2021–22 के लिए कार्यसूची

- I. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले पर विनियम
- II. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम में संशोधन
- III. अनुषंगी सेवाओं की बाजार आधारित खरीद पर विनियम
- IV. विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) विनियमों में सुधार
- V. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्र पर विनियमों में सुधार
- VI. केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के अनुसार अनुमोदन के लिए प्रमाणपत्र रिटेनरशिप के भुगतान की पद्धति पर विस्तृत प्रक्रिया
- VII. केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 के अनुसार प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के अनुमोदन की पद्धति पर विस्तृत प्रक्रिया



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

१०
लेखों का
वार्षिक विवरण



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

10. लेखा का वार्षिक विवरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, केविविआ में रु.14608.13 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु.16770.03 लाख) की राशि प्राप्त हुई और नगद आधार पर

रु.11532.82 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 4992.94 लाख) का व्यय हुआ। इसके विवरण **अनुबंध-XII** में दिए गए हैं।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission



आयोग का मानव संसाधन



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

II. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्ठादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। संगठनात्मक चार्ट

अनुबंध-XIII में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	प्रमुख	4	2	2
3	संयुक्त प्रमुख	9	6	3
4	उप प्रमुख	21	8	13
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	2	0
8	सहायक प्रमुख	28	13	15
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
10	प्रधान निजी सचिव	4	1	3
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	1	1
13	निजी सचिव	5	4	1
14	सहायक	16	7	9
15	वैयक्तिक सहायक	2	1	1
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	हिंदी टंकक	1	0	1
19	आरसीटीओ	1	1	0
20	ड्राईवर	4	4	0
21	वरिष्ठ चपरासी	2	2	0
22	एमटीएस	2	2	0
	कुल	111	59	52



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

केविविआ में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी

क्रम सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1	प्रमुख	1
2	सहायक	4
	कुल	5

। २

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, केविविआ में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी है। इसमें आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के साथ—साथ आवेदकों से सीधे भौतिक आवेदन भी प्राप्त होते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों से अंतरण होने पर भी आरटीआई आवेदन

प्राप्त होते हैं। केविविआ में आरटीआई आवेदनों की जांच जहाँ भी आवश्यक हो, संबंधित प्रभागों के परामर्श से की जाती है और उनका निपटारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के दौरान, 252 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और 255 (विगत वर्ष से 3 सहित) का निस्तारण हुआ। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान 40 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और 38 का निस्तारण हुआ।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुबन्ध



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए निपटाई गई याचिकाओं की सूची					
पिछले वर्ष 2019-20 से आगे लाई गई		वर्ष 2020-21 के दौरान पंजीकृत याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई याचिकाएं	दिनांक 31.03.2021 को लंबित
क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश के निपटान की तारीख	श्रेणी
1	299 /एमपी /2019 एवं 360 /एमपी /2019	सादीपाली सोलर प्रा. लि.	जीएसटी विधियों के अधिनियमन के कारण विधि की घटनाओं के परिवर्तन में अनुमोदन की मांग के लिए याचिकाकर्ता और सौर ऊर्जा कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के बीच निष्पादित दिनांक 31.05.2017 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	02 अप्रैल 2020	विविध याचिका
2	6 /एसएम /2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	विलंब भुगतान अधिभार की कटौती के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 107 के अधीन 20.03.2020 के भारत सरकार के निर्देशों का कार्यान्वयन।	03 अप्रैल 2020	स्वप्रेरणा याचिका
3	7 /एसएम /2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निवारण व शर्तें) विनियम 2019 परिशिष्ट (आदेश तारीख 07. 04.2020) के विनियम, 2009(2) की रियायत द्वारा मौजूदा उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के मामले में टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका दाखिल करने के लिए समय बनाना।	06 अप्रैल 2020	स्वप्रेरणा याचिका
4	IA No.15/2020 के साथ 224/एमपी/2020	कोस्टल एनरजन प्रा. लि.	घोषणा के लिए केविविआ (विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार) विनियम 2019 के विनियम 37 और विनियम 34 (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (ग) और (ट) के अधीन याचिका की याचिकाकर्ता को जारी की गई 03.01.2020 के मांगपत्र का निरसन अवैध है और यादृच्छिक है तथा आगे 03. 01.2020 के मांग पत्र के अधीन उनकी दायित्वों को सकारने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देना।	08 अप्रैल 2020	विविध याचिका
5	32 /टीटी/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना—XXIX (एनआरएसएस-XXIX) के अधीन 2 नंबर 50एमवीएआर गैर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित सांबा (पावरग्रिड) पारेषण लाइन के लिए अमरगढ़ के लिए सांबा उपकेन्द्र में आस्ति संख्या 1: 02 संख्या 400 केवी बेस के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1919 और केविविआ (टैरिफ की निवारण व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	14 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
6	34 /टीटी/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति 1: संबद्ध बेस सहित 400 केवी डीसी हीरियूर-मैसूर पारेषण लाइन तथा 400 /220 केवी मैसूर एस/एस के साथ संबद्ध 2X80 एमवीएआर	14 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			स्थिरचेबल लाइन रिएक्टर सहित मैसूर पारेषण लाइन आस्ति-2: तुमकूर (पाओगढ़ा) एस/एस में संबद्ध बेस सहित 2X500 एमवीएआर 400/220 केवी आईसीटी तथा आस्ति-3: दक्षिण क्षेत्र में तुमकूर (पाओगढ़ा) कर्नाटक फेज-2 (भाग-क) में अल्ट्रामेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन तुमकूर वसंतनरसपुर एस/एस में संबद्ध बेस और उपकरण के साथ 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1919 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
7	307 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए द्वांगअप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में बैक टू बैक एचवीडीसी टर्मिनल विजाग के लिए स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर के लिए 2019–2024 टैरिफ ब्लॉक के लिए अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1919 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
8	247 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर उपकेन्द्र में 220 केवी डी/सी किशनपुर पेपौर पारेषण लाइन के सर्किट 1 और 2 पर सीरिज कैपिसेटर की 2019–2024 टैरिफ अवधि केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अवधारण के लिए और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–2019 के द्वांगअप पारेषण टैरिफ और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1919 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन	18 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
9	8 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण से संबंधित पायलट का विस्तार	18 अप्रैल 2020	स्वप्रेरणा याचिका
10	245 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए द्वांगअप पारेषण टैरिफ (ii) 2019–24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन। दक्षिण क्षेत्र में चेन्नई एनटीपीसी टीएनईबी जेवीटीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन उत्तर चेन्नई टीपीएस स्विचयार्ड में अल्माटी सिपर्लमेदूर 400 केवी डीसी लाइन के लीलों के लिए।	23 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
11	446 / एमपी / 2019	सासन पावन लि.	07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन	23 अप्रैल 2020	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में विभिन्न नियंत्रण प्रणाली के स्थापन के कारण अतिरिक्त पूँजी एवं परिचालनगत व्यय अनन्तिम अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका संख्या 133 / एमपी / 2016 में 08.10.2018 के माननीय आयोग के आदेश और विद्युत क्रय करार 07.08.2007 के अनुच्छेद 13.2(ख) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।		
12	274 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रॉइंगलप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिण क्षेत्र में सिमादरी–2 उत्पादन टैरिफ के संबद्ध संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सिमादरी–2 टीपीएस में वेमागिरी गाजुआरा 400 केवी डीसी लाइन के लीलो के लिए 2019–24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
13	9 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	समाप्त नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र या 01.04.2020 और 30.09.2020 के बीच को समाप्ति के कारण नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र की वैधता का विस्तार।	27 अप्रैल 2020	स्वप्रेरणा याचिका
14	49 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति–1: तुमकूर (पावागाड़ा) में अल्ट्रामेगा सौर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन दोनों सिरों पर उपकरण एवं संबद्ध बेज सहित तुमकूर (पावागाड़ा) हिरीयूर 400 केवी डीसी लाइन के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
15	499 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति–1: दीमापुर उपकेन्द्र में 1×100 एमवीएए 220 / 132 केवीए 3.फेज स्पेयर आईसीटी आस्ति–2: ज़ीरो उपकेन्द्र में 1×5 एमवीएए 132 / 33 केवीए 1. फेज आस्ति–3: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्पेयर ट्रांसफार्मर और रिएक्टर के उपबंध के अधीन बलीपरा उपकेन्द्र में 1×63 एमवीएआरए 420 केवी बस रिएक्टर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 के पारेषण टैरिफ के ट्रॉइंगलप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	29 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ
16	35 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि	आस्ति–1: दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XX के अधीन त्रिची उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1×500 एमवीएए 400 / 220 / 33 केवी आईसीटी के लिए	30 अप्रैल 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
17	249 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि	(i) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रूइंगअप पारेषण टैरिफ (ii) पूर्वी क्षेत्र में रंगाली उत्पादन केन्द्र में 400 केवी कोयला घर रंगाली लाइन में 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के लिए 2019–24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 मई 2020	पारेषण टैरिफ
18	244 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रूइंगअप पारेषण टैरिफ (ii) पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली कोरबा-3 के अधीन आस्तियों के लिए 2019–24 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 मई 2020	पारेषण टैरिफ
19	209 / एमपी / 2019	सेमबकोर्प एनर्जी इण्डिया लि.	परिचालन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के राजस्व और लागत को प्रभावित करते हुए 07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम 2015 के माध्यम से नए पर्यावरण मानदण्डों की शुरूआत से विधि में परिवर्तन घटना के कारण याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सहायता और अनुमोदन के लिए 01.04.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10.1 और विद्युत अधिनियम 2003 की 79(1)(च) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की 79(1)(ख) के अधीन याचिका।	06 मई 2020	विविध याचिका
20	513 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 132 / 33 केवी निरजूली उपकेन्द्र (पावरग्रिड) में 132 / 33 केवीए 50 एमवीएए 3-फेज आईसीटी-I। आस्ति-2: 132 / 33 केवी निरजूली उपकेन्द्र (पावरग्रिड) में 132 / 33 केवीए 50 एमवीए, 3-फेज आईसीटी-II। आस्ति-3: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्व क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-2 के अधीन 400 / 220 केवी बलीपूरा उपकेन्द्र (पावरग्रिड) से संबद्ध बेज सहित 400 / 220 केवीए 315 एमवीए, 3-फेज आईसीटी-II (2nd आईसीटी) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 के पारेषण टैरिफ अवधारण के लिए और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	06 मई 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

21	आईए नं. 90 / 2019 में 253 / एमपी / 2019	डीएनएस एनर्जी प्रा. लि.	क्रमशः दिनांक 24.02.2010 के बल्क पावर पारेषण करार और दीर्घकालिक निर्बाध करार दिनांक 19.10.2011 के अनुसार दीर्घकालिक पहुंच के अधीन याचिकाकर्तासंख्या 1 जोखांग लूप हाइड्रो इलेक्ट्रिक और याचिकाकर्ता संख्या 2 का ताशिडिग इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट से विद्युत के अनुसूचीकरण की अनुमति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशों की मांग करते हुए केविविआ (अंतर्राजियक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	07 मई 2020	विविध याचिका
22	19 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित गुडगांव में भिवाडी पारेषण लाइन बल्लभगढ़ 400 केवी एससी का लीलो आस्ति-2: गुडगांव में जीआईए उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी-। आस्ति-3: गुडगांव में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी-॥ को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-VI से संबद्ध समन्वित आस्तियों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 मई 2020	पारेषण टैरिफ
23	16 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आईपीपी (भाग-ख) के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण योजना से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अधीन रायपुर पीएस पावरग्रिड राजनंदगांव (टीबीसीबी) 765 केवी डीसी लाइन के लिए 765 / 400 केवी रायपुर पूलिंग स्टेशन (पावरग्रिड) में आस्ति-2 संख्या 765 केवी लाइन बेस के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	10 मई 2020	पारेषण टैरिफ
24	269 / एमपी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) केविविआ (केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के लिए अंतर्राजियक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदानक करना) विनियम 2010 (ii) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ के विनियम 111 और 114 और (iii) फेज-2 के अधीन राजस्थान में सौर उर्जा अंचलों के लिए पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केविविआ (अंतर्राजियक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 सहित	12 मई 2020	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			अधिनियम की धारा 79(1)(ट) और धारा 79(1)(ग) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38(2)।		
25	187 / एमपी / 2020	रिन्यू सोलर पावर प्रा. लि.	मौजूदा याचिका मांगी गई सहायता के अनुसार भारतीय पावरग्रिड कार्पोरेशन लि. को तदनन्तर निर्देश जारी करने के लिए आयोग को मांग करते हुए और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य सबद्ध मामले) विनियम 2009 के उपबंधों के संबंध में माननीय आयोग से उचित निर्देशों और / या आदेशों की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 111 सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ट) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका।	15 मई 2020	विविध याचिका
26	210 / एमपी / 2019	सेमबकोर्प एनर्जी इण्डिया लि.	परिचालन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के राजस्व और लागत को प्रभावित करते हुए 07.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम 2015 के माध्यम से नए पर्यावरण मानदण्डों की शुरुआत से विधि में परिवर्तन घटना के कारण याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सहायता और अनुमोदन के लिए 18.02.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 34.1 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका।	18 मई 2020	विविध याचिका
27	307 / एटी / 2020	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया	25.5.2018 के नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनिंदा और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध पवन सौर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट (ट्रेंचे-2) 600 मेगावाट (1200 मेगावाट में से) के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 63 के अधीन याचिका	21 मई 2020	टैरिफ अंगीकार
28	141 / टीटी / 2019	ओडीशा पावर ट्रांसमीशन कार्पोरेशन लि.	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 से 113 के साथ पठित किए संशोधन के अनुसार पीओसी प्रभारों में शामिल करने के लिए याचिका संख्या 7 / एमएम / 2017 में 12.5.2017 के आयोग के आदेश के अनुसार संयोजकता प्रभारों और हानियों के प्वाइंट की संगणना में पारेषण आस्तियों के शामिल करने के लिए टैरिफ का अनुमोदन।	27 मई 2020	पारेषण टैरिफ
29	9 / टीटी / 2019	छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमीशन कंपनी लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के अनुसार पारेषण प्रभारों और हानियों, कनेक्शन के प्वाइंट की संगणना में इन आस्तियों	27 मई 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			को शामिल करने के लिए, आईएसटीएस लाइनों के रूप में विद्युत संप्रेषित करना अर्थात् (i) कोटमिकाला—अमरकंटक—1, 220 केवी लाइन (ii) कोटमिकाला—अमरकंटक—2, 220 केवी लाइन (iii) रायगढ़ बुधिपदार 220 केवी लाइन (iv) कोरबा—बुधिपदार 220 केवी लाइन (v) सियोनी—भिलाई 400 केवी लाइन याचिकाकर्ता (सीएसपीटीसीएल) से संबंधित पारेषण लाइनों के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक पारेषण टैरिफ़ के अवधारण के लिए याचिका।		
30	388 / टीटी / 2019	मध्यप्रदेश पावर ड्रांसमीशन कंपनी लि.	केविविआ (टैरिफ़ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग) विनियम 2010 के अनुसार के अनुसार प्वाइंट आफ कनेक्शन, पारेषण प्रभारों और हानियों की संगणना में इन अस्तियों को शामिल करने के लिए आईएसटीएस लाइनों के रूप में विद्युत प्रेषित करने के लिए याचिकाकर्ता (सीएसपीटीसीएल) से संबंधित पोरेषण लाइनों के 7 की 2014–19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ़ का अवधारण।	28 मई 2020	पारेषण टैरिफ़
31	10 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	भारत में विद्युत – पारेषण कॉरिडोर आवंटन के लिए वास्तविक समय बाजार का कार्यान्वयन	28 मई 2020	स्वप्रेरणा याचिका
32	11 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम 2014 के कुछेक उपबंधों को प्रभाव देने के लिए कठिनाइयों का निराकरण।	29 मई 2020	स्वप्रेरणा याचिका
33	225 / आरसी / 2020	इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	भारतीय उर्जा एक्सचेंज लि. में वास्तविक समय बाजार कांट्रेक्ट की शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2010 के विनियम 7 के अधीन याचिका।	29 मई 2020	विनियामक अनुपालन
34	304 / एमपी / 2020	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि.	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम 2019 के विनियम 6.5 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम 2019 के विनियम 13(ख) के अधीन वास्तविक समय बाजार के लिए फ्रेवर्क के अधीन पारेषण कॉरिडोर के पारदर्शी आवंटन और पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. में वास्तविक समय बाजार की शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2010 के विनियम 2ए 4ए 6ए 7 और 11 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178(2)(म) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका।	29 मई 2020	विविध याचिका
35	11 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—क: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रायपुर (मौजूदा) – रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) पारेषण लाइन आस्ति—ख: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) – रायगढ़ (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन आस्ति—ग: संबद्ध बेज सहित	01 जून 2020	पारेषण टैरिफ़



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			400 केवी डीसी रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) – रायगढ़ (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन आस्ति–घ: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) – रायगढ़ पूलिंग में स्पेयर यूनिट सहित 765 केवी 240 एमवीए बस रिएक्टर तथा स्पेयर यूनिट सहित (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन 765/400 केवीए 1500 एमवीए, आईसीटी-। आस्ति–ङ: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) – रायगढ़ पूलिंग में स्पेयर यूनिट सहित 765 केवी 240 एमवीए बस रिएक्टर तथा स्पेयर यूनिट सहित (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन 765/400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी-II, 80 एमवीएआर बस रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित बस रिएक्टर के रूप में 765 केवी, 3X80 एमवीएआर, 765 केवी के लिए शंट रिएक्टर, डीसी रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित सीकेटी-। आस्ति–च: संबद्ध बेज सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) में स्पेयर यूनिट सहित 765 केवी 240 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा स्पेयर यूनिट सहित 765/400 केवीए 1500 एमवीएए आईसीटी आस्ति–ङ: संबद्ध बेज सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) में स्पेयर यूनिट सहित 765 केवी बस रिएक्टर आस्ति–ङ: संबद्ध सहित रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (कोटरा) में 765/400 केवी, 1500 एमवीएए आईसीटी-III आस्ति–ज: (“पारेषण परियोजना के रूप में उल्लिखित”) पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सेट ए/ डीपीआर-। में आईपीपी उत्पादन टैरिफ परियोजनाओं के लिए रायपुर और रायगढ़ (कोटरा) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना के अधीन (पारेषण आस्ति/समन्वित आस्ति के रूप में इसके बाद उल्लिखित) संबद्ध बेज सहित बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित पूलिंग स्टेशन (नजदीक) कोटरा रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) सीकेटी-२ के लिए शंट रिएक्टर 765 केवी, 3X80 एमवीएआर तथा संबद्ध बेज सहित रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक) कोटरा में 765/400 केवी, 1500 एमवीएए आईसीटी-IV के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निर्बंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निर्बंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
36	60 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-।: चुलियार/बालाकड उपकेन्द्र में उदुमलपेट-मदाकठारा (उत्तरी त्रिचुर) 400 केवी डीसी लाइन के सर्किट । का लीलो आस्ति-2: चुलियार/बालाकड उपकेन्द्र में उदुमलपेट-मदाकठारा (उत्तीर त्रिचुर) के सर्किट-। का लीलो आस्ति-3: बालाकड (चुलियार) में 65 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-4: संबद्ध बेज सहित ।X315 एमवीए 400/220	01 जून 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			केवी आईसीटी तथा पलक्कड (चूलियार) में 220 केवी डाउनस्ट्रीम प्रणाली आस्ति-5: संबद्ध बेज सहित I X 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी और चुलियार / बालाकड में उपकरण को शामिल करते हुए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण XI के अधीन संबद्ध पारेषण आसितयों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
37	35 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: चैबासा उपकेन्द्र में I X 63 एमवीएआर (नियत) लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी बेस के 2 संख्या आस्ति-2: चैबासा उपकेन्द्र में I X 63 एमवीएआर (नियत) लाइन रिएक्टर आस्ति-3: रांची 765/400 केवी उपकेन्द्र में 2 X 50 एमवीएआर सहित 400 केवी लाइन बेस की 2 संख्या आस्ति-4: खड़गपुर उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेस की 2 संख्या आस्ति-5: पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-VIII" के अधीन पुरुलिया उपकेन्द्र के 400 केवी लाइन बेस के 2 संख्या विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03 जून 2020	पारेषण टैरिफ
38	52 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-क: पटना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित ₹ 400 केवीए 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-ख: रांची में संबद्ध बेज सहित ₹ 400 केवीए 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-ग: मालदा उपकेन्द्र में 160 एमवीए ट्रांसफार्मर (प्रथम) और संबद्ध बेस आस्ति-घ: मालदा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज तथा 160 एमवीए ट्रांसफार्मर (द्वितीय) आस्ति-ड: मालदा उपकेन्द्र में 400 केवी बे 1 नंबर आस्ति-च: 160 एमवीए ट्रांसफार्मर और 220 / 132 केवी बिरपरा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज आस्ति-छ: पूर्वी क्षेत्र में पीआरएसएस 4 परियोजना के अधीन 220 केवी सिलिगुडी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज 160 एमवीएआर ट्रांसफार्मर को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-प्ट के अधीन संबद्ध पारेषण आसितयों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 जून 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

39	483 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: कोपिली में 160 एमवीए, 220/132 केवी, 3-फेज आटो ट्रांसफार्मर आस्ति-2: संबद्ध बेज सहित 132 केवी एस/सी कोपिलि खण्ड गांव पारेषण लाइन आस्ति-3: दीमापुर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और 100 एमवीए, 220/132 केवीए 3-फेज आटो ट्रांसफार्मर आस्ति-4: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 132 केवी दीमापुर कोहिमा पारेषण लाइन का लीलो को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	05 जून 2020	पारेषण टैरिफ
40	87 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रायगढ़ - रायपुर पारेषण लाइन आस्ति-2: रांची उपकेन्द्र का विस्तार 400 केवी डीसी रायगढ़ - रायपुर पारेषण लाइन आस्ति-3: रायपुर उपकेन्द्र में 40 प्रतिशत नियत सीरिज क्षतिपूर्ति पैकेज का प्रावधान आस्ति-4: 400 केवी डीसी राउरकेला - रायगढ़ पारेषण लाइन और रायगढ़ तथा राउरकेला में संबद्ध बेज को शामिल करते हुए पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी पश्चिमी पारेषण कोरिडोर सुदृढ़ीकरण योजना से संबद्ध समन्वित आसितयों का केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	05 जून 2020	पारेषण टैरिफ
41	आईए नं. 57 / 2019 के साथ 74 / एमपी / 2019	अजूर पावर इण्डिया प्रा. लि.	01.01.2019 से लागू अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त गैर आवर्ती व्यय के परिणामतः सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर लागू सेवा कर दर और मार्ग को संशोधित करने के साथ प्रभावी रूप से संशोधित करने के साथ-साथ वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 31.12.2018 के समेकित कर (दर) के केन्द्रीय कर (दर) और 25 तथा 28 - 2018 के अधिसूचना संख्या 24 और 28 को जारी करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण घोषणात्मक एवं क्षतिपूरक सहायता की मांग करने के साथ-साथ विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद-12 और 29.10.2018 के अवार्ड पत्र के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 अधीन याचिका	05 जून 2020	विविध
42	506 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: ऑरंगाबाद एण्ड एवं संबद्ध बेज में सीकेटी के लिए 01 नंबर 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर तथा वर्धा एण्ड में 2 नंबर 330 एमवीएआर सिवचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी डीसी वर्धा ऑरंगाबाद लाइन 2	10 जून 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (आईपीपीजी) में आईपीपी परियोजनाओं के लिए वर्धा ओरंगाबाद कॉरिडोर में पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अधीन ओरंगाबाद एण्ड में वर्धा ओरंगाबाद सीकेटी'4 के लिए 01 नंबर 240 एमवीएआर 765 केवी लाइन रिएक्टर के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
43	507 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: बिहारशरीफ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-2: पूर्णिया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 220 केवी / 132 केवीए 160 एमवीए आईसीटी-। आस्ति-3: पार्ट-2 अर्थात पूर्वी क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता और रिएक्टिव क्षतिपूर्ति को बढ़ाने के अधीन पूर्णिया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 220 केवी / 132 केवी, 160 एमवीए आईसीटी-II के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँग अप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	12 जून 2020	पारेषण टैरिफ
44	12 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	14 जून, 2020 के आगे की अवधि के लिए भारत में विद्युत के लिए वास्तविक समय बाजार — पारेषण कॉरिडोर आवंटन।	14 जून 2020	स्वप्रेरणा याचिका
45	362 / टीटी / 2019	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014, केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 और इसके संशोधन के अनुसार संयोजकता प्रभारों के प्वाइंट और हानियों की संगणना में शामिल करने के लिए विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक पारेषण लाइनों के हस्तक्षेप और अन्य राज्यों के साथ संबद्ध 19 संख्या आरआरवीपीएनएल स्वामित्व की पारेषण लाइनों प्रणालियों के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण।	15 जून 2020	पारेषण टैरिफ
46	5 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	आरईसी फ्रेमवर्क के लिए फोरबीयरेन्स और फलोर कीमत का अवधारण	17 जून 2020	स्वप्रेरणा याचिका
47	301 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में टिहरी कर्मनाशा पारेषण प्रणाली के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के पारेषण	17 जून 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंग अप तथा 2004–01 टैरिफ ब्लॉक, 2004–09 टैरिफ ब्लॉक, 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
48	527 / एमपी / 2020	एनएलसी इण्डिया लि.	यूनिट 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक या 30.09.2020 तक जो भी पहले हो यूआई तंत्र के अधीन इनफर्म विद्युत के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर के प्रत्याहार के लिए पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए 2×500 एमडब्ल्यूएनएलसीआईएल–नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनएनटीपीपी), के यूनिट 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा में प्रत्याशित विलंब।	17 जून 2020	विविध याचिका
49	168 / एमपी / 2019	कोस्टल गुजरात पावर लि.	याचिका संख्या 77 / एमपी / 2016 में 17.9.2018 के माननीय आयोग के आदेश ओर प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश के खण्ड 4.7 और 22.04.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	22 जून 2020	विविध याचिका
50	26 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के गदरवारा एसटीपीएस के लिए पारेषण प्रणाली के भाग क से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अधीन जबलपुर पूलिंग स्टेशन 765 केवी डीसी गदरवाडा एसटीपीएस (एनटीपीसी) के लिए जबलपुर पूलिंग स्टेशन में 765 केवी लाइन बेज के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंग अप तथा 2004–01 टैरिफ ब्लॉक, 2004–09 टैरिफ ब्लॉक, 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	06 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
51	279 / जीटी / 2018 में 11 / आरपी / 2020	एनएचपीसी लि.	11.10.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए उरी-2 एचई प्रोजेक्ट (240 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 279 / जीटी / 2018 में 5.2.2020 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।	10 जुलाई 2020	पुनरीक्षण याचिका
52	300 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) 2001–04 टैरिफ अवधि, 2004–09 टैरिफ अवधि 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण (ii) केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण ट्रॉइंगअप (iii) पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी उत्तरी अंतर क्षेत्रीय एचटीडीसी पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी बिहारा शरीर– सासाराम सारनाथ पारेषण लाइन के लिए 400 केवी लिए केविविआ (टैरिफ की	12 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
53	270 / जीटी / 2019	टोरंट पावर लि.	द्रौंगअप कार्य के कार्य के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए सूजेन पावर संयंत्र (1147.5 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	13 जुलाई 2020	उत्पादन टैरिफ
54	139 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: हीरा नगर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 132 केवी डीसी सेवा-2 हीरानगर लाइन का एक सर्किट तथा महानपुर में संबद्ध बेज और 132 केवी डीसी सेवा-2 महानपुर लाइन का एक सर्किट आस्ति-2: हीरा नगर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 132 केवी डीसी सेवा-2 हीरानगर का दूसरा सर्किट आस्ति-3: कठुआ में संबद्ध बेज सहित 132 केवी एससी सेवा-2 महानपुर कठुआ पारेषण लाइन तथा महानपुर एवं कठुआ में बेज सहित 132 केवी एससी महानपुर कठुआ पारेषण लाइन को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में सेवा-2 एचईपी से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
55	137 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1 (i): सूजलपुर में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और सूजलपुर में नया उपकेन्द्र सहित सूजलपुर उपकेन्द्र में 400 केवी डीसी बिनानगदा का लीलो आस्ति-1 (ii): नगदा उपकेन्द्र में रिएक्टर के लिए स्विचेबल योजना आस्ति-1 (iii): बिना उपकेन्द्र में रिएक्टर के लिए स्विचेबल योजना आस्ति-2: संबद्ध बेज सहित सूजलपुर में 400 केवी 63 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-3: संबद्ध बेज सहित सूजलपुर में 400 / 220 केवी आईसीटी-1 आस्ति-4: परिचमी क्षेत्र में पारेषण योजना डब्ल्यूआरएसएस IX पारेषण योजना के अधीन संबद्ध बेज सहित सूजलपुर में आईसीटी-2 को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
56	119 / एमपी / 2019	एनटीपीसी लि.	बद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के चरण-2 को प्रभावित करने वाले कानून में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(क) और 79(1)(च) के अधीन याचिका	19 जुलाई 2020	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

57	272 / जीटी / 2019	टोरंट पावर लि.	याचिका सं. 401 / जीटी / 2014 में 18.8.2016 के आयोग के आदेश द्वारा टैरिफ अवधारण का द्रौद्धगत 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए यूएनओएसयूजीएन पावर प्लांट (382.5 एमडब्ल्यू) के टैरिफ का पुनरीक्षण।	20 जुलाई 2020	उत्पादन टैरिफ
58	308 / एमपी / 2019	खरगौन पारेषण लि.	विधि घटनाओं में परिवर्तन और अप्रत्याशित घटना के कारण 14.3.2016 के पारेषण सेवा करार के अधीन प्रतिपूरक और घोषणात्मक राहत सहित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को बढ़ाने की मांग के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 और 79(1)(ग) और 79(1)(च) के अधीन याचिका।	20 जुलाई 2020	विविध याचिका
59	280 / एमपी / 2019	ईस्टर्न कोलफील्ड्स	2015 की रिट याचिका सं.17044 के 23.9.2016 के आदेश के साथ पठित एमएटी सं. 1981 / 2016 के साथ सीएएन सं. 11255 / 2006 में 10.6.2019 के आदेश के माध्यम से भारत के सविधान के अनुच्छे 226 के अधीन माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय से संदर्भ के अनुसर और विद्युत अधिनियम 2003 के अन्य लागू उपबंधों एवं धारा 73(ङ), 79(ग) और 79(1)(च) के अधीन याचिका।	21 जुलाई 2020	विविध याचिका
60	13 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2020 के विनियम 8 अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्तरीकृत जेनरिक टैरिफ का अवधारण।	21 जुलाई 2020	स्वप्रेरणा याचिका
61	याचिका सं. 97/MP/2019 में 16 / आरपी / 2020	मगध शुगर एण्ड एनर्जी लि.	याचिका सं. 97 / एमपी / 2020 में 9.1.2020 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	21 जुलाई 2020	पुनरीक्षण याचिका
62	165 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित पटियाला में नालगढ़-कैथल लाइन का लीलो आस्ति-2: पटियाला उपकेन्द्र में 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-III आस्ति-3: पटियाला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित पटियाला उपकेन्द्र में 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-4: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली के सुदृढ़ीकरण योजना-XIV के अधीन मलारकोटला उपकेन्द्र में 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-III को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
63	466 / एमपी / 2019	सिमभोली पावर प्रा. लि.	याचिकाकर्ता को देय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने केलिए और नवीकरणी उर्जा प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए विधि के अनुपालन में	22 जुलाई 2020	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			विलंब और मार्च 2019 माह के लिए उर्जा अंतःक्षेपण रिपोर्ट डाटा अपलोड करने में विलंब की छूट की मांग करते हुए केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन टैरिफ के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम के विनियम 3,7,14, 15 और केविविआ (कारोबार विनियम का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 27 और 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(ट) और विनियम 2 (1)(घ) के अधीन दाखिल याचिका।		
64	याचिका सं. 43/GT/ 2018 में 1/आरपी/2020	एनएचपीसी लि.	18.5.2018 से 31.3.2019 की अवधि के लिए किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (330 एमब्ल्यू) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका सं0 43/जीटी/2018 में 28.10.2019 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।	22 जुलाई 2020	पुनरीक्षण याचिका
65	70/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: इंदौर (एमपीपीटीसीएल) उपकेन्द्र में इटारसी-इंदौर (एमपीपीटीसीएल) 400 केवी 2Xएस/सी लाइन के प्रयोक सर्किट में 50 एमवीएआर, 420 केवी नियत लाइन रिएक्टरों का स्विचेबल लाइन रिएक्टर में परिवर्तन। आस्ति-2: शुजलपुर उपकेन्द्र में 400 केवी डीसी बिना (पीजी) शुजलपुर पारेषण लाइन में 50 एमवीएआर, 420 केवी नियत लाइन रिएक्टरों का स्विचेबल लाइन रिएक्टर में परिवर्तन। आस्ति-3: भद्रावती उपकेन्द्र में भद्रावती-धारीवाल 400 केवी एस/सी लाइन में 63 एमवीएआर, 420 केवी नियत लाइन रिएक्टरों का बस रिएक्टर में परिवर्तन। आस्ति-4: खंडवा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 नं. 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-3 आस्ति-5: खंडवा उपकेन्द्र में 2 नं. 220 केवी बेज आस्ति-6: बोयेसर उपेन्द्र में 1 नं. 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी.4 आस्ति-7: कला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 नं. 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-3, और आस्ति-8: पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यू आर एसएस XVII के अधीन डेहगम उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 नं. 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-3 को शामिल करते हुए समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ढूँगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
66	130/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: (क) 420 केवी डी/सी सिलचर-इम्फाल लाइन की समाप्ति के लिए 400/132 केवीए 2X315 एमवीए (7X105 एमवीए, 1-पीएच) आईसीओए 2 नं. 400 केवी लाइन बेज की स्थापना द्वारा 400 केवी तक मौजूदा 2X50 एमवीए, 132/33 केवी इम्फाल	25 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			(पावरग्रिड) उपकेन्द्र और इम्फाल उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 80 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर का उन्नयन (ख) सिल्वर-इमुल 400 केवी डीसी लाइन की समाप्ति के लिए 400 केवी जीआईएस लाइन बेज का 2 नं के साथ मौजूदा 400 / 132 केवी सिल्वर (पावरग्रिड) का विस्तार। आस्ति-2: सिल्वर उपकेन्द्र में जीआईएस बेज के साथ IX125 एमवीएआरए 420 केवी बस रिएक्टर की स्थापना। आस्ति-3: बलीपारा (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित Ix125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर। आस्ति-4: बोंगेगांव (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित Ix125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर। आस्ति-5: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में "उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-IV" के अधीन दोनों अंत में बे उपकरण में उन्नयन/परिवर्तन की आवश्यकता के साथ उच्च क्षमता एचटीएलएस कंडक्टर के साथ अगरतला जीबीपीपी-अगरतला (राज्य) 132 केवी डी/सी लाइन के पुनर्गठन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के सबध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
67	382 / एमपी / 2018	एनटीपीसी लि.	याचिकार्ता एनटीपीसी के 5 गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए 13.3 विनियम के अधीन भिन्न प्रभारों की कम वसूली के पहलू पर कठिनाइयों को दूर करने और छूट की शक्ति का प्रयोग की मांग करते हुए केविविआ (सहायक सेवा प्रचालन) विनियम 2015 के विनियम 15 और 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79 के अधीन याचिका।	27 जुलाई 2020	विविध याचिका
68	27 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में "डब्ल्यूआरएसएसएस-एक्स पारेषण योजना" के अधीन 3X80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 3X80 एमवीएआर बस रिएक्टर और 765 / 400 केवी, 1000 एमवीएआईसीटी 1 एवं 2 के साथ सिपत-सियोनी सीकेटी-1 के लीलो के साथ 765 / 400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन (समीप सिपत) को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के अनुसार केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

69	505 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—1: फरक्का और मालदा में संबद्ध बे उपकरण के उन्नयन/प्रतिस्थापन और एचटीएलएस के साथ एक सर्किट (सीकेटी-I) का पुनर्गठन। आस्ति—2: पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकण योजना—XIII के अधीन फरक्का और मालदा में संबद्ध बे उपकरण के उन्नयन/प्रतिस्थापन और एचटीएलएस के साथ एक सर्किट (सीकेटी-II) फरक्का—मालदा 400 केवी डी/सी के पुनर्गठन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के अनुसार केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
70	101 / एमपी / 2019	दामोदर वैली कार्पोरेशन लि.	विधि में परिवर्तन के रूप में 25.1.2016 की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के तनन्तर पलाईएश की परिवहन लागत की शेयरिंग के कारण किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम (3) (ii) तथा 8 (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 (1) तथा 79 (1) (क) के अधीन याचिका।	29 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
71	329 / एमपी / 2020	टाटा पावर दिल्ली वितरण लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 के अन्य लागू उपबंधों और धारा 62 (4) के साथ पठित धारा 79 (क) (1) (क) और (च) के अधीन याचिका।	30 जुलाई 2020	विविध याचिका
72	305 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	(i) सासाराम में बेक टू बेक 1×500 एमडब्ल्यू एचवीडीसी (ii) 24.2.2021 के शुद्धिपत्र। पूर्वी क्षेत्र, भारतीय ग्रिड पावर कार्पोरेशन लि. में पूर्वोत्तर अन्तर प्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी सारनाथ इलाहाबाद लाइन सहित सहायक प्रणाली एवं इलाहाबाद तथा सासाराम में संबद्ध एसी स्विचयार्ड की समन्वित आस्ति के से संबद्ध समन्वित आस्तियों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	30 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

73	288 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001–4, 2004–9, 2009–2014 के लिए पारेषण टैरिफ का संशोधन और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 जुलाई 2020	पारेषण टैरिफ
74	याचिका सं. 24 / टीटी / 2018 में 4 / आरपी / 2020 का पुनरीक्षण	कनार्टक पावर ट्रांसमीशन कार्पोरेशन लि.	याचिका सं. 24 / टीटी / 2018 में 12.6.2019 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की अधारा 94 (1) (च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	03 अगस्त 2020	पुनरीक्षण याचिका
75	337 / एटी / 2020	सौलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.	मानक बोली मार्ग निर्देश 3.8.2017 के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनिंदा और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 480 एमवी सौलर पीवी प्रोजेक्ट (ट्रांये-V) के लिए टैरिफ की अंगीकारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	04 अगस्त 2020	टैरिफ अंगीकार
76	48 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	समन्वित आस्ति क1: आस्ति-(1) बेतूल जीआईएस में 2X50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर एवं सबंद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी मौदा II-बेतूल (क्वेद) पारेषण लाइन (2) बेतूल जीआईएस संबद्ध बेज सहित 4 नं. 220 केवी लाइन बेज एवं 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर एवं संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी-I एवं आईसीटी-II एवं (3) खण्डवा उपकेन्द्र में 2X50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर एवं बेतूल जीआईएस में 2X50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर एवं दोनों अंत में सबंद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी बेतूल-खण्डवा (क्वेद) लाइन; आस्ति क2: पश्चिमी क्षेत्र में "मौदा रेटेज-2 (2x660 एमडब्ल्यू) उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट" के अधीन संबद्ध बेज सहित खण्डवा-इंदौर 400 केवी डी / सी पारेषण लाइन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	05 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
77	426 / एमपी / 2019	यदु शुगर लि.	नवीकरण उर्जा प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन याचिकाकर्ता का पंजीकरण और नवीकरण उर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करना / जारी करना तथा पुनः प्रत्योजन के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने के लिए केविविआ	06 अगस्त 2020	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			(नवीकरणीय उर्जा उत्पादन टैरिफ के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाण पत्र जारी करना और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 एवं 15 के साथ पठित विद्युत 2003 के धारा 66 व 79 के अधीन याचिका।		
78	266 / एमपी / 2020	सेंट्रल ट्रांसमीशन यूटिलिटी	याचिका सं. 252 / एमपी / 2019 में 11.12.2019 के आदेश और याचिका सं. 92 / एमपी / 2015 में 8.3.2019 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए निर्देश की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अधीन याचिका।	07 अगस्त 2020	विविध याचिका
79	587 / एमपी / 2020	एनएचपीसी लि.	पारबती हाइड्रो इलेविट्रिक परियोजना स्टेज-2 के मामले में 6 महीने से आगे इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतर्राजिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ट) के अधीन याचिका।	07 अगस्त 2020	विविध याचिका
80	96 / टीटी / 2019	तीसतावैली पावर ट्रांसमीशन लि.	पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी तीस्ता-3 किशनगंज पारेषण प्रणाली के 63 एमवीएआर एरिक्टर की 2 संख्या और लाइन बेज की 2 संख्या, 400 केवी डीरी रंगपुर किशनगंज सेक्षन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
81	600 / एमपी / 2020	नवीनगर पावर जनरेटिंग कं. लि.	11.8.2020 से आगे इसके प्रथम सिंक्रानाइजेशन की तारीख से 6 महीने की अवधि के आगे नवी नगर एसटीपीएस स्टेज-1 (3×600 एमडब्ल्यू), के यूनिट-2 के द्वायल रन प्रचालन के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करना।	12 अगस्त 2020	विविध याचिका
82	602 / एमपी / 2020	एनटीपीसी लि.	13.8.2020 से आगे इसके प्रथम सिंक्रानाइजेशन की तारीख 6 महीने की विस्तारित अवधि के आगे ग्रिड से लारा एसटीपीपी (2×800 एमडब्ल्यू) के यूनिट 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषण और शेष गतिविधियों के लिए इनफर्म पावर की अंतःपरिवर्तन के अनुमति के लिए मांग हेतु केविविआ (अंतर्राजिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	12 अगस्त 2020	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

83	243 / एमपी / 2019	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि.	याचिकाकर्ता को देय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए और नवीकरणी उर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्रियाविधि के अनुपालन में विलंब तथा अक्टूबर 2018 माह के लिए उर्जा अंतक्षेपण रिपार्ट डाटा अपलोड करने में विलब की छूट की मांग करते हुए केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन टैरिफ के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निर्बंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 3, 7, 14 व 15 तथा केविविआ (कारोबार विनियम का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 27 और 111 के साथ पठित विनियम 2 (क) (घ) तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (च) के अधीन दाखिल याचिका।	14 अगस्त 2020	विविध याचिका
84	याचिका सं. 305 / एमपी / 2015 में 14 / आरपी / 2020	आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सिज लि.	2019 के आईए नं. 24 सहित याचिका सं. 305 / एमपी / 2015 में आयोग द्वारा पारित 29.1.2020 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका।	14 अगस्त 2020	पुनरीक्षण याचिका
85	158 / एमपी / 2019	आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सिज लि.	इस आशय की घोषणा की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के साथ पठित धारा 79 (1) (ख) याचिका कि दिसंबर 2018, जनवरी 2019 और फरवरी 2019 माह के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जुटाये बिलों से क्षमता प्रभार और लगाए दण्ड के लिए प्रतिवादियों द्वारा की गई कटौतियां अवैध तथा गलत हैं एवं तदन्तर दिसंबर 2018, जनवरी 2019 और फरवरी 2019 अर्थात लगाए गए दण्ड और अदत्त क्षमता प्रभार के लिए जुटाये गए बिलों के लिए रोकी गई राशि / काटी गई राशि को भुगतान के लिए संयुक्त रूप से या अलग से प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया।	15 अगस्त 2020	विविध याचिका
86	105 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 40 / आरपी / 2017 में 6.11.2018 के आदेश में आयोग के निर्देशों अनुसरण में केविविआ (टैरिफ की निर्बंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन दक्षिण क्षेत्र में तूतीकोरिन एरिया पार्ट-बी में एनटीओए उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट-भारत पावर (मद्रास लि.) – तटीय एनर्जन प्रा. लि. से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन (400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित) तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन – स्लेम पूलिंग स्टेशन 765 केवी पूलिंग लाइन स्टेशन के दोनों सर्किटों के प्रत्येक के अंत में स्लेम पूलिंग स्टेशन और तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन और 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर में बे विस्तार सहित (400 केवी पर आरंभिक रूप से प्रभारित) तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन – स्लेम पूलिंग स्टेशन 765 केवी डीसी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के पुनः अवधारण एवं केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

87	77 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 अगस्त 2020	विविध याचिका
88	58 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सूदृढ़ीकरण IX के अधीन 400 / 220 केवी हसन एवं मैसूर उपकेन्द्र के विस्तार और हसन मैसूर 400 केवी डीसी पारेषण लाइन से संबद्ध समन्वित आस्तियों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001-4, 2004-9, 2009-2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
89	37 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 220 / 132 केवी बीरपाड़ा उपेन्द्र में जीआईएस के साथ डबल मैन (डीएम) योजना में स्थिरांशियर सहित 132 केवी बस प्रबंध में संशोधन आस्ति-2: बंका उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-3: चैबासा उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-4: लखीसराय उपेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-5: दुर्गापुर उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-6: बारीपाड़ा उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-7: बोलनगिर उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर और आस्ति-8: पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी क्षेत्र सूदृढ़ीकरण योजना XIV" के अधीन संबद्ध बेज सहित किआॉनझार उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	17 अगस्त 2020	विविध
90	15 / एसएम / 2020	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञापित्यारियों द्वारा शुद्ध मालियत अपेक्षा के अनुपालन के समर्थन के लिए केविविआ (व्यापार अनुज्ञापित्य प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के अधीन अपेक्षित लेखा परीक्षित विशेष तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार।	17 अगस्त 2020	स्वप्रेरणा याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

91	107 / टीटी / 2017	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में पारबती-3 एचईपी के साथ पारेषण प्रणाली के अधीन 4 आस्तियों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 के पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लि।।	17 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
92	25 / एमपी / 2019	इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	भारतीय उर्जा एक्सचेंज लि. में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (नवीकरणीय उर्जा) कांट्रैक्टों की शुरुआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (पारेषण मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका।	17 अगस्त 2020	विविध
93	170 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति क: भिनमाल में 80 एमवीएआर बस रिक्टर सहित भिनमाल में 400 केवी डी/सी कंकरौली-ज़रदा लाइन के एक सर्किट का लीलो; आस्ति ख: संबद्ध बेज सहित भिनमाल में 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-I; आस्ति ग: संबद्ध बेज सहित भिनमाल में 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-II; आस्ति घ: हिसार में संबद्ध बेज सहित भिनमाल में 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-III; आस्ति ड: उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-VIII" के अधीन कवर हिसार उपकेन्द्र में 2 नं. 220 केवी बेज को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।।	19 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
94	268 / जीटी / 2019	टोरंट पावर लि.	2019-24 अवधि के लिए यूनोसुजेन पावर प्लांट (382.5 एमडब्ल्यू) के टैरिफ का अनुमोदन।।	20 अगस्त 2020	उत्पादन टैरिफ
95	136 / टीटी / 2017	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: बनाला में 400 केवी डी/सी पारबती-II-कोलदम के 1st Ckt. का लूप आउट आस्ति-2: बनाला में 400 केवी डी/सी पारबती-II-कोलदम के 1st Ckt. का लूप इन आस्ति-3: पारबती-III (बी-सी भाग) में लीलो ओर पूलिंग स्टेशन में पारबती-II कोलदम पारेषण लाइन के 2nd Ckt. का लीलो एवं आस्ती-4: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में पारबती-III (एफ-जी भाग) से संबद्ध पारबती-III में लीलो और संबद्ध बेज सहित पूलिंग स्टेशन में पारबती-II कोलदम पारेषण लाइन के 2nd Ckt. के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से	20 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।		
96	184 /एमपी /2020	दक्षिण क्षेत्री भारत प्रेषण केन्द्र	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एसआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एसआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 29 और विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत करना।	21 अगस्त 2020	विविध याचिका
97	529 /एमपी /2020	सीरीजन एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	पीजीसीआइएस द्वारा क्रमशः स्टेज-2 संयोजकता सूचना सं. C/CTU/W/07/LTA/120000225। दिनांक 14.6.2018 और C/CTU/ConSt.-II/WR/12000003। 29.2.2011 के माध्यम से प्रदान की गई दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और स्टेज-2 संयोजकता अंतरित करने में सुजन उर्जा प्रणाली प्रा. लि. द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त विनियमों के विनियम 8क की छूट की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 33 का और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(g) के अधीन याचिका।	21 अगस्त 2020	विविध याचिका
98	95 /टीटी /2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: फरकका (एनटीपीसी का उपकेन्द्र) में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज और ब्रह्मपुर उपकेन्द्र में 1 नं. 400 केवी लाइन बे के साथ फरकका-ब्रह्मपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन; आस्ति-2: संबद्ध लाइन बेज सहित सागरडिंडी (डब्ल्यूपीडीसीएल) उपकेन्द्र में फरकका-जीरत 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो; आस्ति-3: पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XV के अधीन ब्रह्मपुर उपकेन्द्र में 01 नं. 400 केवी लाइन बे और 01 नं. 125 एमवीएआर बस रिएक्टर को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूर्लंगाप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
99	217 /एमपी /2016	थर्मल पावरटेक कार्पोरेशन इण्डिया लि.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में वितरण कंपनियों और थर्मल पावर टेक कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के बीच में प्रविष्ट 1.4.2013 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 10 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ	21 अगस्त 2020	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79के अधीन विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली याचिका।		
100	557 / टीडी / 2020	श्री सीमेंट लि.	श्रेणी-2 से श्रेणी-4 में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्ति के अवनयन के लिए आवेदन।	21 अगस्त 2020	व्यापार अनुज्ञाप्ति
101	346 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में सीपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सृदृढ़ीकरण से संबद्ध पावरग्रिड कार्य के अधीन 765 / 400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन में स्थिरेबल लाइन रिएक्टर 2 नं. 240 एमवीएआरए 765 केवी डीसी लाइन – राजनंदगांव टीबीसीबी – बिलासपुर पीएस (पावरग्रिड) के लिए 765 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन (पावरग्रिड) में आस्ति-2 नं. 765 केवी लाइन बेज के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
102	490 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में राजगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 / 200 केवी राजगढ़ उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर को शामिल करते हुए पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	22 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
103	327 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित न्यू पूर्निया उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर, 400 केवी बस रिएक्टर, आस्ति-2: एक सीकेटी न्यू सिलिगुड़ी-न्यू पूर्निया 400 केवी डी/सी (क्वेड) लाइन के अंत न्यू पूर्निया में नियत लाइन रिएक्टर के रूप में स्थापना के लिए न्यू पूर्निया बस में संस्थापित 1 नं. 63 एमवीएआर बस रिएक्टर का परिवर्तन, आस्ति-3: न्यू पूर्निया 400 केवी बस में 1 नं. न्यू 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, आस्ति-4: दुर्गापुर और मैथान उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित दुर्गापुर-मैथान 400 केवी डी/सी लाइन, आस्ति-5: सिलिगुड़ी 400 केवी बस में 01 नं. न्यू 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, 400 केवी सिलिगुड़ी उपकेन्द्र में 3 नं. 63 एमवीएआर रिएक्टर का परिवर्त, आस्ति-6: न्यू सिलिगुड़ी उपकेन्द्र में न्यू 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना और आस्ति-7: पूर्णी क्षेत्र में ईआरएसएस-II के अधीन बारीपाड़ा में 220 / 132 केवी, 160 एमवीए आईसीटी को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के अनुसार केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24	22 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौङगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
104	47 / एमपी / 2019	अवादा विलन एनर्जी प्रा. लि.	'विधि में परिवर्तन' के अधीन घटनाओं के रूप में रक्षोपाय ड्यूटी के अनुमोदन की मांग के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	24 अगस्त 2020	विविध याचिका
105	259 / जीटी / 2019	टोरंट पावर लि.	1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए सूजेन पावर संयंत्र (1147.5 एमडब्ल्यू) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	24 अगस्त 2020	उत्पादन टैरिफ
106	आईए नं. 26 / 1क / 2020 के साथ 13 / आरपी / 2020	एनएचपीसी लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) और 116 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका संत्रया 124 / टीटी / 2018 में 25.4.2019 के ओदश के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	26 अगस्त 2020	पुनरीक्षण याचिका
107	310 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में 400/220 केवी वापी (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में 400/220 केवीए 1X315 एमवीए आटाट्रांसफार्मर (आईसीटी-III) के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौङगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	26 अगस्त 2020	विविध याचिका
108	478 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में तूतीकोरिन जेवी टीपीएस के एटीएस के अधीन 400/220 केवी मदुरई उपकेन्द्र के विस्तार और तूतीकोरिन जेवी – जेवी मदुरई 400 केवी डी / सी (क्वेद कंडक्टर) लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौङगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
109	496 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XIV योजना के अधीन संबद्ध बेज और 1X315 एमवीए, 400/220 केवीए द्वारा होसूर उपकेन्द्र के वृद्धि के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24	28 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
110	615 / एमपी / 2020	मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि.	प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से अर्थात 17.9.2020 के आगे 6 महीने की बढ़ाई गई अवधि के आगे ग्रिड से मेजा टीपीएस रेटेज-1 (2X660 एमडब्ल्यू) के यूनिट-2 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषण और शेष गतिविधियों के लिए इनफर्म पावर अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए मांग करने के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	28 अगस्त 2020	विविध याचिका
111	186 / एमपी / 2020	नॉर्थ इस्टर्न क्षेत्रीय भार प्रोषण केन्द्र	1.4.2014 से 31.3.2019 तक नियंत्रण अवधि के लिए एनईआरसी एलडीसी प्रभारों के संदर्भ में 2018–19 वित्तीय वर्ष के लिए एनईआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्ठादान संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत करना।	28 अगस्त 2020	विविध याचिका
112	349 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में तलचर-कोलर एचवीडीसी लिंक के तलचर और कोलर में 2nd स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	28 अगस्त 2020	पारेषण टैरिफ
113	126 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: मगरवाड़ा उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी नवसारी-कला पारेषण लाइन के एक सर्किट का लीलो और 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी-1 और 2 के साथ बेज, आस्ति-2: जीआईएस मगरवाड़ा (न्यू) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 80 एमवीएआर बस रिएक्टर और आस्ति-3: पश्चिमी क्षेत्र में “केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव के मगरवाड़ा में 400/220 केवी जीआईएस की स्थापना” के अधीन मगरवाड़ा उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी नवसारी-बोयसर पारेषण लाइन के 2nd बाज का लीलो के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ	24 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौँगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
114	69 /टीटी /2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: कुड़पा - मधुगिरी 400 केवी (वर्वेद) डी /सी लाइन की समाप्ति के लिए कुड़पा जीआईएस और मधुगिरी अंत में प्रत्येक में 2 नं. 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 2 नं. 400 केवी लाइन बेज; और आस्ति-2: दक्षिणी क्षेत्र में "वेमागिरी के आगे पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकण से संबद्ध उपकेन्द्र कार्य" के अधीन वेमागिरी पूलिंग स्टेशन (अर्थात् 2 नं. 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों) में वेमागिरी - चिलकालूरिपेटा 765 केवी डी /सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 01 नं. 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 2 नं. 765 केवी लाइन बेज के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
115	136 /टीटी /2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: मंडोला में 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी और आस्ति-2: "उत्तरी क्षेत्र में स्पेयर आईसीटी स्कीम" के अधीन लुधियाना में 315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौँगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	24 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
116	365 /एमपी /2019	महेन्द्रा रिन्यूएबेल्स प्रा. लि.	(i) 'विधि में परिवर्तन; घटना की घोषणा और (ii) याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों अर्थात् एमपी पावर मैनेजमेंट कं. लि. और दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच 17.4.2017 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 17 के अनुसार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए 30.7.2018 की अधिसूचना सं. 01 /2018-कस्टमस-एसजी के माध्यम से रक्षोपाय ड्यूटी के लगाने और शुरुआत के कारण पूँजी लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना, के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(व) के साथ पठित 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	24 जनवरी 2021	विविध याचिका
117	177 /एमपी /2019 और 178 /एमपी /2019	जेबीएम सोरल पावर महाराष्ट्र प्रा. लि.	जीएसटी विधियों के विनियमन के कारण विधि घटनाओं में परिवर्तन के अनुमोदन की मांग के लिए याचिकाकर्ता और सौर उर्जा कार्पोरेशन आफ इण्डिया के बीच निष्पादित 7.2.2017 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद	24 जनवरी 2021	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।		
118	281 / एमपी / 2019	मित्रहवायु (साबरमती) प्रा. लि.	(i) 'विधि में परिवर्तन; का अनुमोदन और (ii) याचिकाकर्ता और पीटीसी इण्डिया के बीच 21.7.2017 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 17 के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा विनियमित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियमों तथा सेवा कर अधिनियम 2017 और समेकित माल केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की शुरूआत के कारण पूँजी लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए परिणामी सहायता के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित 79 (1) (ख) के साथ पठित याचिका।	24 जनवरी 2021	विविध याचिका
119	151 / एमपी / 2019	इण्डिया ग्लाइकोल्स लि.	नवीकरणीय उर्जा प्रमाण पत्र और अन्य उचित निर्देशों को जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब की छूट की मांग करते हुए केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन टैरिफ के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाण पत्र जारी करना और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(ट) के अधीन दाखिल याचिका।	24 जनवरी 2021	विविध याचिका
120	2020 के आई.ए. नं. 11 के साथ 6 / आरपी / 2020	एसीएमई जयपुर सोरल पावर प्रा. लि.	याचिका सं. 33 / एमपी / 2018 में आयोग द्वारा पारित 9.10.2018 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 103 और सीपीसी के नियम 1 आदेश 47 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94(1)(च) के अधीन दाखिल याचिका।	24 जनवरी 2021	पुनरीक्षण याचिका
121	354 / जीटी / 2018	एनएचपीसी लि.	11.3.2016 (प्रथम यूनिट का सीओडी) से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तीस्ता लॉ डैम पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	24 जनवरी 2021	उत्पादन टैरिफ
122	2019 के आई.ए. नं. के साथ 157 / एमपी / 2018	प्रयत्न डेवलपर्स लि.	जीएसटी विधियों के विनियमन के कारण विधि घटनाओं में परिवर्तन के अनुमोदन की मांग के लिए याचिकाकर्ता और एनटीपीसी लि. के बीच निष्पादित 31.5.2017 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	24 जनवरी 2021	विविध याचिका
123	314 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी एससी चमेर-1 किशनपुर पारेषण प्रणाली के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

124	473 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—क: 220 केवी डी/सी आरएपीपी—बी—चितौड़गढ़ पारेषण लाइन, आस्ति—ख: पीएलसीसी प्रणाली सहित आरएपीपी—बी में 220 केवी डी/सी आरएपीपी—कोटा लाइन का लीलो और उदयपुर अंत में संबद्ध बेज सहित 220 केवी एस/सी आरएपीपी—बी—उदयपुर पारेषण लाइन और आस्ति—ग: उत्तरी क्षेत्र में “आरएपीपी—बी प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली” के अधीन एंटा अंत में संबद्ध बेज सहित 220 केवी एस/सी आरएपीपी—बी—एंटा पारेषण लाइन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रृश्यंगअप और टैरिफ अवधि 2001—4, 2004—9, 2009—2014 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
125	255 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में अस्ति: आगरा (पावरग्रिड) आगरा (यूपीपीसीएल) 400 केवी डीसी इंटरकनेक्शन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रृश्यंगअप 2001—4, 2004—9, 2009—2014 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण, केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
126	270 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—1: वर्धा उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित की जाने वाली 765 केवी डी/सी रायपुर पीएस—वर्धा लाइन 1 सीकेटी—2 के लिए 3×110 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, आस्ति—2क: वर्धा उपकेन्द्र में 765 केवी 3×110 एमवीएआर बस रिएक्टर, आस्ति—2 ख: वर्धा उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 765 केवी डी/सी रायपुर — वर्धा लाइन 1 सीकेटी—1 के लिए 3×110 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, आस्ति—2ग: 765 केवी डी/सी रायपुर पूलिंग स्टेशन—वर्धा लाइन—I पारेषण लाइन आस्ति—2घ: रायपुर पूलिंग स्टेशन (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित) में वर्धा I बे के 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति—2ड़: पश्चिमी क्षेत्र (आईपीपी—सी) में “छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट्स के लिए पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय भाग के साथ छत्तीसगढ़ में पूलिंग स्टेशन का एकीकरण” के अधीन रायपुर पूलिंग स्टेशन (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित) में वर्धा II बे के 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
127	85 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 40 / 220 केवी नालागढ़ उपकेन्द्र में +/-200 एमवीएआर स्टेटकाम। आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में नालागढ़ और लखनऊ का स्टेटकॉम के उपबंध के अधीन 400 केवी लखनऊ में +/-300 एमवीएआर स्टेटकाम के लिए सीओडी से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
128	353 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-क: 220 केवी इलाहाबाद-रेवा रोड डी/सी पारेषण लाइन सीकेटी-1 आस्ति-ख: 220 केवी इलाहाबाद-रेवा रोड डी/सी पारेषण लाइन सीकेटी- II आस्ति-ग: 220 केवी मोदीपुरम नारा पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति-घ: 220 केवी मोदीपुरम-सिमपोली पारेषण लाइन, आस्ति-ङ: 220 केवी इलाहाबाद-फुलपुर एस/सी पारेषणलाइन और आस्ति-च: उत्तरी क्षेत्र यूपी में 220 केवी सुदृढीकरण योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 220 केवी एस/सी मेरठ-शताब्दी नगर पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और टैरिफ अवधि 2001–4, 2004–9, 2009–2014 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
129	510 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में यूपीपीसीएल के अधीन मोदीपुरम में उपभार प्रेषण केन्द्र के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
130	71 / एमपी / 2019	सासन पावर लि.	2016 के अपील सं. 202 में विद्युत के लिए अपीलीय न्याधिकरण में 18.1.2019 के अधिनिर्णय के अनुसरण में यूएसडी की तुलना में आईएनआर के अप्रत्याशित, अदृश्य और अनियंत्रणीय मूल्यहास के कारण परियोजना आर्थिकी की बहाली और पूतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं	25 जनवरी 2021	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के अधीन याचिका।		
131	186 / एमपी / 2018	केएसके महानदी पावर कं. लि.	31.7.2012 के विद्युत क्रय करार की शर्तों के विपरीत क्षमता प्रभार, प्रोत्साहन उर्जा प्रभार, पारेषण प्रभार विलंब भुगतान प्रभार के लिए प्रतिवादियों, टीएसएसपीडीसीएल और पीएसएनपीडीसीएल द्वारा गलत रूप में काटी गई रकम की वापसी के लिए निर्देशों की मांग करते हुए याचिका।	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
132	245 / एमपी / 2018 में 9 / आरपी / 2020	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कं. लि.	याचिका सं. 2045 / एमपी / 2018 में 8.1.2020 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 (1) और सिविल क्रियाविधि कोड 1908 आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (घ) के अधीन पुनरीक्षण याचिका।	25 जनवरी 2021	पुनरीक्षण याचिका
133	404 / एमपी / 2019	कोस्टल गुजरात पावर लि.	याचिकार्ता और प्राप्तकर्ताओं के बीच निष्पादित 22.4.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ख) और 79 (1) (घ) के अधीन याचिका। शुद्धिपत्र दिनांक 26.3.2021	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
134	213 / एमपी / 2019	येरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	जीएसटी विधि के विधि के विनियमन के कारण विधि घटनाओं में परिवर्तन के अनुमोदन की मांग के लिए येरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. और नेशनल थर्मल पावर स्टेशन के बीच निष्पादित 22.6.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका। शुद्धिपत्र दिनांक 14.9.2021	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
135	211 / एमपी / 2019	रतनइंडिया सोलर 2 प्रा. लि.	जीएसटी विधि के विनियमन के कारण विधि घटनाओं में परिवर्तन के अनुमोदन की मांग के लिए रतन इंडिया सोलर प्रा. लि. और सोलर एनर्जी उर्जा कार्पोरेशन इंडिया लि. के बीच निष्पादित 27.6.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका। शुद्धिपत्र दिनांक 14.9.2021	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
136	265 / एमपी / 2020	पावरग्रिड वरौरा ट्रांसमिशन लि.	एनटीपीसी (पार्ट-क) के गदरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2×800 एमडब्ल्यू) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12.2, विधि में परिवर्तन के अधीन सहायता के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 और 79 (1) (ग) और (घ) के अधीन याचिका।		



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

137	579 / एटी / 2020	सोलर एनजी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.	मानक बोली मार्गनिर्देश 3.8.2017 के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनिदा और अंतरराजियक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 1150 एमडब्ल्यू सौर पौधी पावर प्रोजेक्ट (ट्रैंच-IV) के लिए टैथ्रफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	25 जनवरी 2021	टैरिफ अंगीकार
138	44 / एमपी / 2019	एसीएमई कोपल सोलर एनजी प्रा. लि.	याचिकाकर्ता को किए गए टैरिफ भुगतान से प्रतिवादी द्वार किए गए यादृच्छिक कटौतियों के लिए क्षतिपूरक/प्रभारों की मांग के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ट) सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) और धारा 79 (1) (ख) के अधीन याचिका।	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
139	64 / एमपी / 2019	एसपीआरएनजी अगनित्रा प्रा. लि.	(i) 5.7.2018 के विद्युत क्रय करार के अधीन 'विधि में परिवर्तन के रूप में' घटनाओं की घोषणा और (ii) स्प्रंग अगनित्रा प्रा. लि. और एनटीपीसीसि लि. के बीच निष्पादित 5.7.2018 के पीपीए के अनुच्छेद 12 के अनुसार राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई 30.8.2018 की अधिसूचना 01 / 2018—कर्स्टम एसजी के जरिए रक्षोपाय ड्यूटी की शुरुआत और लगाने के कारण पूँजी लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना, के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(V) सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (च) के साथ पठित धारा 79 (1) (ख) के साथ अधीन याचिका।	25 जनवरी 2021	विविध याचिका
140	316 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी धौलीगंगा एचईपी—बरेली (यूपीपीसीएल) के लिए केविविआ (टैरिफ की निर्धारण व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001–4, 2004–9, 2009–2014 और 2004–09 टैरिफ अवधि के पारेषण टरिफ के पुनरीक्षण के लिए और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
141	395 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी विध्यांचल—सतना पारेषण लाइन का सीकेटी-III; आस्ति-2: सतना उपकेन्द्र में 400 / 220 केवी, 315 एमवीएआर आईसीटी-II, आस्ति-3: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी विध्यांचल—सतना लाइन का सीकेटी-IV; आस्ति-4: बीना (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में 400 केवी सतना—बीना सीकेटी सीकेटी-I एवं II का लीलो; आस्ति-5: 400 केवी डी/सी सतना—बीना पारेषण लाइन का सर्किट IV; आस्ति-6: 400 केवी डी/सी सतना—बीना पारेषण लाइन का सर्किट III; आस्ति-7: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी रायपुर—राउरकेला पारेषण लाइन का लीलो; आस्ति-8: पश्चिमी क्षेत्र में "विध्यांचल-III पारेषण लाइन" के अधीन	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			रायगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बे उपकरण सहित 400 / 220 केवीए 315 एमवीए आईसीटी-II को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और टैरिफ अवधि 2004-9, 2009-2014 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
142	76 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: जमशेदपुर उपकेन्द्र में 1 नं. 315 एमवीए, 400 / 220 / 33 केवीए 3-फेज ट्रांसफार्मर और बिहारशरीफ उपकेन्द्र में 1 नं. 315 एमवीए, 400 / 220 / 33 केवी, 3- फेज ट्रांसफार्मर, आस्ति-2: राऊरकेला उपकेन्द्र में 1 नं. 80 एमवीएआर, 420 केवी, 3-फेज रिएक्टर, आस्ति-3: दुर्गापुर उपकेन्द्र में 1 No. 315 एमवीए, 400 / 220 केवी, 3-फेज आईसीटी आस्ति-4: सिलिगुडी उपकेन्द्र में 1 नं. 160 एमवीए, 220 / 132 केवी, 3-फेज आईसीटी, आस्ति-5: राऊरकेला उपकेन्द्र में : 1 नं. 315 एमवीए, 400 / 220 केवी, 3-फेज आईसीटी और आस्ति-6: पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए रिएक्टरों और स्पेयर आईसीटी का प्रावधान" के अधीन गंगटोक उपकेन्द्र में 1 नं. 50 एमवीए, 132 / 66 केवी, 3-फेज आईसीटी के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और टैरिफ अवधि 2004-9, 2009-2014 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
143	51 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: सोलापुर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 2 x 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी डी / सी सोलापुर-ओरंगाबाद पारेषण लाइन और आस्ति-2: "उत्तरी क्षेत्र (भाग-क) और पश्चिमी क्षेत्र के लिए अंतर-प्रादेशिक सुदृढीकरण योजना" से संबद्ध ओरंगाबाद उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 2 x 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और टैरिफ अवधि 2004-9, 2009-2014 के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

144	21 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में “एनटीपीसी के (भाग—क) परियोजना विध्यांचल-V (500 एमवी) से संबद्ध पारेषण प्रणाली” के अधीन संबद्ध बेज सहित विध्यांचल पूलिंग स्टेशन में 1x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी आईसीटी के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
145	475 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में “नवीनगर टीपीएस के लिए तत्काल निकासी प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली” के अधीन सासाराम उपकेन्द्र में संबद्ध 400 केवी लाइन बेज एवं 400 केवी डीसी नवी नगर सासाराम पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
146	481 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में “एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. के लिए संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली” के अधीन संबद्ध बेज और नेलोर पूलिंग स्टेशन के लिए एनसीसी उत्पादन टैरिफ स्विचयार्ड से 400 केवी क्वेद डीसी लाइन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप टैरिफ ब्लॉक और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
147	311 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में मालदा में 50 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और टैरिफ ब्लॉक 2001–4, 2004–9, 2009–2014 के लिए पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
148	191 / एमपी / 2019	नार्थ ईस्ट ट्रांसमीशन क. लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 29 (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन एवं रखखाल मानदण्ड की छूट की मांग करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(घ) के अधीन याचिका।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

149	512 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: बिहारशरीफ उपकेन्द्र में सासाराम #1 बे के साथ कहलगांव #1 बे के स्वैपिंग के लिए 400 केवी पारेषण लाइन; आस्ति-2: बिहारशरीफ उपकेन्द्र सासाराम बेज (3 और 4) के साथ पूनिया (1 और 2) के स्वैपिंग के लिए 400 केवी पारेषण लाइन; आस्ति-3: 400 केवी बिहारशरीफ उपकेन्द्र के लिए टाई लाइन ब्रेकर के साथ स्पिलिट बस प्रबंध; आस्ति-4: दुर्गापुर उपकेन्द्र में स्पिलिट बस प्रबंध और आस्ति-5: पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न उपकेन्द्रों के लिए स्पिलिट बस प्रबंध के अधीन मैथॉन उपकेन्द्र आस्तियों में स्पिलिट बस प्रबंध को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूँझगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
150	477 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: मोगा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 MVA ICT-IV आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में “अमृतसर और मोगा उपकेन्द्रों में रूपांतरण क्षमता की वृद्धि” के अधीन मोगा उपकेन्द्र में 2 नं. पीएसईबी लाइन बेज और 400 केवी बस रिएक्टर, और अमृतसर उपकेन्द्र में 2 नं. पीएसईबी फीडर बेज और संबद्ध बेज सहित ICT-II को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की पारेषण अवधि के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूँझगअप और 2004-9, 2009-2014 टैरिफ अवधियों के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
151	99 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: किशनगंज (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी एमवीएआर बस रिएक्टर I; और किशनगंज (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-II; किशनगंज (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित सिलिगुडी ढलखोला 220 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो; 400 केवी संबद्ध बेज सहित सिलिगुडी-400 केवी डी/सी लाइन का दोनों सर्किट का लीलो, आस्ति-2 (क) : किशनगंज (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-I, आस्ति-2 (ख) : पूर्वी क्षेत्र में “एनआर/ डब्ल्यूआर भाग-क के लिए सिविकम में उत्पादन टैरिफ परियोजना से विद्युत का अंतरण” के अधीन किशनगंज (जीआईएस) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-II के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का	27 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगलप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
152	71/एमपी/2020	वरौरा कुरनूल ट्रांसमिशन लि.	प्रतिभूति ट्रस्टी/ऋणदाता के नामांकन के पक्ष में वरोरा कुरनूल पारेषण लि. की चल और अचल परियोजना आरित एवं अन्य वित्तीय पोषण दस्तावेजों के समानुदेशन तथा पारेषण अनुज्ञापित के तदनतर समानुदेशन और ऋणदाताओं के नामांकन सहित ऋणी के कार्यनिष्ठादान के लिए ऋणदाता के अधिकार के मामले में और केविविआ (पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 12 और 6.1.2016 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15.3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की अधारा 17 (3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका
153	160/एमपी/2020	वेस्टर्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी के लिए कार्य निष्ठादान संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका
154	336/एमपी/2020	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	पारेषण प्रभारों को आयोग द्वारा अनुमोदित करने के समय तक 2020 की डायरी सं. 318, 319 और 320 के 3.2.2020 को इस आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल टैरिफ याचिकाओं में नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रस्तावित पारेषण प्रभारों पर आधिरित हिताधिकारियों को बिल के लिए अनुमति और वित्तीय 2019–20 के दौरान संग्रह किए गए अधिक टैरिफ की वापसी के लिए पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और 79 (1) (घ) के अधीन याचिका।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका
155	159/एमपी/2020	पूर्णी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए ईआरएलडीसी के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ईआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्ठादान संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत करना।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

156	185 / एमपी / 2020	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए एनआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्ठादान संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत करना।	27 जनवरी 2021	विविध याचिका
157	331 / एमपी / 2020	आंध्रप्रदेश सोलर पावर कार्पोरेशन प्रा. लि.	सौर पार्क के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गिनिर्देशों के अधीन नामित सौर पार्क में स्थापित सौर विद्युत परियोजनाओं को हानियों और संबद्ध पारेषण प्रभारों के प्लाइंट से संबंधित शेयरिंग विनियमों के विनियम 7 के उपबंधों के संशोधित अनुप्रयोग के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 20 और 21 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62 और अन्य लागू उपबंध के साथ पठित धारा धारा 79(1) (ग) और (घ) के अधीन याचिका।	28 जनवरी 2021	विविध याचिका
158	292 / एमपी / 2019	आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज लि.	प्रतिवादी नं. 1 और प्रतिवादी नं. 2 के बीच निष्पादित 5.1.2011 के विद्युत क्रय आपूर्ति करार और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 2 के बीच निष्पादित 25.3.2011 के विद्युत क्रय करार के अधीन आयोग द्वारा अनुमत्ता विधि घटनाओं में परिवर्तन के संबंध में वाहनकारी लागत के प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 79(1) (ख) और 79(1) (च) के अधीन याचिका।	28 जनवरी 2021	विविध याचिका
159	264 / एमपी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	एनटीपीसी (पार्ट-ख) के गदरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2×800 एमडब्ल्यू) से संबद्ध पोरेषण प्रणाली के लिए पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12.2, विधि में परिवर्तन के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 और 79 (1) (ग) और (घ) के अधीन याचिका।	29 जनवरी 2021	विविध याचिका
160	113 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति 1: 125 एमवीएआर बस रिएक्टर, 765 / 400 केवी आईसीटी-1 एवं 2, 765 केवी, 330 एमवीएआर बस रिएक्टर एवं 400 केवी के साथ 765 / 400 केवी बनसकंठा (न्यू) उपकेन्द्र, के दोनों अंत में 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों और संबद्ध बेज सहित बनसकंठा-चितौड़गढ़ 765 केवी डी/सी लाइन और आस्ति 2: “ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-अंतरराज्यिक पारेषण योजना (आईएसटीएस) भाग-ख” के अधीन दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित बनसकंठा-सनखरी 400 केवी डी/सी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से	31 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
161	23/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 400/220 केवी हिसार उपकेन्द्र में 315 एमवीए 400/220 केवी स्पेयर इंटर-कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर, आस्ति-2: 400/220 केवी लखनऊ उपकेन्द्र में 315 एमवीए 400/220 केवी स्पेयर इंटर-कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर, और आस्ति-3: "पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्पेयर आईसीटी और रिएक्टरों का प्रावधान" के अधीन उत्तरी क्षेत्र में भिवाड़ी में 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
162	170/टीटी/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: ओपीजीडब्ल्यू लिक (केन्द्रीय सेक्टर) का 192.509 कि.मी. और आस्ति-2: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संचार (पूर्णलड्डीसी) माइक्रोवेव और मौजूदा एकीकृत भार प्रेषण के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली" के अधीन ओपीजीडब्ल्यू लिक (केन्द्रीय सेक्टर) का 242.484 कि.मी. के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ
163	313/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-क1: 765 केवी 3x80 एमवीएआर लाइन संबद्ध बेज सहित और 765 केवी ३ी/सी वर्धा औरंगाबाद पारेषण लाइन 1, आस्ति-क2: औरंगाबाद उपकेन्द्र में उपकरण और 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-1 बेज सहित, आस्ति-क3: औरंगाबाद उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद-बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी-1 के लिए 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति-क4: औरंगाबाद उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद-बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी-2 के लिए 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति-क5: बोयसर उपकेन्द्र में उपकरण और 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-3 बेज सहित, आस्ति-क6: बोयसर उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद-बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी-1	31 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			<p>के लिए 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति—क7: बोयसर उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद—बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी—2 के लिए 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति—ख1: मल्टी सर्किट टावर्स पर एलओसी 332/0 से बोयसर उपकेन्द्र तक और डीसी टावर्स पर औरंगाबाद से एलओसी 313/0 तक 400 केवी डी/सी औरंगाबाद बोयसर पारेषण लाइन, आस्ति—ख2: मल्टी सर्किट टावर्स पर एलओसी 332/0 से बोयसर उपकेन्द्र तक 400 केवी डी/सी नवसारी—बोयसर पारेषण लाइन का भाग, आस्ति—ग1: 762/400 केवी वर्धा उपकेन्द्र में बस रिएक्टर 1 के रूप में प्रभारित की जाने वाली 3x110 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति—ग2: 762/400 केवी वर्धा उपकेन्द्र में बस रिएक्टर 2 के रूप में प्रभारित की जाने वाली 3x110 एमवीएआर स्विचेबल लाइन, रिएक्टर, आस्ति—ग3: औरंगाबाद उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली 765 केवी डी/सी वर्धा औरंगाबाद लाइन के लिए 3x80 एमवीएआर 765 केवी लाइन रिएक्टर, आस्ति—ग4: औरंगाबाद उपकेन्द्र में 3x80 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति—ग5: छत्तीसगढ़ (आईपीपी—डी) में आईपीपी के लिए पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली ‘सुदृढ़ीकरण’ के अधीन औरंगाबाद उपकेन्द्र में 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी—2 के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>		
164	515 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>आस्ति—1: नागार्जुन सागर उपकेन्द्र में 400 केवी बेज का 2 नं. और खम्माम (मौजूदा) उपकेन्द्र में 400 केवी बेज का 2 नं., आस्ति—2: संबद्ध बेज सहित वेमागिरी पूलिंग स्टेशन में गजुवाका—विजयवाडा 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो, आस्ति—3: सीरीकाकुलम पूलिंग स्टेशन— वेमागिरी पूलिंग स्टेशन 765 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों के लिए वेमागिरी एवं सीरीकाकुलम पूलिंग स्टेशन में प्रत्येक में 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर प्रत्येक के 1 नं. के साथ 765 केवी बेज का 2 नं. और वेमागिरी में 80 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टरों का 1 नं. और 240 एमवीएआर 765 केवी का 2 नं. 1x1500 एमवीए 765/400 केवी ट्रांसफार्मर्स के साथ वेमागिरी में 765/400 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन की स्थापना आस्ति—4: दक्षिणी क्षेत्र में “पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी</p>	31 जनवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			<p>क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबद्ध उपकेन्द्र कार्यों से संबद्ध पारेषण प्रणाली” के अधीन वेमागिरि पूलिंग स्टेशन में उपकरण और संबद्ध बेज सहित 1×1500 एमवीए, $765/400$ केवी आईसीटी-II के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>		
165	68/एमपी/2020	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र	<p>नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनएलडीसी के लिए कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका।</p>	31 जनवरी 2021	विविध याचिका
166	260/एमपी/2019	आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज लि.	<p>प्रतिवादी नं. 1 और प्रतिवादी नं. 2 के बीच निष्पादित 5.1.2011 के विद्युत क्रय आपूर्ति करार के अनुसार और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 2 के बीच निष्पादित 25.3.2011 के विद्युत क्रय करार के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति के दावे के लिए विद्युत अधिनियम 2003 79 (1) (ख) और 79 (1) (च) के अधीन याचिका।</p>	31 जनवरी 2021	विविध याचिका
167	83/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>आस्ति-1 (क) (क): हैदराबाद (महेश्वरम) पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 2 नं. 240 एमवीएआर बस रिएक्टर 765 केवी और 1×1500 एमवीए $765/400$ केवी ट्रांसफार्मर्स-I के साथ हैदराबाद (महेश्वरम) $765/400$ केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन की स्थापना; आस्ति-1 (क) (ख): हैदराबाद (महेश्वरम) – कुरनूल 400 केवी एस/सी लाइन; आस्ति-1 (ख) (क): महेश्वरम पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 1×1500 एमवीए $765/400$ केवी आईसीटी-II; और आस्ति-1 (ख) (ख): दक्षिणी क्षेत्र में “हैदराबाद (महेश्वरम) पूलिंग स्टेशन से संबद्ध उपकेन्द्र कार्यों” के अधीन 400 केवी महेश्वरम-हैदराबाद एस/सी लाइन को शामिल करते हुए पारेषण आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

168	508 / ठीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में झारसुगडा (सुंदरगढ़) पूलिंग स्टेशन में 765 केवी लाइन बेज के 2 संख्या सहित 765 केवी डीसी दरलीपल्ली टीपीएस (एनटीपीसी)-झारसुगडा (सुंदरगढ़) पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
169	120 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित थिरुवलम में मौजूदा कोलार-सीरीपरयूम्बुदूर 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो; आस्ति-2: उपकरण और संबद्ध बेज सहित थिरुवलम और कुरनूल दोनों उपकेन्द्रों में और 2x240 एमवीएआर, 765 केवी लाइन रिप्टर और थिरुवलम और कुरनूल उपकेन्द्रों (400 केवी पर प्रभारित) में दोनों उपकरणों और संबद्ध बेज सहित थिरुवल-कुरनूल 765 केवी डी/सी लाइन आस्ति-3: 2x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी ट्रांसफार्मर्स के साथ 765 / 400 केवी के लिए थिरुवलम में 400 केवी उपकेन्द्र का उन्नयन और आस्ति-4: दक्षिणी क्षेत्र में “प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XIX योजना” के अधीन थिरुवलम में 765 केवी और 400 केवी आईसीटी बेज के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
170	504 / ठीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में “पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना IV” के अधीन मुजफ्फरपुर (पीजी)-दरभंगा (टीबीसीबी) 400केवी डीसी (ट्रिपल स्नोबर्ड लाइन) की समाप्ति के लिए मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज की 2 संख्या के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
171	511 / ठीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में “पूर्वी सुदृढ़ीकरण योजना X” के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन बेहराम उपकेन्द्र और-सागरडिगी टीपीएस (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) में संबद्ध बेज और 400 केवी डीसी सागरडिगी-बेहरामपुर पारेषण लाइन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें)	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
172	196 /टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना -XIII" के अधीन 400 केवी बरसाना (जेटको) उपकेन्द्र के विस्तार और 400 केवी बचाउ उपकेन्द्र के विस्तार सहित बचाउ बरसाना (जेटको) 400 केवी डीसी पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
173	33 /टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में 'सोलापुर एसटीपीपी (2x660 एमडब्ल्यू) पार्ट-क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सोलापुर (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित सोलापुर एसटीपीपी सोलापुर (पावरग्रिड) 400 केवी डीसी (वेद) सेकेण्ड पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
174	7 /टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में बल्लभगढ़ में कानपुर–बल्लभगढ़ 400 केवी एससी लाइन पर 400 केवी थाइरिस्टर नियंत्रित सीरिज क्षतिपूर्ति प्रोजेक्ट (फैक्ट डिवाइस) के स्टेज-1 के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 अवधि के पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001–4, 2004–9, 2009–2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
175	596 /एटी/2020	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	8.12.2017 के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 440.8 मेगावाट पवन उर्जा (ट्रेंच-VIII) के लिए टैरिफ के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	01 फरवरी 2021	टैरिफ अंगीकार

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

176	20 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 765 केवी एस/सी जबलपुर-बीना ckt.-III (आईपीटीसी) के लिए जबलपुर पूलिंग स्टेशन में 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 765 केवी लाइन बे, आस्ति-2: 765 केवी एस/सी जबलपुर-बीना ckt.-III (आईपीटीसी) के लिए बीना उपकेन्द्र में 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर (नॉन-स्विचेबल) और 765 केवी लाइन बे, आस्ति-3: 765 केवी डी/सी (सीकेटी-3 और 4) धरमजयगढ़-जबलपुर पीएस पारेषण लाइन (आईपीटीसी) के सर्किट 3 के लिए धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 765 केवी लाइन बे और जबलपुर पीएस में 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और 765 केवी लाइन बे और आस्ति-4: पश्चिमी क्षेत्र में “पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण सामान्य से संबद्ध पावरग्रिड उपकेन्द्रों में रिएक्टर प्रावधानों और लाइन बेज़” के अधीन 765 केवी डी/सी (सीकेटी-3 और 4) धरमजयगढ़-जबलपुर पीएस पारेषण लाइन (आईपीटीसी) के सर्किट 4 के लिए धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 765 केवी लाइन बे और जबलपुर पीएस में 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और 765 केवी लाइन बे के केविविआ (टैरिफ़ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ़ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ़ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ़ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ़ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ़
177	117 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: मदुरई और त्रिवी उपकेन्द्रों में 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टरों, आस्ति-2: होसूर और सलेम उपकेन्द्रों में 63 एमवीएआर बस रिएक्टरों, आस्ति-3: सीरीपरुमबुदुर उपकेन्द्र में 63 एमवीएआर बस रिएक्टर, आस्ति-4: कोलार, हैदराबाद और मुनीराबाद उपकेन्द्रों में 63 एमवीएआर बस रिएक्टर, आस्ति-5: हीरीयूर उपकेन्द्र में 63 एमवीएआर बस रिएक्टर, आस्ति-6: उदुमलपेट उपकेन्द्र में 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, और आस्ति-7: “दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-VIII” के अधीन संबद्ध बेज़ सहित त्रिवन्दुम उपेन्द्र में 63 एमवीएआर बस रिएक्टरों के केविविआ (टैरिफ़ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ़ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ़ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ़ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ़ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ़



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

178	82 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1 (क): बिडदी में नीलमंगला—सोमनहल्ली 400 केवी डी/सी लाइन का लीलो; आस्ति-1 (ख): बिडदी में 1X63 एमवीएआर बस रिएक्टर; आस्ति-2 (क): बिडदी जीआईएस उपकेन्द्र में अवनयन नेटवर्क और उपकरणों और संबद्ध बेज सहित 1X500 एमवीए आईसीटी; आस्ति-2 (ख): दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-X के अधीन बिडदी जीआईएस उपकेन्द्र में अवनयन नेटवर्क और उपकरणों और संबद्ध बेज सहित 1X500 एमवीए आईसीटी को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
179	34 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 400 केवी आरएपीपी-शुजलपुर पारेषण लाइन के सीकेटी-1 के लिए 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी बे का 1 नं. और आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में आरएपीपी 7 एवं 8 के एटीएस भाग के लिए शुजलपुर में 400 केवी बेज का प्रावधान” के अधीन 400 केवी आरएपीपी-शुजलपुर पारेषण लाइन के सीकेटी-2 के लिए 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी बे का 1 नं. के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
180	153 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: रुड़की उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित रुड़की में 400 केवी ऋषिकेश-मुजफ्फर नगर पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति-2: रुड़की उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-I, आस्ति-3: उत्तरी क्षेत्र में रुड़की में पारेषण सुदृढ़ीकण योजना से संबद्ध रुड़की उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-II के समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

181	312 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: राजगढ़ (कोटरा) पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित राजगढ़ (कोटरा) पूलिंग स्टेशन के 400 केवी डी/सी एसटीपीएस-1 और आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में "एनटीपीसी के लारा एसटीपीएस-1 (2x800 एमडब्ल्यू) उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली" के अधीन चंपा पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (क्वेव) लारा एसटीपीएस-1 चम्पा लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	02 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
182	168 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: जालंधन में लाइन रिएक्टर और बेज सहित 400 केवी डी/सी चमेरा पूलिंग स्टेशन—जालंधन पारेषण लाइन, आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में "चमेरा-III" एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली" के अधीन जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा—चमेरा-III एचईपी से 220 केवी डी/सी पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	03 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
183	17 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: मधुगिरी में 63 एमवीएआर बस रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित गूटी—मधुगिरी 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन, आस्ति-2: मधुगिरी में संबद्ध बेज सहित 2X500 एमवीए ट्रांसफार्मर, आस्ति-3: 220 केवी डी/सी मधुगिरी—अन्थारासनाहल्ली लाइन की समाप्ति के लिए मधुगिरी में 220 केवी लाइन बेज, आस्ति-4: 220 केवी डी/सी मधुगिरी—मधुगिरी लाइन की समाप्ति के लिए मधुगिरी में 220 केवी लाइन बेज, आस्ति-5: दक्षिणी क्षेत्र में "प्रणाली सुदृढीकरण योजना XLI" के अधीन 220 केवी डी/सी मधुगिरी—नित्यूर लाइन की समाप्ति के लिए मधुगिरी में 220 केवी लाइन बेज, के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

184	4 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-क: पारेषण लाइन के लिए पीएससीसी उपकरण (वेव ट्रेप को छोड़कर) सहित मेजिया “बी-टीपीएस में 400 केवी डी/सी मैथॉन-जमशेदपुर लाइन के एक सर्किट (सीकेटी-1) का लीलो। आस्ति-2: बिहारशरीफ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 02 नं. और 400 केवी डी/सी कोडरमा टीपीएस-बिहारशरीफ पारेषण लाइन; और आस्ति-3: पूर्वी क्षेत्र में “मैथॉन राइट बैंक उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट और डीवीसी का स्टार्ट-अप पावर” के अधीन मैथॉन उपकेन्द्र में संबद्ध बे विस्तार और 400 केवी डी/सी मैथॉन आरबी-मैथॉन (पीजी) पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
185	151 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में “छत्तीसगढ़ में आईपीपी के लिए डब्ल्यूआर-एनआर पारेषण कॉरिडोर में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण” के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (वेद) कुरक्षेत्र-जिंद पारेषण लाइन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
186	462 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: राजघाट जीआईएस में 4 नं. 220 केवी लाइन बेज के साथ संबद्ध बेज सहित और 1 नं. 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी (1st), राजघाट में संबद्ध बेज और 400 केवी एस/सी सुभाषग्राम-जीरत पारेषण लाइन का लीलो, आस्ति-2: 400 केवी पूर्णिया एस/एस में संबद्ध बेज सहित 2 नं. 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित), आस्ति-3: राजारहाट जीआईएस में संबद्ध बेज और 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (1st) और आस्ति-4: पूर्वी क्षेत्र में “पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना V (ईआरएसएस-V)” के अधीन राजारहाट जीआईएस में संबद्ध बेज और 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (2nd) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

187	276 / टीटी / 2020	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	कर्नाटक पावर पारेषण कार्पोरेशन लि. (केपीटीसीएल) से संबंधित कर्नाटक और अन्य पड़ोसी राज्यों (प्राकृतिक अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों) के बीच पारेषण लाइन कनेक्टिंग के पारेषण टैरिफ के अवधारण अर्थात् क) अम्बेवाड़ी-पोंडा (कर्नाटक-गोवा) से 220 केवी एस/सी लाइन ख) अम्बेवाड़ी-सिलडॉम (कर्नाटक-गोवा) से 220 केवी एस/सी लाइन ग) सदम - ताण्डूर (कर्नाटक-तेलंगाना) से 220 केवी एस/सी लाइन घ) अलीपुरा-रागलपटु (कर्नाटक-आंध्रप्रदेश) से 220 केवी एस/सी लाइन ड) यरदनहल्ली - होसुर (कर्नाटक-तमिलनाडु) से 220 केवी एस/सी लाइन च) कदकोला-कनियमपेट (कर्नाटक-केरल) 220 केवी एस/सी लाइन और छ) 1.4.2019 से 31.3.2024 तक की अवधि के लिए कोनाजे-मंजेश्वर (कर्नाटक-केरल) 110 केवी एस/सी लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
188	153 / एमपी / 2018 एवं 154 / एमपी / 2018	महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कं. लि.	6.9.2011 के बल्क पावर पारेषण करार के अनुसार दादरा और नगर हवेली के प्रतिवादी, विद्युत विभाग और याचिकाकर्ता के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन याचिका।	04 फरवरी 2021	विविध याचिका
189	21 / एमपी / 2017	एस्सार पावर (झारखण्ड) लि.	झारखण्ड राज्य में एस्सार पावर झारखण्ड लि. ($3\times600 \text{ MW}$) थर्मल पावर प्लांट चंदवा तहसील, जिला लातेहार द्वारा पारेषण लाइन के केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन 24.2.2010 के बल्क पावर पारेषण करार के अधीन सहमत दीर्घकालिक पहुंच के 1100 मेगावाट के अधित्याग के लिए याचिका।	04 फरवरी 2021	विविध याचिका
190	348 / एमपी / 2018	एनएचपीसी लि.	चमेरा-2 पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से आगे के कारणों के लिए उर्जा उत्पादन टैरिफ में कमी के कारण कम वसूली की गई उर्जा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31 (6) के अधीन आवेदन।	04 फरवरी 2021	विविध याचिका
191	87 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: एनपी कुंटा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1 नं. 500 एमवीए 400/220 केवी ट्रांसफार्मर, आस्ति-2: एनपी कुंटा उपकेन्द्र में 2 नं. 220 केवी बेज (बे नं. 210 एवं 212) और आस्ति-3: दक्षिणी क्षेत्र में "अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश - भाग ग (फेज- IIII) में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन एनपी कुंटा	05 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			उपकेन्द्र में 2 नं. 220 केवी बेज (बे नं. 209 एवं 211) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
192	206/एमपी/2020	रिन्यू सन वेवस प्रा. लि.	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के उपबंधों के संबंध में आयोग से उचित निर्देश और/या ओदेश की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ट) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अधीन याचिका जो मौजूदा याचिका में मांगी गई सहायता के अनुसार पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को परिणामी निर्देश जारी करने के लिए आयोग की मांग के लिए और 15.5.2018 के आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तृत क्रियाविधि के प्रभाव के लिए आयोग की मांग करने और सौर उर्जा कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश 2017 के अनुसरण में प्रविष्ट विद्युत क्रय करार के कुछेक उपबंधों के अधीन इसके अधिकारों के प्रयोग से याचिकाकर्ता को रोक रहे हैं।	05 फरवरी 2021	विविध याचिका
193	505/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: सोमनहल्ली उपकेन्द्र पर 3×167 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी का 1×500 एमवीए आईसीटी से प्रतिस्थापन। आस्ति-2: सोमनहल्ली उपकेन्द्र पर 4×167 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी का 1×500 एमवीए आईसीटी से प्रतिस्थापन। आस्ति-3: 400/220 केवी नरेन्द्रा उपकेन्द्र पर 1×50 एमवीएआर बस रिएक्टर का 1×125 एमवीएआर बस रिएक्टर से प्रतिस्थापन। आस्ति-4: थिरुवलम उपकेन्द्र पर 01 नं. 500 एमवीए, 765/400 केवी क्षेत्रीय स्पेयर आईसीटी आस्ति-5: दक्षिणी क्षेत्र में "प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XXIII" के अधीन रायचूर उपकेन्द्र पर 01 नं. 500 एमवीए, 765/400 केवी क्षेत्रीय स्पेयर आईसीटी के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	06 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
194	33/टीटी/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	झारखण्ड और पश्चिम बंगाल पार्ट-क-2 में फेज-1 उत्पादन टैरिफ परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 765 केवी/400केवी वाराणसी जीआईएस (सासाराम उपकेन्द्र से परिवर्तित रिएक्टर) में 1×330	07 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर—I के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
195	294 / एमपी / 2019	एनएचपीसी लि.	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 'की गई अस्थगित कर देयता' के भुगतान के संबंध में एनएचपीसी लि. और पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	07 फरवरी 2021	विविध याचिका
196	334 / एमपी / 2020	वरौरा कुरनूल ट्रांसमिशन लि.	अप्रत्याशित घटना और परिणामी सहायता के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के विस्तार की मांग करते हुए याचिका।	07 फरवरी 2021	विविध याचिका
197	85 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—क: कुडपा जीआईएस उपकेन्द्र में 2x240 एमवीएआर बस रिएक्टरों और संबद्ध बेज सहित 2x1500 एमवीए ट्रांसफार्मर (जीआईएस) के साथ कुडपा में 765 / 400 केवी उपकेन्द्र की स्थापना और कुडपा उपकेन्द्र में 765 / 400 केवी में उपकरण और बेज के साथ कुरनूल – थिरुवलम 765 केवी डी / सी लाइन का लीलो; आस्ति—2: कुडपा जीआईएस में उपकरण और बेज के साथ कुडपा—हिन्दुपुरा 400 केवी डी / सी लाइन के एनपी कुंटा भाग के कुडपा जीआईएस से लीलो प्वाइंट तक 400 केवी डी / सी लाइन; आस्ति—ग: दक्षिणी क्षेत्र में "प्रणाली सुदृढ़ीकरण—XXIV" के अधीन हिन्दुपुर उपकेन्द्र में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज और 2x80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 2 नं. 400 केवी बेज के साथ एनपी कुंटा के लीलो प्वाइंट से हिन्दपुर उपकेन्द्र तक 400 केवी डी / सी लाइन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
198	84 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—1: +/- 500 केवीए 2500 एमडब्ल्यू बलिया—भिवाड़ी एचवीडीसी बाइपोल का पोल—I; आस्ति—1: +/- 500 केवीए 2500 एमडब्ल्यू बलिया—भिवाड़ी एचवीडीसी बाइपोल का पोल-II; आस्ति—3: बड़ उपकेन्द्र में	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			<p>कहलगांव—पटना 400 केवी डी/सी (क्वेद) लाइन का लीलो; आस्ति—4: 765 केवी एस/सी सिओनी—बीना पारेषण लाइन और आस्ति—5: उत्तरी, पर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बड़ पारेषण प्रणाली के अधीन कवर बलिया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित बड़—बलिया 400 केवी डी/सी क्वेद पारेषण लाइन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>		
199	484 /टीटी/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>आस्ति—1: वल्लूर टीपीएस—मेलाकोटेयर 400 केवी डी/सी लाइन और आस्ति—2: दक्षिणी क्षेत्र में “वल्लूर टीपीएस से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली” के अधीन तिरुवलम और चित्तूर में उपकरण और संबद्ध बेज और थिरुवलम उपकेन्द्र पर 1X63 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ नया 400 केवी थिरुवलम उपकेन्द्र और चित्तूर—थिरुवलम 400 केवी डी/सी क्वेद लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
200	406 /टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>याचिका सं. 370 /टीटी/2014 में 30.3.2016 के आयोग के आदेश में कवर की गई और याचिका सं. 123 /टीटी/2018 में 31.1.2019 के आयोग के आदेश में कवर की गई ‘सासन अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली’ के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
201	3 /टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>एसआरएसएस XVIII-A (पहले केयूएमपीपी भाग क) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन गूटी उपकेन्द्र तथा नेल्लोर में संबद्ध बेज विस्तार सहित नेल्लोर गूटी 400 केवी डीसी (क्वेद) लाइन के लिए 2019—24 टैरिफ ब्लॉक लिए टैरिफ के अवधारण और 2014—19 टैरिफ ब्लॉक के पारेषण टैरिफ के ट्रॉइंग अप के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की</p>	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
202	39 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में नबी नगर—II टीपीएस (3×660 एमडब्ल्यू) के लिए पारेषण प्रणाली से संबद्ध गया उपकेन्द्र में 2 नं. संबद्ध बेज सहित आस्ति 400 केवी डीसी (व्हेद) नबी नगर—II टीपीएस गया पारेषण लाइन को शामिल करते हुए पारेषण आस्तियों के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
203	80 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	समन्वित घटक—1: (i) संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी आरएपीपी—कंकरोली पारेषण लाइन (i) कंकरोली उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 50 एमवीएआर बस रिएक्टर और (iii) 80 एमवीएआर बस रिएक्टर सहित 400 केवी एससी रैप कोटा पारेषण लाइन समन्वित घटक—2: (i) कंकरोली उपकेन्द्र में 2 नं 220 केवी लाइन बेज तथा संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी 315 एमवीएआर आईसीटी—2 (ii) कंकरोली उपकेन्द्र में संबद्ध बेज एवं 2 नं. 220 केवी लाइन बेज (iii) उत्तरी क्षेत्र में रैप 5 और 6 से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन क्रमशः कंकरोली उपकेन्द्र और कोटा में संबद्ध बेज सहित कंकरोली उपकेन्द्र में 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी—3 और कोटा उपकेन्द्र में 400/220 केवी 315 एमवीएआर आईसीटी—1 और आईसीटी—2 को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति—क के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
204	36 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—1: कुदरी टीपीएस—नरेन्द्रा (न्यू) 400 केवी 2 X डी/सी क्षेत्र लाइन, आस्ति—2: नरेन्द्रा (न्यू) — मधुगिरी (तुमकर) 765 केवी डी/सी लाइन (आरंभिक रूप से 400 केवी पर प्रभारित किया गया) के लिए मधुगिरी (तुमकर) में 2×63 एमवीएआर (नियत) लाइन रिएक्टर (600 ohm एनजीआर के साथ) एवं 2×63 एमवीएआर (नियत) लाइन रिएक्टर (600 ohm एनजीआर के साथ) नरेन्द्रा (न्यू) में, 2 नं. 400 केवी लाइन बेज मधुगिरी (तुमकर) में, 2 नं. 400 केवी लाइन नरेन्द्रा (न्यू) में, आस्ति—3: मधुगिरी (तुमकर) — बिदादी 400 केवी डी/सी (व्हेद) लाइन के लिए मधुगिरी (तुमकर) में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज और आस्ति—4: दक्षिणी क्षेत्र में “एनटीपीसी लि. के कुदरी टीपीएस (फेज—I में 3×800 एमडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली से संबद्ध	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			उपकेन्द्र विस्तार कार्य'' के अधीन मधुगिरी (तुमकर)-बिदादी 400 केवी डी/सी (व्हेद) लाइन के लिए बिदादी में 2 नं. 400 केवी लाइन बेज के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
205	127 / टीटी / 2020 sstart	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (व्हेद) गुडगांव-मानेसर पारेषण लाइन, आस्ति-2: संबद्ध बेज सहित मानेसर उपकेन्द्र में 400 / 200 केवी 500 एमवीए आईसीटी-1, आस्ति-3: संबद्ध बेज सहित मानेसर उपकेन्द्र में 400 / 200 केवी 500 एमवीए आईसीटी- II और आस्ति-4: मनेसर में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर, और आस्ती-5: उत्तरी क्षेत्र में ''एनआरएसएस-XIII से संबद्ध पारेषण प्रणाली'' के अधीन फतेहबाद उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज की 2 संख्या को शामिल करते हुए समन्वित आस्ती-क के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	08 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
206	307 / एमपी / 2018	राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि.	रिएक्टर उर्जा प्रभारों के बकाया रकम के संबंध में केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के खण्ड 6.6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	08 फरवरी 2021	विविध याचिका
207	479 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 132 केवी डी/सी अगरतला-अगरतला सीकेटी-1 और सीकेटी-2; और आस्ति-2: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ''अगरतला जीवीपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली'' के अधीन 132 केवी एस/सी अगरतला-अगरतला पारेषण लाइन को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

208	156 / टीटी / 2015	पारबती कोलडम ट्रांसमिशन कं. लि.	पुनरीक्षण याचिका सं.4/आरपी/2017 और 15/आरपी/2017 में 12.12.2018 के आयोग के आदेश और 2017 के 81 और 2016 के अपील सं. 281 में अधिनिर्णय में अपीलीय विद्युत न्यायधिकरण के निर्देशों के अनुसार में याचिका सं. 156 / टीटी / 2015 में 29.12.2016 के आदेश का पुनर्विचार करना।	09 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
209	421 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में 'प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XXII' के अधीन 765 / 400 केवी रायचूर उपकेन्द्र और 765 / 400 केवी कुरनूल उपकेन्द्र में संबद्ध बेज विस्तार सहित 765 केवी सिंगल सर्किट कुरनूल-रायचूर पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
210	79 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: होसूर में 400 / 220 केवी उपकेन्द्र का विस्तार और होसूर में मौजूदा बंगलौर-सलेम 400 केवी एस / सी लाइन का लीलो, आस्ति-2: 450 ohms एनजीआर सहित नेलोर-थिरुवलम 400 केवी क्वेड डी / सी लाइन के प्रथेक सर्किट के दोनों अंत में 1X50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और नेलोर एवं थिरुवलम में 400 / 220 केवी उपकेन्द्र के विस्तार के साथ नेलोर-थिरुवलम 400 केवी डी / सी क्वेड लाइन आस्ति-3: मेलाकोटटेयूर (शोलींगानलूर) में 400 / 220 केवी उपकेन्द्र के विस्तार और थिरुवलम में 400 केवी उपकेन्द्र के बे विस्तार सहित थिरुवलम-मेलाकोटटेयूर (शोलींगानलूर) 400 केवी डी / सी लाइन, आस्ति-4: नेलोर (एपी) उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित विजयवाड़ा-नेलोर 400 केवी डी / सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों के लिए 2 नं. 400 केवी 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टरों और आस्ति-5: दक्षिणी क्षेत्र में "दक्षिणी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना- XVIII" के अधीन विजयवाड़ा टीपीएस में 1 नं. 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और विजयवाड़ा (नूना) उपकेन्द्र में 1 नं. 400 केवी 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर संबद्ध बेज सहित और 400 केवी डी / सी विजयवाड़ा-नेलोर पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

211	याचिका सं. 199/जीटी/2017 में याचिका सं. 8/आरपी/2020 का पुनरीक्षण	एनटीपीसी लि.	यूनिट-1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 की अवधि के लिए कुदरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 (2400 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के संबंध में याचिका सं. 199/जीटी/2017 में आयोग के आदेश दिनांक 8.1.2020 का पुनरीक्षण।	09 फरवरी 2021	पुनरीक्षण याचिका
212	54/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: झारसुगड़ा (सुंदरगढ़) उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज के 04 नं. सहित 400 केवी डी/सी राउरकेला-राजगढ़ (02nd लाइन) के दोनों सर्किटों का लीलो, आस्ति-2: झारसुगड़ा (सुंदरगढ़) उपकेन्द्र पर 400 केवी बस में सिपालिट बस प्रबंध और आस्ति-3: पूर्वी क्षेत्र में “ओडिशा में फेज-2 पारेषण टैरिफ प्रोजेक्ट के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध कार्य” के अधीन झारसुगड़ा (सुंदरगढ़) में ओपीजीसी (आईबी टीपीएस)-झारसुगड़ा 400 केवी डी/सी लाइन (टीबीसीबी के अधीन) की समाप्ति के लिए 400 केवी लझान बेज का 02 नं. के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगलप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	09 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
213	328/एमपी/2018	एनएचपीसी लि.	सेवा-2 पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादन केन्द्र की नियंत्रण अवधि के आगे कारणों के लिए उर्जा उत्पादन टैरिफ में कमी के कारण वसूली उर्जा प्रभारों के अधीन की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31 (6) के अधीन आवेदन।	09 फरवरी 2021	विविध याचिका
214	330/एमपी/2018	एनएचपीसी लि.	वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीजेएमएम द्वारा प्रदर्शन के कारण विनियम 54 और 55 के अधीन क्षमता प्रभार में कमी की पूर्ति और तीस्रा लॉ डैम-III के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए उर्जा प्रभारों कमी की पूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 विनियम के-31 (6) के अधीन आवेदन।	10 फरवरी 2021	विविध याचिका
215	212/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध लाइन बेज और गोकरना और फरकका में लीलो सहित 400 केवी डी/सी राजगढ़-पूर्णिया लाइन का फरकका-गोकरना भाग; आस्ति-2: फरकका उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1X80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और गोकरना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1X80 एमवीएआर बस रिएक्टर और आस्ति-3: पूर्वी क्षेत्र में “पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-V” के अधीन चैबासा उपकेन्द्र में जमशेदपुर राउरकेला 400	11 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			केवी लाइन के 02दक्ष बजण के लीलो की समाप्ति के लिए 400 केवी लाइन बेज का 2 नं. के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौङङअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
216	167/TT/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: सोलापुर (पीजी) उपकेन्द्र में बे विस्तार सहित 400 केवी डी/सी सोलापुर (एसटीपीपी) – सोलापुर (पीजी) पारेषण लाइन और आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में "सोलापुर एसटीपीपी (2x660 एमडब्ल्यू) के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन कवर की गई 1 x 315 एमवीए (3rd) ट्रांसफार्मर (वर्धा से सोलापुर में 500 एमवीए ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित करते हुए) द्वारा उपकेन्द्र के 400 / 220 केवी सोलापुर उपकेन्द्र की वृद्धि के विस्तार के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौङङअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	11 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
217	494/TT/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: नेवेली टीएस-11- नेवेली टी-1 से एनएनटीपीएस का लीलो, पॉंडी – सीरीपैराम्बूर से एसवी चतरम (ट्रांसको) का लीलो, हूडी- एचएएल (केपीटीसीएल), पिनया- एनआरएस- हेबल (केपीटीसीएल), हूडी- एचएसआर (केपीटीसीएल), नीलमंगला-हूडी के ओपीजीडब्ल्यू फाइबर लिंक (98.484 कि.मी.) हूडी-येलहानका लीलो प्वाइंट और आस्ति-2: दक्षिणी क्षेत्र में "केन्द्रीय सेक्टर उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों" के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली" के अधीन सलेम पीएस (धरमपुरी) – मधुगिरी (तुमकुर) ओपीजीडब्ल्यू लिंक (246.197 कि.मी.) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	11 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
218	24 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: नालागढ उपकेन्द्र में बेज सहित कोलदम नालागढ 400 केवी डी/सी (क्वेद) लाइन और आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में कोलदम हाइझो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण लाइन" के अधीन कवर की गई लुधियाना उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज को शामिल	11 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			<p>करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौढ़ग्राहक और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>		
219	172 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>आस्ति-1: 2x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों एवं संबद्ध बेज सहित 765 केवी डी/सी भुज पूल उपकेन्द्र बनासकंठा टीएल के दोनों ओर में बेज सहित, आस्ति-2: "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-अंतरराज्यिक पारेषण योजना (आईएसटीएस) भाग-ग" के अधीन संबद्ध बेज सहित 1 नं. 400 केवी बस रिएक्टर और 2 नं. 500 एमवीए 400/200 केवी आईसीटी, 1 नं 765 केवी बस रिएक्टर, 765/400 केवी आईसीटी, 2 नं. 1500 एमवीए के साथ 765 केवी भुज पूल उपकेन्द्र (नया) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	13 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
220	143 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा यूएलडीसी माइक्रोवेव लिंक के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन संबद्ध संचार उपकरण सहित केन्द्रीय क्षेत्र के आस्ति: निलम मंगला येलहनका (39.006 कि.मी.) ओपीजीडब्ल्यू फाइबर संचार लिंक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	13 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
221	53 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-XIV में सोमनहल्ली उपकेन्द्र और धरमपुरी सलेम न्यू में बेज सहित आस्ति-1 400 केवी धरमपरी सलेम न्यू सोमनहल्ली 400 केवी डीसी क्वेट लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।</p>	13 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
222	152 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	<p>आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित इसके 400 केवी डी/सी टविन कंडक्टर कानपुर-बल्लभगढ़ पारेषण लाइन; और आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-IX के अधीन कवर की गई 400 केवी डी/सी</p>	15 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			कानपुर—बल्लभगढ़ पारेषण लाइन पर बल्लभगढ़ में 40: एफएससी को शामिल करते हुए समन्वित आस्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौद्धगअप और केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009–14 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौद्धगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
223	15 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में वापी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी ककरापर एपीपी—वापी पारेषण लाइन और नवसरी जीआईएस में संबद्ध बेज सहित सहित 400 केवी डीसी ककरापर एपीपी—वापी सहित 400 केवी डीसी ककरापर एपीपी—पारेषण लाइन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौद्धगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	15 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
224	138 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	रैप 7 और 8 भाग—क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन कोटा में संबद्ध बेज सहित (कोटा में 1 सीकेटी लीलो सहित 400 केवी डीसी लाइन रैप—जयपुर (दक्षिण) रैप—कोटा 400 केवी डीसी लाइन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौद्धगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
225	114 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी प्रादेशिक ग्रिड-2 के लिए विशेष संरक्षण योजना के संबंध में टैरिफ ब्लॉक 2019–24 के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रौद्धगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	16 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

226	303/TT/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—क: असोज (गेटको उपकेन्द्र) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (वेवेद) वडोदरा—असोज पारेषण लाइन, आस्ति—ख1: 400 केवी डी/सी वडोदरा—असोज सर्किट—1 के लिए वडोदरा जीआईएस में 400 केवी बे, आस्ति—ख2: 400 केवी डी/सी वडोदरा—असोज सर्किट—2 के लिए वडोदरा जीआईएस में 400 केवी बे, आस्ति—ग1: औरंगाबाद उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 765 केवी डी/सी औरंगाबाद—पडधे लाइन के सर्किट—1 के 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति—ग2: औरंगाबाद उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 765 केवी डी/सी औरंगाबाद—पडधे लाइन के सर्किट—2 के 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और आस्ति—घ: पश्चिमी क्षेत्र में “छत्तीसगढ़ (आईपीपी—ई) में आईपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए डब्ल्यूआर के उत्तर/पश्चिम भाग में प्रणाली सुदृढीकरण” के अधीन 765/400 केवी 2X1500 एमवीए पडधे जीआईएस उपकेन्द्र की स्थापना और संबद्ध बेज सहित पडधे (पावरग्रिड) — पडधे/कुदुस (एमएसईटीसीएल) 400 केवी डी/सी वेवेद लाइन और औरंगाबाद—पडधे 765 केवी डी/सी लाइन के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	18 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
227	324 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में मालदा में फरक्का—मालदा पारेषण लिंक और अतिरिक्त 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001—4, 2004—9, 2009—2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
228	44/TT/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—1: कानुपर (नया) जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बे एवं 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर—1; कानुपर (नया) जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बे एवं 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर—2; 765/400 केवी कानुपर (नया) जीआईएस उपकेन्द्र में 2X1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी-1 एवं II संबद्ध बेज; 400 केवी डी/सी (वेवेद) कानुपर (नया) जीआईएस—कानुपर (पुराना) लाइन एवं संबद्ध बेज, झाँटीकारा उपकेन्द्र में 330	19 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

			एमवीएआर नॉन-स्विचेबल एल/आर और कानपुर जीआईएस उपकेन्द्र में 330 एमवीएआर स्विचेबल एल/आर सहित संबद्ध बेज एवं 765 केवी एस/सी कानपुर (नया) जीआईएस-झटीकारा लाइन; कानपुर जीआईएस उपकेन्द्र में दोनों सर्किट में 330 एमवीएआर नॉल-स्विचेबल एल/आर और वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्र में दोनों सर्किट में 240 एमवीएआर स्विचेबल एल/आर सहित संबद्ध बेज और 765 केवी डी/सी वाराणसी-कानपुर (नया) लाइन आस्ति-2: वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बेज एवं 400 केवी डी/सी सासाराम-इलाहाबाद लाइन के एक सर्किट का लीलो; आस्ति-3: कानपुर (नया) जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बेज एवं 125 एमवीएआर, 400 केवी बस रिएक्टर; आस्ति-4: झटीकरा उपकेन्द्र में संबद्ध बे एवं 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर; आस्ति-5: वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बे एवं 125 एमवीएआर, 400 केवी बस रिएक्टर; आस्ति-6: उत्तरी क्षेत्र में झारखण्ड और पश्चिम बंगाल-भाग-ख में फेज-1 उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (क्वेद) सारनाथ-वाराणसी पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
229	327 / टीटी/ 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-क1: 2 नं. 220 केवी लाइन बेज सहित मापूसा (CT III) उपकेन्द्र में 400/220 केवी, 1X315 एमवीए ट्रांसफार्मर, आस्ति-ख1: नवसारी उपकेन्द्र में 400/220 केवी, 1X500 एमवीए ट्रांसफार्मर, आस्ति-ख2 (क): 765/400 केवी इंदौर उपकेन्द्र में 1 नं. 400 केवी लाइन, आस्ति-ख2 (ख) : 765/400 केवी इंदौर उपकेन्द्र में 1 नं. 400 केवी लाइन और आस्ति-ख3 : “पश्चिमी क्षेत्र में बेज और ट्रांसफार्मर की वृद्धि” के अधीन 400/220 केवी पिराना उपकेन्द्र पर 2 नं. 220 केवी लाइन बेज के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

230	156 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वाइड बैण्ड संचार विस्तार योजना के अधीन फाइबर ऑप्टिक संचार की स्थापना योजना के अधीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी की 7 सं. (असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचलन प्रदेश, मणिपुर) तथ एनईआरएलडीसी मे आरंभ की गई और स्थापित के रूप में संबद्ध मर्दों एवं पीएबीएक्स को शामिल करते हुए "ग्रिड प्रचालन के लिए हॉट लाइन स्पीच संचार" कंप्यूटर डायलिंग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	20 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
231	86/TT/2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 765 / 400 / 220 केवी फलेहपुर-उपकेन्द्र में 2 नं 220 केवी लाइन बेज और आस्ति-2: एनआर में विभिन्न प्रादेशिक सुदृढ़ीकरण योजना से संबद्ध लाइन बेज के अधीन भिन्नमाल उपकेन्द्र में 400 केवी डीसी बरमेर (आरआरवीपीएनएल) भिन्नमाल पीजी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	21 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
232	248 / ठीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में अर्थात् वरोरा वारंगल और चिलकलूरीपेटा हैदराबाद कुरनूल 765 केवी लिंक में पावर के आयात के लिए अंतरराज्यिक प्रोदशिक एसी लिंक सहित से संबद्ध उपकेन्द्र कार्य के अधीन 765 400 केवी कुरनूल उपकेन्द्र में एलएसीबीटी एवं वेव ट्रेप जैसे लाइन टर्मिनल उपकरण और टेलीकॉम उपकरण, पीएलसीसी के अलावा रिएक्टर बेज 2 और नं. 2 765 केवी लाइन बेज सहित 240 एमवीएआर 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर (6×80 एमवीएआर, 765 केवी, 1.पीएच शंट रिएक्टर) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	25 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
233	45/TT/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: 80 एमवीएआर, 420 बस रिएक्टर और यूटी डीएनएच 315 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी-। एवं ICT-II में 400 / 220 केवी जीआईएस कला उपकेन्द्र (न्यू) सहित 400 केवी डी/सी वापी-नवी मुंबई पारेषण लाइन के एक सर्किट का लीलो और आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में "डीएनएच के यूटी में कला में 400 / 220 केवी जीआईएस उपकेन्द्र की स्थापना के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन कला उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित	25 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			(अर्थात् सीकेटी-3 एवं 4 का लीलो) 400 केवी डी/सी वापी-नवी मुंबई पारेषण लाइन के 2nd Ckt का लीलो के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
234	41/एमपी/2021	एनटीपीसी लि.	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	25 फरवरी 2021	विविध याचिका
235	430/एमपी/2019	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए एनएलडीसी फीस एवं प्रभारों के ट्रॉइंगअप के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन ट्रॉइंगअप आवेदन।	25 फरवरी 2021	विविध याचिका
236	13/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र से संबद्ध सलाल-1 पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	26 फरवरी 2021	पारेषण टैरिफ
237	549/एटी/2020	एनटीपीसी लि.	10.3.2015 को नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 300 एमडब्ल्यू ग्रिड संबद्ध सौर पीवी पावर परियोजनाओं के लिए टैरिफ के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका।	01 मार्च 2021	टैरिफ अंगीकार
238	160/एटी/2019 और IA No. 81/2019	टाटा पावर डिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया से 20 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ के अंगीकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ट) सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका जिसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के अनुसार आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाया गया।	01 मार्च 2021	टैरिफ अंगीकार



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

239	149 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित 132 केवी एससी निरजुली-डिकरेंग पारेषण लाइन और आस्ति-2: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 'रंगनदी एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी रंगनदी बलीपरा पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 की पारेषण अवधि के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और 2004-9, 2009-2014 टैरिफ अवधियों के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	01 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ
240	330 / एमपी / 2020	एपी दक्षिणी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	एनटीपीसी दादरी स्टेज-2 केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र के यूनिट-2 के एपी डिस्कॉम द्वारा ₹. 24,54,15,645.00 (₹. 24.54 करोड़) के नियत प्रभारों के भुगतान में छूट के लिए उपयुक्त आदेशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (च) के अधीन याचिका।	02 मार्च 2021	विविध याचिका
241	87 / एमपी / 2018	एम. आर. इंडस्ट्रिज	राज्य आयोग के विनियमों के साथ पठित केन्द्रीय आयोग विनियमों के अनुसार यूआई प्रभारों के भुगतानों के लिए विनिर्दिष्ट समय के अंदर सामूहिक संव्यवहारों के लिए कम प्रत्याहार के लिए यूआई लेखा रैयार करने के लिए निर्देशों की मांग करते हुए याचिका।	02 मार्च 2021	विविध याचिका
242	623 / एमपी / 2020	एनएलसी इण्डिया लि.	2×500 एमडब्ल्यू एनएलसीआईएल-नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट-2 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा में प्रत्याशित विलंब।	02 मार्च 2021	विविध याचिका
243	431/MP/2019	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए एनआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के ट्रॉइंगअप के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन ट्रॉइंगअप आवेदन।	03 मार्च 2021	विविध याचिका
244	171 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में भारतीय भाग के लिए भारत और बांगलादेश इलेक्ट्रिकल ग्रिडस के बीच अंतरसंबंध के अधीन बेहरामपुर में रिएक्टर बे और संबद्ध लाइन बे तथा बेहरामपुर और 1 नं. 80 एमवीएआर बस रिएक्टर में 400 केवी एससी फरक्का जिरत पारेषण लाइन के बेहरामपुर बेरमरा पारेषण लाइन 400 केवी एससी के लीलो के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें)	03 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का दूँगंगाप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
245	1 / आरसी / 2021	एस्सार इलेक्ट्रिक पावर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लि.	केविविआ (पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के अधीन व्यापार अनुज्ञाप्ति के उन्नयन के लिए याचिका।	04 मार्च 2021	विनियामक अनुपालन
246	624 / एमपी / 2020	न्यूकिलयर पावर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.	केएपीपी-3 के प्रथम सिक्रॉनाइजेशन या 31.3.2021 जो भी पहले हो तक विचलन व्यवस्थापन तंत्र के साथ ग्रिड से स्टार्टअप पावर के सतत प्रत्याहार के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका।	04 मार्च 2021	विविध याचिका
247	38 / एमपी / 2021	नबीनगर पावर जनरेटिंग कं. लि.	यथासंशोधित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	04 मार्च 2021	विविध याचिका
248	148 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में “कलपकम पीएफबीआर (500 एमडब्ल्यू) प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली” याचिका सं. 105 / टीटी / 2012 में आयोग 27.12.2014 के आदेश और अपीलीय न्यायिकरण के आदेश 20.9.208 के अनुसरण में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2014 से 31.3.2019 तक अंतिम पारेषण टैरिफ के अवधारण पर टीएनईबी के कांचीपुरम उपकेन्द्र पर 230 केवी बेज के 2 नं. और 230 केवी डी/सी कलपकम पीएफबीआर—कांचीपुरम पारेषण लाइन के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	04 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ
249	103 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में “सीरीकाकुलम एरिया—पार्ट—सी में एनसीसी पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड एलटीओए आधारित टैरिफ ओर पूर्व कोस्ट एनर्जी प्रा. लि. से संबद्ध कॉमन प्रणाली” के अधीन सीरीकाकुलम पूलिंग स्टेशन में 2x1500 एमवीए 765 / 400 केवी आईसीटी संबद्ध बेज सहित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	05 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

250	250 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: आरा 220 / 132 केवी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1X160 एमवीए, 220 / 132 केवी आईसीटी को जोड़ना, आस्ति-2: मुजफ्फरपुर 400 / 220 केवी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 1X500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी को जोड़ना, आस्ति-3: 400 केवी मैथॉन उपकेन्द्र में संबद्ध बे और 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर का 1 नं., आस्ति-4: 400 केवी मैथॉन उपकेन्द्र पर 1x315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी के 01 नं. का 1x500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी (1st) से स्थानांतरण, आस्ति-5: 400 केवी दुर्गापुर उपकेन्द्र पर संबद्ध बे उपकरण और 01x125 एमवीएआर बस रिएक्टर (1st) का 01 नं., आस्ति-6: 400 केवी दुर्गापुर उपकेन्द्र पर संबद्ध बे उपकरण और 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर (2nd) का 01 नं., आस्ति-7: रेनगली उपकेन्द्र पर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर I एवं II का 02 नं., आस्ति-8: 400 केवी राउरकेला उपकेन्द्र पर मौजूदा 1x50 एमवीएआर बस रिएक्टर को स्थानांतरित करते हुए 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, आस्ति-9: बिहारशरीफ उपकेन्द्र पर मौजूदा 50(3X16.67) एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ समानांतर में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, आस्ति-10: जमशेदपुर उपकेन्द्र पर मौजूदा 1x50 एमवीएआर बस रिएक्टर को स्थानांतरित करने के बाद 1x225 एमवीएआर बस रिएक्टर-II की स्थापना, आस्ति-11: जमशेदपुर उपकेन्द्र पर मौजूदा 1X50 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ समानांतर में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर-I की स्थापना, आस्ति-12: 400 केवी गुजुवाका उपकेन्द्र पर 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना, आस्ति-13: पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-IX" के अधीन 400 केवी मैथॉन उपकेन्द्र पर 1x315 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी के 01 नं. का 1x500 एमवीए, 400 / 220 केवी आईसीटी (2nd) के साथ प्रतिरक्षापन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रॉइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	05 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ
251	290 / ठीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति- i : 400 केवी सिलीगुडी उपकेन्द्र (Ext), 400 केवी पूर्णिया उपकेन्द्र (Ext), आस्ति- ii : पूर्णिया उपकेन्द्र में 400 / 220 kV, 315 एमवीए आईसीटी आस्ति-iii : पूर्वी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र (बीएसईएस) के विस्तार और आईसीटी-II और मुजफ्फरपुर - गोरखपुर पारेषण लाइन के लिए लाइन रिएक्टर के साथ मुजफ्फरपुर पर 2 नं. 400 केवी बेज को	05 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			छोड़कर 400 / 220 केवी मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र, आस्ति—iv : मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र पर 400 / 220 केवीए 315 एमवीए आईसीटी-II आस्ति—v : 400 केवी मंडौला उपकेन्द्र और 400 केवी बरेली उपकेन्द्र, आस्ति—vi : संबद्ध बेज सहित गोरखपुर (पावरग्रिड) पर 400 / 220 केवी 315 एमवीए आईसीटी-I और संबद्ध बेज सहित लखनऊ पर 400 / 220 केवी 315 एमवीए आईसीटी, पावरलिंक के 400 केवी डी / सी गोरखपुर—लखनऊ लाइन के लिए 2 नं. 400 केवी लखनऊ (पावरग्रिड) और गोरखपुर (पावरग्रिड) पर 2 नं. 400 केवी बेज, दोनों अंत पर 400 केवी डी / सी गोरखपुर (पावरग्रिड) — गोरखपुर (यूपीपीसीएल) लाइन, दोनों अंत पर संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी लखनऊ (पावरग्रिड) — उन्नाव (यूपीपीसीएल) लाइन, आस्ति—vii : संबद्ध बेज सहित महारानीबाग जीआईएस पर 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी आईसीटी—I और संबद्ध बेज सहित महारानी बाग जीआईएस पर 400 केवी डी / सी बल्लभगढ़—दादरी पारेषण लाइन के एक सर्किट का लीलो, आस्ति—viii : संबद्ध बेज सहित महारानबाग जीआईएस पर 315 एमवीए 400 / 220 / 33 केवी आईसीटी-II, आस्ति—ix : पावरलिंक के 400 केवी मुजफ्फरपुर—गोरखपुर लाइन से संबद्ध गोरखपुर उपकेन्द्र पर 400 केवी बेज का 2 नं. और टीसीएससी, आस्ति—x: उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच अंतर—क्षेत्रीय आस्ति, ‘उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और टीएलए एचईपी उत्तर—पूर्व इंटर कनेक्टर से संबद्ध पारेषण प्रणाली’ के अधीन पावरलिंक के 400 केवी मुजफ्फरपुर—गोरखपुर लाइन से संबद्ध लाइन रिएक्टर के साथ मुजफ्फरपुर पर 400 केवी बेज का 2 नं. के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
252	226 / एमपी / 2020	वित्त फोर आरएनर्जी प्रा. लि.	केन्द्रीय ग्रिड से संबद्ध याचिकाकर्ता की 50 मेगावाट पवन उर्जा परियोजना के आरंभ करने के लिए प्रदान किए गए समय विस्तार में राहत की मांग के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	08 मार्च 2021	विविध याचिका
253	93 / एमपी / 2019	एनटीपीसी लि.	गदवारा एटीएस के लिए पारेषण प्रभारों के भुगतान से संबंधित विवादों के समाधान के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और (च) के अधीन याचिका।	08 मार्च 2021	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

254	434 / जीटी / 2020	रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि.	द्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रतनगिरी पावर स्टेशन (1967.08 एमडब्ल्यू) के टैरिफ के पुनरीक्षण की याचिका।	08 मार्च 2021	उत्पादन टैरिफ
255	5 / टीटी / 2021	नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी 'I' से श्रेणी 'IV' तक विद्युत में अन्तरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति के अवनयन के लिए आवेदन।	10 मार्च 2021	व्यापार अनुज्ञाप्ति
256	329 / जीटी / 2019	उत्तरी पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए द्रूइंगअप कार्य पर आधारित टयूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट (60 एमडब्ल्यू) के पुनरीक्षण के लिए याचिका।	10 मार्च 2021	उत्पादन टैरिफ
257	106 / एमपी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	डीम्ड अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के रूप में उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बंध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीन विनियामक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) और (च) के अधीन याचिका जो उक्त उत्पादन टैरिफ से विद्युत की निकासी के लिए दीर्घकालिक निर्बंध पहुंच प्रदान करने के लिए अपेक्षित है और याचिकाकर्ता तथा सीटीयू के साथ त्रिपक्षीय दीर्घकालिक पहुंच करार में प्रवेश के लिए भी अपेक्षित है।	15 मार्च 2021	विविध याचिका
258	369 / एमपी / 2018	एनएचपीसी लि.	बैरासियूल उत्पादन केन्द्र के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान उत्पादन केन्द्र की नियंत्रण से आगे कारणों के लिए उर्जा उत्पादन टैरिफ में कमी के कारण कम वसूल किए गए उर्जा प्रभारों की पूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31 (6) के अधीन आवेदन।	19 मार्च 2021	विविध याचिका
259	329 / एमपी / 2018	एनएचपीसी लि.	धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान उत्पादन केन्द्र की नियंत्रण से आगे कारणों के लिए उर्जा उत्पादन टैरिफ में कमी के कारण कम वसूल किए गए उर्जा प्रभारों की पूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31 (6) के अधीन याचिका।	19 मार्च 2021	विविध याचिका
260	339 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में संबद्ध बेज सहित 220 केवी जालंधर–हमीरपुर डीसी पारेषण लाइन की केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का द्रूइंगअप टैरिफ ब्लॉक 2001–4, 2004–9, 2009–2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

261	310/TT/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति—क1: जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र (नया) में संबद्ध बेज सहित 765 / 400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी—1 आस्ति—क2: संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी (जबलपुर) जबलपुर पूलिंग स्टेशन (नया) — जबलपुर (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन, आस्ति—क3: जबलपुर 765 / 400 केवी पूलिंग उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर—1, आस्ति—क4: जबलपुर 765 केवी पूलिंग उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 केवी 3X80 एमवीएआर बस रिएक्टर—2, आस्ति—ख1: जबलपुर 765 / 400 केवी पूलिंग उपकेन्द्र में एक स्पेयर यूनिट के साथ 1500 एमवीए, 765 / 400 केवी आईसीटी—2, आस्ति—ख2: धरमजयगढ़ सीकेटी—1 के लिए जलबपुर पूलिंग उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में उपयोग किए गए 3X80 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर, आस्ति—ख3: धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में 765 केवी एस/सी रांची — डब्ल्यूआर पूलिंग उपकेन्द्र (पास में सिपत) पारेषण लाइन और संबद्ध बेज सहित धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में 765 केवी, 3X110 एमवीएआर, बस रिएक्टर—1, आस्ति—ख3: संबद्ध बेज सहित धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में 765 केवीए 3X110 एमवीएआर, बस रिएक्टर—1, आस्ति—ख5: 765 केवी डी/सी झरसुगडा पूलिंग स्टेशन — धरमजयगढ़ (नया कोरबा) लाइन का सर्किट—1, आस्ति—ख6: 765 केवी डी/सी झरसुगडा पूलिंग स्टेशन — धरमजयगढ़ (नया कोरबा) लाइन का सर्किट—1, आस्ति—ग1: जबलपुर 765 / 400 केवी पूलिंग उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 kV 125 एमवीएआर (3 पीएच) बस रिएक्टर—2, आस्ति—ग2: जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 केवी 3X80 एमवीएआर बस रिएक्टर—1, आस्ति—ग 3: 765 / 400 केवी जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र में धरमजयगढ़ सीकेटी—2 (बस रिएक्टर के रूप में अंतरिम आक्रिमकता) के लिए संबद्ध 765 केवी, 1 नं. बे और 765 केवीए 3X80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, आस्ति—घ: पश्चिमी क्षेत्र में “ओडीसा भाग—ख में फेज—1 उत्पादन टैरिफ प्रोजेक्ट के लिए पारेषण प्रणाली” के अधीन धरमजयगढ़ उपकेन्द्र पर धरमजयगढ़ उपकेन्द्र ओर लाइन बेज पर संबद्ध बेज सहित 2X330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टरों ओर 765 केवी डी/सी धरमजयबढ़ — जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र पारेषण लाइन के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019—24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014—19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	19 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ
262	552 / एटी / 2020	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	3.8.2017 के मानक बोली मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 900 मेगावाट सौर पीवी पावर प्रोजेक्ट (ट्रैचे-VI) के लिए टैरिफ के	19 मार्च 2021	टैरिफ अंगीकार



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

			अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 96 के अधीन याचिका।		
263	81/एमपी/2019	छत्तीसगढ़ – डब्ल्यूआर ट्रांसमीशन लि.	अन्य बातों के साथ साथ इस घोषणा की मांग करते हुए कि घटक/स्थिति अर्थात् 765 केवी डीसी ओरंगाबाद शिकारपुर जीआईएस में पड़गे पारेषण लाइन का एक सर्किट का लीलों को पुनः रूट करने के लिए पावरग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लि. को निर्देश देते हुए 24.6.2015 के टीएस के अधीन अप्रत्याशित घटना है और टीएसए के अनुच्छेद 4.4.2 तथा अन्य परिणामी सहायता के अधीन परियोजना की स्कॉट की प्राप्ति के लिए समय अवधि के विस्तार की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) (ग) (च) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका।	19 मार्च 2021	विविध याचिका
264	228/एमपी/2020	पावर एक्सचेज इण्डिया लि.	पावर एक्सचेज इण्डिया लि. में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (नवीकरणीय उर्जा) कांट्रैक्टों के आंभ के अनुमादन के लिए केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 6 और 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका।	19 मार्च 2021	विविध याचिका
265	437/एमपी/2019	दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 2014–19 के लिए एसआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के ट्रॉइंगल अप के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन ट्रॉइंगल अप आवेदन।	21 मार्च 2021	विविध याचिका
266	405/MP/2019	जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि.	(क) जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि. और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच 9.11.2011 का पीपीए का अनुच्छेद 10 और (ख) फ्लाई एश के परिवहन के लिए प्रभारों के उदग्रहण के कारण क्षतिपूर्ति के लिए विधि में परिवर्तन के कारण और फ्लाई एश और वहन लागत के परिवहन के लिए प्रभारों को उदग्रहण के कारण आफसेट वित्तीय प्रभाव के समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए हरियाणा वितरण कंपनियों और पीटीसी इण्डिया लि. के बीच बेक टू बेक पीपीए सहित पीटीसी इण्डिया लि. और जीएमआर एनर्जी लि. (जीएमआर कमलांगा लि. की ओर से) के बीच के बीच 12.3.2009 के पीपीए का अनुच्छेद 13 तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली (प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश) के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।	22 मार्च 2021	विविध याचिका
267	249/टीटी/2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: ट्रांसको के डिचपल्ली 400 केवी उपकेन्द्र के विस्तार और संबद्ध बेज सहित 2x240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765/400 केवी वर्धा उपकेन्द्र का विस्तार, संबद्ध बेज सहित 2x240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टरों, 1x240	23 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

			एमवीएआर बस रिएक्टर, 2x1500 एमवीए ट्रांसफार्मर्स के साथ, निज़ामाबाद में 765/400 केवी जीआईएस की स्थापना, संबद्ध बेज सहित निज़ामाबाद – डिचपल्ली 400 केवी डी/सी लाइन, संबद्ध बेज सहित वर्धा–निज़ामाबाद 765 केवी डी/सी लाइन और आस्ति-2: दक्षिणी क्षेत्र में “वर्धा–हैदराबाद 765 केवी लिंक” के अधीन हैदराबाद–निज़ामाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों के लिए प्रत्येक निज़ामाबाद उपकेन्द्र और हैदराबाद (महेश्वरम) पर प्रत्येक 1 नं. 240 एमवीएआर स्विचबेल लाइन रिएक्टर के साथ 2 नं. 765 केवी बेज और हैदराबाद (महेश्वरम) – निज़ामाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के केविविआ (टैरिफ की निवधन व शर्त) विनियम 2019 के अधीन 2019–24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निवधन व शर्त) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।		
268	80 / एमपी / 2021	एनटीपीसी लि.	आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से 6 माह के आगे बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 (3X660 एमडब्ल्यू) के यूनिट 1 (600 मेगावाट) के पावर के अंतः परिवर्तन के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	24 मार्च 2021	विविध याचिका
269	558 / एमपी / 2020	ईस्ट नॉर्थ इंटरकनेक्शन कं. लि.	पूर्वोत्तर अंतर संबद्ध कंपनी लि. की परियोजना आसितयों के दृष्टिबंधक / समानुदेशन के माध्यम से दस्तावेज और / या वित्त करारों को सृजित करने वाली अन्य प्रतिभूति और रूपया मियादी ऋण सुविधा करार के अनुसरण में सिक्योरिटी ट्रस्टी के पक्ष में सिक्योरिटी ब्याज के सूजन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और 17 (4) के अधीन अनुमोदन।	25 मार्च 2021	विविध याचिका
270	434 / एमपी / 2019	पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	नियंत्रण अवधि 2014–19 के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी फीस एवं प्रभारों के ट्रूइंगअप के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन ट्रूइंगअप आवेदन।	26 मार्च 2021	विविध याचिका
271	586 / एमपी / 2020	वायु रिन्यूएबल एनर्जी (मेवासा) प्रा. लि.	कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समाप्ति की स्थितियों को प्राप्त करने सहित मील की पत्थरों की प्राप्ति के लिए समय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्यवाहियों के लागू उपबंधों और संयोजकता विनियमों के विनियम 27 और 33क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (ग) के अधीन अनुमोदन।	26 मार्च 2021	विविध याचिका



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

272	104 / टीटी / 2020	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	आस्ति-1: समन्वित आस्तियों: देहरादूर और बागपत में संबद्ध बेज सहित इंटरसेक्शन प्लाइट पर 400 केवी डी / सी रूडकी - सहारनपुर लाइन (एनआरएसएस-XXI के अधीन) के एक सर्किट के एक भाग का उपयोग बागपत अंत से 400 केवी एस / सी सहारनपुर-बागपत लाइन के आंशिक रूप में और देहरादूर अंत से 400 केवी एस / सी रूडकी - देहरादून लाइन के रूप में 400 केवी डी / सी देहरादून-बागपत पारेषण लाइन के दूसरे सर्किट के भाग के दोनों अंत पर संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी / सी देहरादून-बागपत लाइन का एक सर्किट, आस्ति-2: संबद्ध बेज और देहरादून पर 80 एमवीएआर बस रिएक्टर और 1 नं. 220 केवी लाइन बे संबद्ध बेज सहित और देहरादून पर 400 / 220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी-1 और 1 नं. 220 केवी लाइन बे संबद्ध बेज सहित, देहरादून पर 400 / 220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी-II और आस्ति-3: उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XVIII" के अधीन देहरादून उपकेन्द्र पर 04 नं. 220 केवी बेज के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 मार्च 2021	विविध याचिका
273	608 / एमपी / 2020	एनटीपीसी लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1) (क) और (च) के अधीन याचिका।	31 मार्च 2021	विविध याचिका
274	313 / टीटी / 2019	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में रिहन्द-दादरी बाई-पोल के लिए अतिरिक्त कनवर्टन ट्रांसफार्मर (स्पेयर) के केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 के अधीन 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन।	31 मार्च 2021	पारेषण टैरिफ
275	03 / एसएम / 2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	सिक्योरिटी नियंत्रित आर्थिक प्रेषण पर पायलट का विस्तार।	31 मार्च 2021	स्वप्रेरणा याचिका
276	2 / एसएम / 2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (नवीकरणी उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2020 के विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्तरीकृत जैनरिक टैरिफ का अवधारण।	31 मार्च 2021	स्वप्रेरणा याचिका
277	01 / एसएम / 2021	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत दर की संगणना।	31 मार्च 2021	स्वप्रेरणा याचिका

अनुबन्ध-II

**एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और
31.03.2021 को संस्थापित क्षमता**

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2021 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादनकारी स्टेशन			
क.	पिट हेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-I	1000.00	01.01.1991
2	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज -II	1000.00	01.04.2006
3	रिहंद एसटीपीएस, स्टेज-III	1000.00	27.03.2014
4	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज -I	1260.00	01.02.1992
5	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज -II	1000.00	01.10.2000
6	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज -III	1000.00	15.07.2007
7	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज -IV	1000.00	27.03.2014
8	विंध्याचल एसटीपीएस, स्टेज -V	500.00	30.10.2015
9	कोरबा एसटीपीएस, स्टेज -I &II	2100.00	01.06.1990
10	कोरबा एसटीपीएस, स्टेज -III	500.00	21.03.2011
11	सिपत टीपीएस, स्टेज -I	1980.00	01.08.2013
12	सिपत टीपीएस, स्टेज -II	1000.00	01.01.2009
13	रामागुंडम एसटीपीएस, स्टेज -I & II	2100.00	01.04.1991
14	रामागुंडम एसटीपीएस, स्टेज -III	500.00	25.03.2005
15	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
16	तलचर एसटीपीएस, स्टेज -I	1000.00	01.07.1997
17	तलचर एसटीपीएस, स्टेज -II	2000.00	01.08.2005
18.	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
19	लारा एसटीपीएस	1600.00	07.11.2020
20	दर्लिपाली एसटीपीएस	800.00	01.03.2020
21	कहलगांव एसटीपीएस, स्टेज I	840.00	01.08.1996
22	कहलगांव एसटीपीएस, स्टेज II	1500.00	20.03.2010
	उप-जोड़	26140.00	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2021 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख. गैर-पिट हेड उत्पादनकारी स्टेशन			
1	ऊँचाहार टीपीएस, स्टेज -I	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	ऊँचाहार टीपीएस, स्टेज -II	420.00	01.01.2001
3	ऊँचाहार टीपीएस, स्टेज -III	210.00	01.01.2007
4	ऊँचाहार टीपीएस, स्टेज -IV	500.00	31.3.2017
5	एनसीटीपी दादरी, स्टेज -I	840.00	01.12.1995
6	एनसीटीपी दादरी, स्टेज -II	980.00	30.07.2010
7	फरक्का एसटीपीएस, स्टेज - I&II	1600.00	01.07.1996
8	फरक्का एसटीपीएस, स्टेज - III	500.00	04.04.2012
9	टाण्डा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
10	टाण्डा -II	660	07.11.2019
11	सिम्हादरी एसटीपीएस, स्टेज -I	1000.00	01.03.2003
12	सिम्हादरी एसटीपीएस, स्टेज -II	1000.00	30.09.2012
13	मौदा एसटीपीएस, स्टेज -I	1000.00	30.3.2014
14	मौदा एसटीपीएस, स्टेज -II	1320.00	1.2.2017
15.	बाढ़ एसटीपीएस, स्टेज -II	1320.00	18.02.2016
16.	कुदगी एसटीपीएस, स्टेज -I	2400.00	25.12.2016
17.	बंगाईगांव एसटीपीएस, स्टेज -I	750.00	26.03.2019
18.	बरौनी टीपीएस	220.00	15.12.2018 (अधिग्रहण की तारीख)
19.	सोलापुर एसटीपीएस	1320.00	30.03.2019
20.	गाडरवारा	1600	01.03.2021
21	खरगोन	1320	04.04.2020
22	बरौनी -II	250	01.03.2020
	उप-जोड़ (एमडब्ल्यू)	20070.00	
	कुल एनटीपीसी कोयला (ए+बी)	46210.00	

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2021 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का गैस/तरल ईधन आधारित स्टेशन			
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2	फरीदाबाद	431.59	01.01.2001
3	अंटा सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4	ओरय्या जीपीएस	663.36	01.12.1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7	क्यामकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	4017.23	
एनटीपीसी संयुक्त उद्यम			
1	एपीसीपीएल, झज्जर	1500.00	26.04.2013
2	एनटीईसीएल, वेल्यूर	1500.00	26.02.2015
3	बीआरबीसीएल, नबीनगर	750.00	26.02.2019
4	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660.00	06.09.2019
5	केबीयूएनएल, कांती-।	220.00	08.09.2006
6	केबीयूएनएल, कांती -॥	390.00	01.07.2017
7	मेजा-। U#2	1320.00	31.01.2021
	कुल एनटीपीसी संयुक्त उद्यम	6340.00	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस+एनटीपीसी संयुक्त उद्यम)	56567.23	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुबन्ध-III

दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2021 को संस्थापित क्षमता

उत्पादन केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
बोकारो टीपीएस 'बी'	(1 X 210) = 210	अगस्त, 1993
बोकारो टीपीएस 'ए'	(1 X 500) = 500	फरवरी, 2017
चन्द्रपुरा टीपीएस	(1 X 130)+(2 X 250) = 630	U-III: जुलाई, 1968 U-VII: नवंबर, 2011 U-VIII: जुलाई, 2011
दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) = 210	U-IV: सितंबर, 1982
मेजिआ टीपीएस	(4X210)+(2X 250)+(2 X500)=2340	U-I मार्च, 1996 U-II मार्च, 1998 U-III सितंबर, 1999 U-IV फरवरी, 2005 U-V फरवरी, 2008 U-VI सितंबर, 2008 U-VII अगस्त, 2011 U-VIII अगस्त, 2012
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	U-I मई, 2012 U-II मार्च, 2013
कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) = 1000	U-I जुलाई, 2013 U-II जून, 2014
रंगनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	मार्च, 2016
कुल थर्मल	7090	

अनुबन्ध-IV

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2021 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	अगरतला जीपीएस	84 (21 X 4) गैस टर्बाइन	01.08.1998
		51 (25.5 X 2) स्टीम टर्बाइन	01.09.2015
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999
3.	त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइक्ल पावर प्रोजेक्ट	101 एमडब्ल्यू (65.42 एमडब्ल्यू) गैस एवं (35.58 एमडब्ल्यू) स्टीम टर्बाइन	गैस टर्बाइन 24.12.2015
			स्टीम टर्बाइन 31.03.2017
	कुल	527	

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

अनुबन्ध-V

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) के उत्पादन केन्द्रों / यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2021 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2021 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस -2 स्टेज-1	630	23.04.1988
2.	टीपीएस -2 स्टेज -2	840	09.04.1994
3.	टीपीएस -1 विस्तार	420	05.09.2003
4.	टीपीएस -2 विस्तार	500	जुलाई, 2015
5.	बरसिंगसर टीपीएस	250	21.01.2012
6.	एनटीपीएल (अनुषंगी)	1000	29.8.2015
7.	एनएनटीपीपी	500	28.12.2019
	कुल	4140	

अनुबन्ध-VI

थर्मल पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ विवरण					
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	31.03.2021 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये / किलोवाट घण्टा) @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
एनटीपीसी उत्पादन केन्द्र					
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.65	1.36	2.01
2	रिहंद एसटीपीएस -I	1000	0.84	1.36	2.21
3	रिहंद एसटीपीएस -II	1000	0.70	1.36	2.06
4	रिहंद एसटीपीएस -III	1000	1.44	1.34	2.78
5	एफजीयूटीपीएस ऊँचाहार-I	420	1.08	3.53	4.60
6	एफजीयूटीपीएस ऊँचाहार -II	420	1.01	3.57	4.58
7	एफजीयूटीपीएस ऊँचाहार -III	210	1.34	3.54	4.88
8	एफजीयूटीपीएस ऊँचाहार -IV	500	1.55	3.39	4.95
9	टाण्डा-I	440	1.26	3.17	4.43
10	टाण्डा -II	660	1.60	2.66	4.26
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	0.97	4.13	5.10
12	एनसीटीपीएस दादरी -II	980	1.43	3.75	5.18
13	कोरबा एसटीपीएस - I एवं II	2100	0.68	1.36	2.04
14	कोरबा एसटीपीएस - III	500	1.38	1.33	2.71
15	सिपत एसटीपीएस-I	1980	1.30	1.43	2.73



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

16	सिपत एसटीपीएस -II	1000	1.23	1.47	2.70
17	विध्याचल एसटीपीएस -I	1260	0.85	1.78	2.63
18	विध्याचल एसटीपीएस -II	1000	0.70	1.70	2.40
19	विध्याचल एसटीपीएस -III	1000	1.04	1.70	2.74
20	विध्याचल एसटीपीएस -IV	1000	1.56	1.68	3.24
21	विध्याचल एसटीपीएस -V	500	1.67	1.71	3.38
22	लारा	800	1.96	2.46	4.42
23	सोलापुर	1320	1.72	3.42	5.14
24	मौदा एसटीपीएस -I	1000	1.87	3.27	5.15
25	मौदा एसटीपीएस -II	1320	1.48	3.22	4.70
26	गाडरवारा	800	1.98	3.32	5.31
27	खरगोन	660	2.06	2.93	4.99
28	तलचर एसटीपीएस -I	1000	0.96	2.02	2.98
29	तलचर एसटीपीएस -II	2000	0.71	2.00	2.71
30	तलचर टीपीएस	460	1.44	1.87	3.31
31	दर्लिपाली	800	2.11	1.19	3.30
32	कहलगांव एसटीपीएस -I	840	1.05	2.19	3.24
33	कहलगांव एसटीपीएस -II	1500	1.09	2.08	3.17
34	फरक्का एसटीपीएस -I&II	1600	0.82	2.54	3.36
35	फरक्काएसटीपीएस -III	500	1.49	2.50	3.99
36	बाढ़ एसटीपीएस -II	1320	1.84	2.46	4.30
37	बरौनी-I	220	1.15	3.21	4.37
38	बरौनी -II	250	2.38	2.27	4.65
39	बोंगइगांव टीपीएस	750	2.40	3.35	5.75
40	रामागुंडम एसटीपीएस - I एवं II	2100	0.73	2.60	3.33
41	रामागुंडम एसटीपीएस -III	500	0.77	2.56	3.32
42	सिंहादरी एसटीपीएस -I	1000	0.94	3.28	4.22
43	सिंहादरी एसटीपीएस -II	1000	1.52	3.22	4.74
44	कुदगी	2400	1.66	3.71	5.37

2019-20 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशन टैरिफ

45	फरीदाबाद	431.59	0.74	3.17	3.91
46	ओरेया	663.36	0.63	4.07	4.70
47	दादरी	829.78	0.58	4.42	5.00
48	अंता	419.33	0.71	5.66	6.37

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

49	गंधार	657.39	1.06	3.05	4.11
50	कवास	656.20	0.84	2.84	3.68
51	कयामकूलम	359.58	1.14	निर्धारित नहीं है।	
2019-20 के लिए एनटीपीसी— जेवी स्टेशन टैरिफ					
52	एमयूएनपीएल, मेजा	660	2.28	3.27	5.55
53	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.62	3.81	5.43
54	एनटीईसीएल, वेल्यूर	1500	1.79	3.84	5.62
55	बीआरबीसीएल, नवीनगर	750	2.49	2.34	4.83
56	एनपीजीसीएल, नवीनगर	660	2.53	2.09	4.63
57	केबीयूएनएल, कांती-I	220	1.10	3.26	4.36
58	केबीयूएनएल, कांती -II	390	2.73	2.73	5.46
मैथॉन पावर लिमिटेड					
59	मैथॉन पावर लिमिटेड	1050	1.75	2.68	4.43
एनएलसी स्टेशन					
60	टीएस-II स्टे. I	630	2.706	0.708	3.414
61	टीएस -II स्टे.2	840	2.711	0.734	3.445
62	टीएस ऋआईई	420	2.504	0.963	3.467
63	बीटीपीएस	250	1.107	2.302	3.409
64	टीएस_2ई	500	2.534	2.302	4.836
65	एनटीपीएल	1000	2.967	1.549	4.516
66	एनएनटीपीपी	500	2.301	1.729	4.030
डीवीसी					
67	बीटीपीएस बी	630.00	0.77	2.44	3.21
68	सीटीपीएस यूनिट-3	210.00	1.05	0.00	1.05
69	डोटीपीएस	210.00	0.92	2.37	3.29
70	एमटीपीएस (I-3)	630.00	0.85	3.27	4.12
71	एमटीपीएस (4)	210.00	0.84	3.27	4.11
72	एमटीपीएस (5-6)	500.00	1.41	3.03	4.43
73	एमटीपीएस (7-8)	1000.00	1.45	2.85	4.30
74	सीटीपीएस (7-8)	500.00	1.58	2.37	3.94
75	डीएसटीपीएस	1000.00	1.57	2.90	4.46
76	केटीपीएस	1000.00	1.67	2.66	4.33
77	आरटीपीएस	1200.00	1.65	2.96	4.61
78	बीटीपीएस ए	500.00	2.19	2.20	4.40



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

पीपीसीएल बवाना					
79	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	3.67	4.99
ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि., पलटाना परियोजना					
80	ओटीपीसी टीपीएस	671.2	1.671	1.673	3.344
जीएमआर पावर					
81	जीकेईएल टीपीएस	1050	2.28	1.85	4.13
82	जीडब्ल्यूईएल	372	1.95	2.45	4.40
नीपको गैस संयंत्र					
83	एजीबीपी	291.00	1.99	1.99	3.98
84	एजीटीसीसीपी	135.00	1.91	2.58	4.49
85	टीजीबीपी	101.00	2.58	1.65	4.23
यूपीसीएल					
86	यूडीयूपीआई टीपीएस	1200	1.455	3.720	5.175

अनुबन्ध-VII

**विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के प्रत्येक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और
31.03.2021 को संस्थापित क्षमता**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
क.	एनएचपीसी				
1.	बैरा सियूल	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 60 = 180$	01.04.1982
2	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	$3 \times 35 = 105$	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	$3 \times 31.40 = 94.20$	01.04.1993
4	चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 180 = 540$	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$6 \times 115 = 690$	01.04.1995
6	यूरी - I	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 120 = 480$	01.06.1997
7	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पॉडेज	$3 \times 20 = 60$	15.02.2000
8	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 100 = 300$	31.03.2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पॉडेज	$4 \times 70 = 280$	01.11.2005
10	दुल्हस्ती	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$3 \times 130 = 390$	07.04.2007
11	तीस्ता - V	सिक्किम	पॉडेज	$3 \times 170 = 510$	10.04.2008
12	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$4 \times 30 = 120$	24.07.2010
13	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 77 = 231$	04.07.2012
14	चटक	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 11 = 44$	01.02.2013
15	तीस्ता निम्न डैम-III	सिक्किम	छोटे पॉडेज के साथ आरओआर	$4 \times 33 = 132$	19.05.2013
16	नीमोबाज़गो	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$3 \times 15 = 45$	10.10.2013
17	यूरी - II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	$4 \times 60 = 240$	01.03.2014

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

18	परबती स्टेज-प्प	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$4 \times 130 = 520$	06.06.2014
19	तीस्ता निम्न डैम.प्ट	सिकिम	दैनिक पॉडेज के साथ आरओआर	$4 \times 40 = 160$	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू और कश्मीर	पॉडेज	$3 \times 110 = 330$	24.05.2018
	कुल आई. सी.			5451.20	
ख.	एनएचडीसी				
21	इन्दिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	$8 \times 125 = 1000$	25.08.2005
22	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	पॉडेज	$8 \times 65 = 520$	15.11.2007
	कुल आई. सी.			1520	
ग.	टीएचडीसी				
23	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	$4 \times 250 = 1000$	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पॉडेज	$4 \times 100 = 400$	01.04.2012
	कुल आई. सी.			1400	
घ.	एसजेरीएनएल				
25	नाथपा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$6 \times 250 = 1500$	18.05.2004
26	रामपुर		टनडेम	$6\text{ग}68\text{ए}66\text{त्र}412$	16\text{ए}12\text{ए}2014
	कुल आई.सी.			1912	
ङ.	डीवीसी				
27	मैथोन	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	$2 \times 20, 1 \times 23.20 = 63.20$	दिसंबर, 1958
28	पनचेत	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	$2 \times 40 = 80$	मार्च, 1991
29	तलिया	झारखण्ड	स्टोरेज	$2 \times 2 = 4$	अगस्त, 1953
	कुल आई.सी.			147.20	
च.	नीपको				
30	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पॉडेज	$3 \times 135 = 405$	12.04.2002
31	कोपीली स्टे-।	অসম	स्टोरेज	$4 \times 50 = 200$	12.07.1997
32	কোপীলী স্টে-॥	অসম	স্টোরেজ	$1 \times 25 = 25$	26.07.2004
33	খंদोঁগ	অসম	স্টোরেজ	$2 \times 25 = 50$	04.05.1984
34	দোয়াংগ	নাগালেণ্ড	স্টোরেজ	$3 \times 25 = 75$	08.07.2000
35	ট্যুরিয়ল	মিজোরাম	স্টোরেজ	$2 \times 30 = 60$	27.04.2018
36	পারে	অরুণাচল প্রদেশ	পॉডেজ	$2 \times 55 = 110$	28.05.2018
37	কামেঁগ	অরুণাচল প্রদেশ	আরআওআর	$4 \times 150 = 600$	12.2.2021
	কুল আই.সী.			1525.00	
ছ.	এনটীপীসী				
38	কোলডম	হिमाचल प्रदेश	पॉडेज	$4 \times 200 = 800$	18.07.2015
	কুল আই.সী.			800.00	
জ.	বীবীএমবী				
39	বীবীএমবী কে উত্পাদন কেন্দ্র	ਪੰਜਾਬ	আরআওআর / স্টোরেজ	2,918.73	1955-1983
	কুল আই.সী.			2,918.73	
ঞ.	তীস্তা ঊর্জা লি.				
40	তীস্তা-।।। এচইপি	সিকিম	পॉডেজ	$6 \times 200 = 1200$	28.02.2017
	কুল আই.সী.			1200.00	
ঞ.	আইপীপি				
41	করচমবাংগ্রু	হিমাচল প্রদেশ	পॉডেজ	$4 \times 250 = 1000$	13.09.2011
	কুল আই.সী.			1000.00	
	আই. সী. কা কুল যোগ			17874.13	



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुबन्ध-VIII

**2020.21 की अवधि के लिए हाइड्रो उत्पादन स्टेशन का समन्वित टैरिफ़,
जैसा कि नवीनतम अनुमोदित एएफसी पर आधारित उत्पादन कंपनियों
द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्नानुसार है:**

क्र. सं.	हाइड्रो उत्पादन स्टेशन	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	यूनिट/क्षमता की संख्या	वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	समन्वित टैरिफ़ (जम्मू और कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रु/किलोवाटघण्टा)
	एनएचपीसी				
1	बैरासियूल	180	(3 x 60)	779.28	2.040
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	2.351
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	3.297
4	चमेरा-I	540	(3 x 180)	1664.55	2.282
5	यूरी	480	(4 x 120)	2587.38	2.106
6	चमेरा -II	300	(3 x 100)	1499.89	2.009
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.430
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	6.002
9	लोकटक	105	(3 x 35)	448	3.858
10	रंगित	60	(3 x 20)	338.61	3.810
11	तीस्ता - V	510	(3 x 170)	2572.7	2.326
12	यूरी - II	240	(4 x 60)	1123.77	5.155
13	नीमो बाजगो	45	(3 x 15)	239.33	10.688
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	9.237
15	सेवा - II	120	(3 x 40)	533.53	5.485
16	चमेरा - III	231	(3 x 77)	1108.17	3.940
17	पारबती - III	520	(4 x 130)	1963.29	3.079
18	टीएलडीपी-III	132	(3 x 44)	594.07	5.030
19	टीएलडीपी - IV	160	(4x40)	720	4.622
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.101
	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड				
21	तीस्ता - III	1200	(200*6)	5213.82	5.83
	एसजेवीएनएल				
22	नापथा झाकड़ी	1500	(250x6)	6612	2.276
23	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.318
	नीपको				
24	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	1.953
25	कोपिली स्टे-I	200	(4x50)	1186.14	1.094
26	कोपिली स्टे-II	25	(1x25)	86.30	1.532

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

27	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.573
28	दोयांग	75	(3x25)	227.24	5.147
29	तूइरियाल	60	(2x30)	250.63	4.486
30	पारे	110	(2x55)	506.42	5.000
31	कामेंग	600	(4x150)	3353	निर्धारित किया जाना है।
	टीएचडीसी				
32	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.560
33	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	4.930
	एचएचडीसी				
34	इन्द्रा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.740
35	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	5.310
	डीवीसी				
36	मैथान	63.20	(2x20, 1x23.20)	137	2.548
37	पंचेत	80	(2x40)	237	1.087
38	तालिया	4	(2x2)	-	7.882
	आईपीपी				
39	करचमवांगटू	1000	(4x250)	4559.77	3.388
	एनटीपीसी				
40	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	4.853



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुबन्ध-IX-क

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए जेनरिक टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2020–21) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.16
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.72
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.74
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.71

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.61	5.01	7.62	0.12	7.50
हरियाणा	2.67	5.70	8.37	0.12	8.25
महाराष्ट्र	2.68	5.83	8.51	0.12	8.39
पंजाब	2.69	5.96	8.65	0.12	8.53
राजस्थान	2.61	4.98	7.58	0.12	7.47
तमिलनाडु	2.60	4.93	7.53	0.12	7.41
तेलंगाना	2.61	5.01	7.62	0.12	7.50
उत्तर प्रदेश	2.62	5.09	7.71	0.12	7.60
अन्य	2.64	5.35	7.99	0.12	7.88

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
एयर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.75	5.12	7.88	0.13	7.75
हरियाणा	2.81	5.83	8.64	0.13	8.51
महाराष्ट्र	2.82	5.96	8.78	0.13	8.66
पंजाब	2.83	6.10	8.93	0.13	8.80
राजस्थान	2.75	5.09	7.84	0.13	7.71
तमिलनाडु	2.75	5.04	7.79	0.13	7.66
तेलंगाना	2.75	5.12	7.88	0.13	7.75
उत्तर प्रदेश	2.76	5.21	7.97	0.13	7.84
अन्य	2.78	5.48	8.26	0.13	8.13

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.72	5.01	7.72	0.13	7.60
हरियाणा	2.77	5.70	8.47	0.13	8.34
महाराष्ट्र	2.78	5.83	8.61	0.13	8.48
पंजाब	2.79	5.96	8.75	0.13	8.63
राजस्थान	2.71	4.98	7.69	0.13	7.56
तमिलनाडु	2.71	4.93	7.63	0.13	7.51
तेलंगाना	2.72	5.01	7.72	0.13	7.60
उत्तर प्रदेश	2.72	5.09	7.82	0.13	7.69
अन्य	2.74	5.35	8.10	0.13	7.97



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
आंध्रप्रदेश	2.86	5.12	7.98	0.14	7.85
हरियाणा	2.92	5.83	8.75	0.14	8.61
महाराष्ट्र	2.93	5.96	8.89	0.14	8.75
पंजाब	2.94	6.10	9.04	0.14	8.90
राजस्थान	2.86	5.09	7.95	0.14	7.81
तमिलनाडु	2.86	5.04	7.89	0.14	7.76
तेलंगाना	2.86	5.12	7.98	0.14	7.85
उत्तर प्रदेश	2.87	5.21	8.08	0.14	7.94
अन्य	2.89	5.48	8.37	0.14	8.23

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
आंध्रप्रदेश	2.60	4.92	7.52	0.12	7.40
हरियाणा	2.66	5.60	8.26	0.12	8.14
महाराष्ट्र	2.67	5.72	8.39	0.12	8.28
पंजाब	2.68	5.85	8.53	0.12	8.42
राजस्थान	2.60	4.89	7.49	0.12	7.37
तमिलनाडु	2.60	4.84	7.43	0.12	7.32
तेलंगाना	2.60	4.92	7.52	0.12	7.40
उत्तर प्रदेश	2.61	5.00	7.61	0.12	7.50
अन्य	2.63	5.26	7.89	0.12	7.77

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.75	5.03	7.78	0.13	7.65
हरियाणा	2.80	5.72	8.53	0.13	8.40
महाराष्ट्र	2.81	5.85	8.67	0.13	8.54
पंजाब	2.82	5.99	8.81	0.13	8.69
राजस्थान	2.74	5.00	7.74	0.13	7.62
तमिलनाडु	2.74	4.95	7.69	0.13	7.56
तेलंगाना	2.75	5.03	7.78	0.13	7.65
उत्तर प्रदेश	2.75	5.12	7.87	0.13	7.74
अन्य	2.78	5.38	8.15	0.13	8.03

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा]					
वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.71	4.92	7.63	0.13	7.50
हरियाणा	2.76	5.60	8.36	0.13	8.23
महाराष्ट्र	2.77	5.72	8.50	0.13	8.37
पंजाब	2.78	5.85	8.64	0.13	8.51
राजस्थान	2.71	4.89	7.59	0.13	7.47
तमिलनाडु	2.70	4.84	7.54	0.13	7.41
तेलंगाना	2.71	4.92	7.63	0.13	7.50
उत्तर प्रदेश	2.72	5.00	7.72	0.13	7.59
अन्य	2.74	5.26	8.00	0.13	7.87



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.86	5.03	7.88	0.14	7.75
हरियाणा	2.91	5.72	8.64	0.14	8.50
महाराष्ट्र	2.92	5.85	8.78	0.14	8.64
पंजाब	2.93	5.99	8.92	0.14	8.78
राजस्थान	2.85	5.00	7.85	0.14	7.71
तमिलनाडु	2.85	4.95	7.80	0.14	7.66
तेलंगाना	2.86	5.03	7.88	0.14	7.75
उत्तर प्रदेश	2.86	5.12	7.98	0.14	7.84
अन्य	2.88	5.38	8.26	0.14	8.12

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)

बायोगैस आधारित सह-उत्पादन परियोजना

आंध्रप्रदेश	2.91	3.28	6.20	0.17	6.03
हरियाणा	2.63	4.67	7.30	0.14	7.15
महाराष्ट्र	2.36	4.60	6.96	0.13	6.83
पंजाब	2.58	4.11	6.69	0.14	6.55
राजस्थान	2.27	3.54	5.81	0.13	5.68
तमिलनाडु	2.51	3.28	5.80	0.14	5.65
तेलंगाना	2.94	3.66	6.61	0.17	6.44
उत्तर प्रदेश	2.57	3.98	6.55	0.14	6.40

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2020-21)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.55	4.62	7.17	0.09	7.08
हरियाणा	2.60	5.26	7.86	0.09	7.77
महाराष्ट्र	2.61	5.38	7.99	0.09	7.90
पंजाब	2.62	5.50	8.12	0.09	8.03
राजस्थान	2.55	4.59	7.14	0.09	7.05
तमिलनाडु	2.54	4.54	7.09	0.09	7.00
तेलंगाना	2.55	4.62	7.17	0.09	7.08
उत्तर प्रदेश	2.56	4.70	7.26	0.09	7.17
अन्य	2.58	4.94	7.52	0.09	7.43
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.31	4.85	8.16	0.17	7.99



अनुबन्ध-IX-ख

राष्ट्रीय स्तर पर एपीपीसी का अवधारण

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 के लिए विनियम 5(ग) में औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) की निम्न प्रकार से परिभाषा दी गई है:

"इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "क्रय की पूल्ड लागत" का अर्थ है कि भारित औसत पूल्ड कीमत जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदाताओं से, परंतु उन्हें छोड़कर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती वर्ष में स्व-उत्पादन की लागत सहित, यदि कोई हो, विद्युत का क्रय किया है।"

- इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) को संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रय की गई पारंपरिक विद्युत की मात्रा से भारित, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की एपीपीसी की औसत के परिकलन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित क्रय लागत और विद्युत की मात्रा के लिए डाटा, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित वित्तीय वर्ष 2020–21 के टैरिफ आदेशों से प्राप्त किया गया था। इन टैरिफ आदेशों के लिंक नीचे दी गई तालिका-II में देखे जा सकते हैं। यदि भिन्न-भिन्न यूटिलिटियों के लिए पृथक टैरिफ आदेश थे, तो उन्हें अलग से सूचीबद्ध किया गया है। इस डाटा के अपवाद निम्नानुसार है:
 - जम्मू और कश्मीर – वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित आंकड़ा, वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए दिनांक 7.10.2016 को जारी बहु वर्ष टैरिफ से लिया गया है, चूंकि संबंधित एसईआरसी द्वारा कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है।
 - राजस्थान – वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित आंकड़े के अभाव में आरईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 06.02.2020 को जारी अपने टैरिफ आदेश के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदित आंकड़े का उपयोग किया गया है।
 - अरुणाचल प्रदेश – वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश से अनुमोदित आंकड़े को लिया गया है चूंकि एसईआरसी ने अगले आदेश तक, 6 सितंबर 2019 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जारी किए गए टैरिफ को जारी रखने की अनुमति दी है।
 - पश्चिम बंगाल – डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और सीईएससी के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के टैरिफ आदेशों में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमोदित के आंकड़ों को लिया गया है चूंकि एसईआरसी द्वारा कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
 - तमिलनाडु – चूंकि एसईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश (11 अगस्त 2017 को प्रकाशित) के बाद कोई नया आदेश जारी नहीं किया है वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमोदित आंकड़े का उपयोग किया गया है।

- च. तेलंगाना – चूंकि टीएसईआरसी ने दिनांक 20.03.2020 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जारी किए गए टैरिफ की प्रयोज्यता को वित्तीय वर्ष 2020–21 तक भी बढ़ा दिया है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमोदित आंकड़े का उपयोग किया गया है।
- छ. झारखण्ड – सेल बोकारो के लिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जेएसईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागू टैरिफ को जारी रखने का निर्देश दिया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर अनुमोदित नहीं है अतः इस अभ्यास के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के एआरआर को लिया गया है। विद्युत खरीद की मात्रा और लागत पर उपरोक्त आदेशों से विचार किया गया है क्योंकि वे अधुनातन उपलब्ध आंकड़े हैं।
- 4. राज्य में प्रचलित विभिन्न यूटिलिटियों के मामले में, संबंधित यूटिलिटियों की विद्युत की मात्रा द्वारा भारित विद्युत क्रय लागत के औसत का परिकलन समग्र राज्य के एपीपीसी को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

उदाहरण:

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ किसी राज्य में संबंधित यूटिलिटियों के लिए प्रति यूनिट विद्युत क्रय लागत का औसत दर्शाता है (नवीकरणीय ऊर्जा की लगत को छोड़कर)

$Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$ क्रय की गई विद्युत की मात्रा को दर्शाता है (नवीकरणीय विद्युत को छोड़कर)।

फिर,

$$\text{एपीपीसी (राज्य)} = \left(\sum_{n=1}^N x_n Q_n \right) / \sum_{n=1}^N Q_n$$

- 5. विद्युत क्रय की कुल लागत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन या खरीद की लागत सम्मिलित नहीं है। उन आदेशों में जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा लागत और मात्रा का उल्लेख कुल विद्युत क्रय के सारांश में किया गया है, इसे पारंपरिक स्रोतों के अनुरूप मूल्य प्राप्त करने के लिए कुल में से घटाया गया है।

विद्युत की मात्रा (पारंपरिक स्रोत) = विद्युत की मात्रा (कुल) – विद्युत की मात्रा (नवीकरणीय स्रोत)
क्रय लागत (पारंपरिक स्रोत) = क्रय लागत (कुल) – क्रय लागत (नवीकरणीय स्रोत)

- 6. इसके अतिरिक्त, केवल ऊर्जा लागतों पर विचार करने के लिए, पारेषण प्रभारों को इन संगणनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 7. इस प्रकार, यदि एपीपीसी 1 , एपीपीसी 2 , ..., एपीपीसी N , राज्य स्तर के एपीपीसी हैं, और Q_1, Q_2, \dots, Q_N क्रमशः राज्यों द्वारा खरीदी गई गैर-आरई विद्युत है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एपीपीसी का परिकलन निम्नानुसार होगा:

$$\text{एपीपीसी (राष्ट्रीय)} = \left(\sum_{i=1}^N APPC_i Q_i \right) / \sum_{i=1}^N Q_i$$

- 8. प्रत्येक राज्य का डाटा सारणी – I में दिया गया है। सारणी – II में उन संबंधित टैरिफ आदेशों के लिए लिंक दिए गए हैं जिनसे डाटा लिया गया था।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

सारणी— I: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य-वार विद्युत खरीद की प्रति यूनिट मात्रा/लागत, औसत लागत

क्र. सं.	राज्य (लिंक शीट)	गैर-आरई स्रोतों से खरीदी गई विद्युत की मात्रा (अनुमानित) “एक्स” (एमयू)	गैर-आरई स्रोतों से खरीदी गई विद्युत की मात्रा “वाई” (भारतीय रूपये करोड़)	गैर-आरई विद्युत की औसत लागत “वाई * 10/एक्स” (भारतीय रूपये/ यूनिट)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	295.60	545.44	18.45
2	आंध्र प्रदेश	54509.60	25670.40	4.71
3	अरुणाचल प्रदेश #	429.94	147.60	3.43
4	असम	9323.19	4789.79	5.14
5	बिहार	29357.83	12500.41	4.26
6	चंडीगढ़	1705.85	586.78	3.44
7	छत्तीसगढ़	26525.93	8148.42	3.07
8	दादरा एवं नगर हवेली	5514.82	2121.40	3.85
9	दमन एवं दीव	2465.75	977.46	3.96
10	दिल्ली	29099.83	11967.54	4.11
11	गोवा	4279.62	1211.62	2.83
12	गुजरात	100333.50	36854.49	3.67
13	हरियाणा	60026.27	23932.88	3.99
14	हिमाचल प्रदेश	9045.29	2325.93	2.57
15	जम्मू और कश्मीर *	14014.00	3887.00	2.77
16	झारखण्ड \$	15425.94	6233.10	4.04
17	कर्नाटक	54106.07	23707.57	4.38
18	केरल	27095.77	7766.85	2.87
19	लक्षद्वीप	58.87	94.97	16.13
20	मध्य प्रदेश	62512.20	21450.40	3.43
21	महाराष्ट्र	136234.02	54501.06	4.00
22	मणिपुर	2627.05	956.36	3.64
23	मेघालय	2083.86	642.47	3.08
24	मिजोरम	654.26	292.80	4.48
25	नागालैंड	779.76	317.49	4.07
26	ओडिशा	26781.96	6589.24	2.46
27	पुदुचेरी	3179.94	1294.42	4.07
28	पंजाब	50883.00	18548.46	3.65
29	राजस्थान **	67456.00	26595.00	3.94
30	सिक्किम	577.08	234.58	4.06
31	तमिलनाडु ^	95370.33	35545.48	3.73
32	तेलंगाना ^^	52431.61	20570.73	3.92
33	त्रिपुरा	2627.05	956.36	3.64
34	उत्तर प्रदेश	96991.56	43166.87	4.45
35	उत्तराखण्ड	13383.93	4650.64	3.47
36	पश्चिम बंगाल ##	60400.40	21427.81	3.55
	भारत में कुल	1118588	431210	3.85

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

सारणी - II- राज्य एपीपीसी की संगणना के लिए विद्युत खरीद की मात्रा और लागत के लिए संबंधित राज्य-वार डाटा प्राप्त करने के लिए संदर्भित टैरिफ आदेशों के लिंक			
क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	लिंक
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		http://jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20ED%20Andaman%20FY%202020-21_1232.pdf
2	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	http://aperc.gov.in/admin/upload/RSTOrderFY202021.pdf
		एपीएसपीडीसीएल	
3	अरुणाचल प्रदेश #		http://www.apserc.nic.in/pdf/tariff_order_for_licencees/Tariff_Order_FY_2018-19_DOP,%20AP.pdf
4	অসম		http://aerc.nic.in/TariffOrder-APDCL-2020-21.pdf
5	बिहार	एसबीपीडीसीएल	https://berc.co.in/orders/tariff/distribution/sbpdc/2216-tariff-order-of-nbpdc-for-fy-2019-22
		एनबीपीडीसीएल	
6	चंडीगढ़	ईडल्यूइडीसी	http://chdengineering.gov.in/pages/Tariff-Order-FY-2020-21.pdf
7	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	http://www.cserc.gov.in/upload/upload_terrif_order/04-07-2020_1593859601.pdf
8	दादरा एवं नगर हवेली		http://jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20DNHPDCL%202020-21_1030.pdf
9	दमन एवं दीव		http://jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20ED%20DD%202020-21_1287.pdf
10	दिल्ली	टीडीपीएल	http://www.derc.gov.in/sites/default/files/TPDDL%20-%20TARIFF%20ORDER%20FY%202020-21_0.pdf
		बीवाईपीएल	http://www.derc.gov.in/sites/default/files/BYPL%20-%20TARIFF%20ORDER%20FY%202020-21_1.pdf
		बीआरपीएल	http://www.derc.gov.in/sites/default/files/BRPL%20-%20TARIFF%20ORDER%20FY%202020-21_0.pdf
		एनडीएमसी	http://www.derc.gov.in/sites/default/files/NDMC%20-%20TARIFF%20ORDER%20FY%202020-21_0.pdf
11	गोवा	ईडी	http://www.jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20ED%20Goa%20FY%202020-21_1613.pdf
12	ગુજરાત	રાજ્ય ડિસ્કોમ	https://www.gercin.org/wp-content/uploads/document/d1cce662-68f1-4e36-a87d-70d21b603b0e.pdf
		ટોર્નેટ દહેજ	https://www.gercin.org/wp-content/uploads/document/2919d685-d422-4564-ba32-aa922e7667c7.pdf
		ટોર્નેટ અહમદાબાદ ઔર સુરત	https://www.gercin.org/wp-content/uploads/document/a3c4f0b0-9878-4d03-bdcf-c9ed4044816c.pdf



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

13	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल & यूएचबीवीएनएल	https://herc.gov.in/WriteReadData/Orders/O20200601.pdf
14	हिमाचल प्रदेश		http://hperc.org/File/28-19.pdf
15	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (संघशासित प्रदेश)*		JKSERC- ARR for 2nd MYT Control Period (October 2016) (Link not working)
16	झारखण्ड \$	टीएसएल	http://jserc.org/pdf/tariff_order/tsl2020a.pdf
		जेर्यूएससीओ	http://jserc.org/pdf/tariff_order/jusco2020a.pdf
		सेल बोकारो	http://jserc.org/pdf/tariff_order/sail_2020.pdf
		जेबीवीएनएल	http://jserc.org/pdf/tariff_order/jbvn12020.pdf
		डीवीसी	http://jserc.org/pdf/tariff_order/dvc2020.pdf
17	कर्नाटक	सभी डिस्कॉम	https://karunadu.karnataka.gov.in/kerc/Tariff%20Order%202020/Orders/BESCOM/II-%20ESCOMs%20ANNEXURE%20-%20I%20PP%20for%20FY21_create.pdf
18	केरल		https://www.kseb.in/index.php?option=com_jdownloads&view=download&id=10968:tariff-order-of-kserc-in-the-petition-filed-by-kseb-limited-op-no-15-2018-for-the-approval-of-arr-erc-and-tariff-proposals-for-the-control-period-2018-19-to-2021-22&catid=64&Itemid=676&lang=en
19	लक्ष्मीप		http://jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20LED%202020-21_1605.pdf
20	मध्य प्रदेश	सभी डिस्कॉम	http://www.mperc.in/Retail%20Supply%20Tariff%20Order%20for%20FY%202020-21.pdf
21	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	वर्ष 2019 दिनांक 30.03.2020 का एमईआरसी आदेश सं. 322
		बीईएसटी	वर्ष 2019 दिनांक 30.03.2020 का एमईआरसी आदेश सं. 324
		एमईएमएल	वर्ष 2019 दिनांक 30.03.2020 का एमईआरसी आदेश सं. 325
		टीपीसी वितरण	वर्ष 2019 दिनांक 30.03.2020 का एमईआरसी आदेश सं. 326
22	मणिपुर		https://jerc.mizoram.gov.in/uploads/attachments/7f99e395eede6949d7e6b2e98f13ae70/mspdl-tariff-order-for-fy2020-21.pdf
23	मेघालय		https://mserc.gov.in/orders/2020-21/DistributionTariff_2020-21.pdf
24	मिजोरम		https://jerc.mizoram.gov.in/uploads/attachments/92d86db9bbfe9144ccc21e4aaea115c/ped-tariff-order-fy-2020-21-correction-16-june-2020.pdf

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

25	नागालैंड		http://www.nerc.org.in/images/doc/Tariff%20Order%20for%20FY%202020-21,%20Review%20for%20FY%202019-20%20and%20ARR%20for%20FY%202020-21%20to%202024-25.pdf
26	ओडिशा		http://www.orierc.org/FY-2020-21/GRIDCO%20%20Tariff%20Order%20%20FY%202020-21.pdf
27	पुदुचेरी		http://jercuts.gov.in/writereaddata/UploadFile/Tariff%20Order%20ED%20Puducherry%202020-21_1864.pdf
28	पंजाब		https://docs.pspcl.in/docs/sealesto20200903151017415.pdf
29	राजस्थान **		https://rerc.rajasthan.gov.in/rerc-user-files/tariff-orders
30	सिविकम		http://www.sserc.in/sites/default/files/TARIFF%20ORDER%20-%202020-21%20%20WEBSITE_compressed_1.pdf
31	तमिलनाडु ^		http://www.tnerc.gov.in/orders/Tariff%20Order%202009/2017/TariffOrder/TANGEDCO-11-08-2017.pdf
32	तेलंगाना ^^	एनपीडीसीएल	ShowProperty/CP_CM_REPO/Pages/Tariffs%20and%20Regulations/Current%20Year%20Orders/Surcharge%20&%20Additional%20Surcharge%20for%20FY%202020-21">https://tssouthernpower.com>ShowProperty/CP_CM_REPO/Pages/Tariffs%20and%20Regulations/Current%20Year%20Orders/Surcharge%20&%20Additional%20Surcharge%20for%20FY%202020-21
		एसपीडीसीएल	https://tserc.gov.in/file_upload/uploads/Tariff%20Orders/Current%20Year%20Orders/2018-19/RSTFY2018-19.pdf
33	त्रिपुरा		https://terc.tripura.gov.in/sites/default/files/Tariff%20Order%20-%20FY%202020-21%20Clean%20Mode-converted%20%281%29-converted_0.pdf
34	उत्तर प्रदेश	राज्य डिस्कॉम	https://www.uperc.org/App_File/TariffOrderUPStateDiscomsDigitallySigned-pdf1112020121317PM.pdf
		एनपीसीएल	https://www.uperc.org/App_File/NPCLOrderDigitallySigned-pdf125202040021PM.pdf
35	उत्तराखण्ड	यूपीसीएल	http://uerc.gov.in/Tariff_Orders_of_FY_2020-21/Final%20Tariff%20Order%20of%20UPCL%20for%20FY%202020-21%20(18.04.2020)%20Printingwith%20Hindi.pdf
36	पश्चिम बंगाल ##	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	http://www.wberc.gov.in/sites/default/files/WBSEDCL%202017-18.pdf
		सीईएससी	http://www.wberc.gov.in/sites/default/files/CESC_17-18_I.pdf
		डीवीसी	https://wberc.gov.in/sites/default/files/Tariff%20Order_DVC_2014-2017_pdf%20%281%29.pdf



टिप्पणी:

1. * जम्मू और कश्मीर — वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित आंकड़ा, वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए दिनांक 7.10.2016 को जारी बहु वर्ष टैरिफ से लिया गया है, चूंकि संबंधित एसईआरसी ने कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है।
2. ** राजस्थान — वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित आंकड़े के अभाव में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 06.02.2020 को जारी अपने टैरिफ आदेश के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदित आंकड़े का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भी किया गया है।
3. # अरुणाचल प्रदेश — वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश से अनुमोदित आंकड़े को लिया गया है चूंकि एसईआरसी ने अगले आदेश तक, 6 सितंबर 2019 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जारी किए गए टैरिफ को जारी रखने की अनुमति दी है।
4. ### पश्चिम बंगाल — डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और सीईएससी के लिए, वित्तीय वर्ष 2017–18 के टैरिफ आदेशों में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमोदित आंकड़ों को लिया गया है चूंकि एसईआरसी द्वारा कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
5. ^ तमिलनाडु — चूंकि एसईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 11 अगस्त 2017 को प्रकाशित टैरिफ आदेश के बाद से कोई नया आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमोदित आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
6. ^^ तेलंगाना — चूंकि टीएसईआरसी ने दिनांक 20.03.2020 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जारी किए गए टैरिफ की प्रयोज्यता को वित्तीय वर्ष 2020–21 तक भी बढ़ा दिया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भी, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमोदित आंकड़े का उपयोग किया गया है।
7. \$ झारखण्ड — सेल बोकारो के लिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, जेएसईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागू टैरिफ को वित्तीय वर्ष 2020–21 में भी जारी रखने का निर्देश दिया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर अनुमोदित नहीं है, अतः इस अभ्यास के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के एआरआर को लिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

अनुबंध-X

2020-21 के दौरान केविविआ के अध्यक्ष/सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भारत से बाहर निरीक्षण/दौरे की सूची

क्र. सं.	अवधि	नाम	उद्देश्य	स्थान
1.	26.10.2020 से 27.11.2020	श्री सनोज कुमार झा, सचिव	विद्युत प्रणालियों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर डीएफसी कोर्स में भाग लिया।	डेनमार्क



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुबंध-XI

भारत में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान केविविआ के अधिकारियों के
निरीक्षण/दौरे की सूची

क्र.सं.	अवधि	नाम	उद्देश्य	स्थान
1	श्री गीतू जोशी	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	सार्वजनिक नीतियों में एक वर्षीय ऐडवांस प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया।	हैदराबाद
2	श्री अरुण कुमार	सहायक सचिव (एफओआर)	एफओआईआर के अधिकारियों के लिए पहला कैपेसिटी बिल्डिंग सेमीनार	गोवा
3	श्री पी.के. पुजारी	अध्यक्ष	एमएसईडीसीएल में भाग लिया।	मुम्बई
4	श्री अरुण कुमार	सहायक सचिव (एफओआर)	एफओआर की 70वीं बैठक में भाग लिया।	मुम्बई
5	श्री संजीव टिंजन	सहायक प्रमुख (वि.मा.)	एफओआईआर के सम्मेलन और गोष्ठी में भाग लिया।	उदयपुर
6	श्री पी.के. पुजारी	अध्यक्ष	पावरग्रिड येलहंका उपकेन्द्र का दौरा किया।	बैंगलोर

अनुबंध-XII

वर्ष 2020-21 के लिए परिक्षित वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2021 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (प्रोप्राइटी तथा नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता एवं कार्यनिष्ठादान पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्ठादान करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:-

- i. हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 तथा 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख-रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iii. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं:



क. लेखों पर टिप्पणियाँ:

1. तुलन पत्र

- 1.1 कॉर्पस / पूंजीगत निधि एवं देयताएं
केविविआ निधि (अनुसूची-2): ₹ 73869.45 लाख
आय एवं व्यय लेखा
फीस से आय (अनुसूची-13): ₹ 14089.56 लाख
ब्याज आय (अनुसूची-14): ₹ 475.90 लाख

केविविआ ने सीएजी / सीजीए से यथोचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना पुनरीक्षित निधि प्रचालन और लेखा प्रक्रिया को अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए केविविआ को जारी प्रबंधन पत्रों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया था और वर्ष 2019–20 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अनुदानों, फीसों और ब्याज के माध्यम से आय का लेखांकन, केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोग का ढंग) नियम, 2007 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 98 और 99 के अनुरूप नहीं है, जो यह अनुबंध करते हैं कि केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य राशि को केविविआ निधि में जमा करना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2020–21 के दौरान, केविविआ द्वारा ₹ 14565.46 लाख¹ की प्राप्त सभी फीस और राशि को आय के रूप में मानने और अपने आय और व्यय लेखा में 'फीस से आय' और 'ब्याज आय' के अधीन बुक करने के बजाए, इसे केविविआ निधि में जोड़ा जाना चाहिए।

केविविआ ने अभी तक इसके द्वारा अपनाई गई पुनरीक्षित प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है जिसके कारण विद्युत अधिनियम और केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोग का ढंग) नियम, 2007 के उपबंधों का निरंतर उल्लंघन हो रहा है।

1.2 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3)

प्रावधान: ₹ 384.99 लाख

केविविआ ने एनडीएमसी को मार्च 2021 तक की अवधि के लिए ₹ 517.56 लाख (₹ 72.34 लाख के जुर्माना ब्याज सहित) के बिल के लिए ₹ 445.22 लाख की राशि का भुगतान किया और ₹ 72.34 लाख के अदत्त ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, जिसके लिए केविविआ को एनडीएमसी से आज तक कोई छूट नहीं मिली है।

इसलिए, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची-19) के साथ-साथ 'वर्तमान देयताएं और उपबंध' (अनुसूची-3), प्रत्येक को ₹ 72.34 लाख की राशि द्वारा समझा जाता है।

1.3 आस्तियाँ – नियत आस्तियाँ (अनुसूची – 4 और 4क): ₹ 172.90 लाख
व्यय – मूल्यद्वास (अनुसूची – 4 और 4क): ₹ 70.74 लाख

'अमूर्त आस्तियों के परिशोधन' पर लेखा नीति सं. 4 में यह निर्धारित किया गया है कि "सॉफ्टवेयर को 5 (पांच) वर्ष या सॉफ्टवेयर के जीवन की अवधि में परिशोधित किया जाता है, जो भी कम हो।" यह पाया गया है कि सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस-2019 की स्वतंत्र अनुज्ञितियाँ और 5 वर्षों के समर्थन के साथ विंडोज सर्वर, अन्य पीसी या सर्वर में उपयोग किए जाने में सक्षम हैं। यद्यपि, केविविआ ने तकनीकी मूल्यांकन और यथोचित औचित्य के बिना वर्ष के दौरान

¹ ₹ 8708.44 लाख की फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस + ₹ 5240.57 लाख की अनुज्ञप्ति फीस + ₹ 58 लाख की वार्षिक पंजीकरण फीस + ₹ 82.55 लाख की विविध फीस + ₹ 475.90 लाख की ब्याज आय

जोड़े गए सभी सॉफ्टवेयर के उपयोगी जीवन को 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष माना है। इसके परिणामस्वरूप, कथित लेखांकन नीति के गैर-अनुपालन के अतिरिक्त, ऐसी आस्तियों पर मूल्यहास को अधिक दर्शाया गया है, और 'नियत आस्तियों' (अनुसूची - 4 और 4क) में से प्रत्येक को ₹7.52 लाख से कम दर्शाया गया है।

2. सामान्य

आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची -22)

केविविआ ने एनबीसीसी द्वारा विकसित की जा रही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परियोजना में बुक की गई तीन मंजिलों के संबंध में 31 मार्च 2021 तक पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के कारण ₹ 27472 लाख की राशि दर्शाई है। तीन मंजिलों के नवीनीकरण के लिए ऊपर शामिल ₹ 3300 लाख की राशि के लिए केविविआ द्वारा कोई संविदा / करार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें राजस्व व्यय की प्रकृति होने के कारण रखरखाव प्रभारों, सिंकिंग निधि और ब्याज रहित रखरखाव प्रतिभूति के कारण ₹ 858 लाख भी शामिल हैं। अतः पूंजी प्रतिबद्धता को ₹ 4158 लाख से अधिक दर्शाया गया है।

ख. सहायता अनुदान

पूंजी निधि (अनुसूची-1): ₹ 107.99 लाख

केविविआ निधि (अनुसूची-2): ₹ 73869.45 लाख

पूंजीगत प्रगति अधीन कार्य (अन्य) (अनुसूची-5): ₹ 5830.40 लाख

विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए केविविआ निधि से ₹ 22000 लाख (सहायता अनुदान वेतन ₹ 2000 लाख और सामान्य सहायता अनुदान ₹ 5000 लाख और अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए ₹ 15000 लाख की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान) की राशि रिलीज किए जाने की अनुमति दी है। इन अनुदानों में से, केविविआ ने वर्ष 2020-21 में, ₹ 10871.99 लाख [राजस्व व्यय ₹ 5043.48 लाख (स्थापना व्यय ₹ 1224.28 लाख, अन्य व्यय ₹ 3819.20 लाख) और कार्यालय स्थान प्राप्त करने हेतु ₹ 5828.51 लाख भुगतान करने के लिए] का उपयोग किया। राजस्व अनुदान और पूंजीगत निधि की शेष राशि को केविविआ निधि के अधीन बुक किया गया था जबकि इन्हें विद्युत मंत्रालय से अनुदान (राजस्व व्यय के लिए शेष अनुदान) और पूंजीगत निधि (शेष पूंजीगत अनुदान) में दर्शाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, पूंजीगत निधि (अनुसूची-1) को ₹ 9171.49 लाख (₹ 15000.00 लाख - ₹ 5828.51 लाख) के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय से अनुदान (अनुसूची-12) को ₹ 1956.52 लाख [₹ 2000 लाख, ₹ 5000 लाख) - ₹ 5043.48 लाख] द्वारा कम दर्शाया गया और केविविआ निधि (अनुसूची-2) को ₹11128.01 लाख (₹ 1956.52 लाख, ₹ 9171.49 लाख) से अधिक दर्शाया गया।

ग. प्रबंधन पत्र:

उन कमियों को, जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया जाएगा।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में विचारणीय तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाए खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित तथा उपरोक्त वर्णित मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-। में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

- क) जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार है; और
- ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा)
नई दिल्ली

अनुबंध - I
{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक लेखापरीक्षा, वर्ष 2018-19 से बाहरी सीए फर्म की नियुक्ति द्वारा की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा न तो विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई है, न ही इसके लिए केविविआ द्वारा किसी फर्म को नियुक्त किया गया है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के साइज के अनुरूप है। तथापि, कुछ कमियों को पाया गया, उनपर टिप्पणी की गई और एसएआर में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2020-21 के लिए नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन, केविविआ के तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया गया।
4.	इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2020-21 के लिए इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन, केविविआ के तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया गया।
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(खखछ) के अनुसार, केविविआ की आय को आयकर से छूट प्राप्त है, यद्यपि आयकर के टीडीएस की कटौती और भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। केविविआ ने 2.50 लाख से अधिक प्रत्येक संविदा / पीओ पर जीएसटी के टीडीएस की कटौती और उसे जमा नहीं किया है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि समुचित प्राधिकारी के साथ परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता / –
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा)



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	107.99	141.59
केविविआ निधि	2	73,869.45	64,384.14
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	96,562.82	93,509.02
कुल		170,540.26	158,034.75
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4 , 4A	172.90	170.74
पूंजीगत कार्य—प्रगति	5	5,830.40	29.69
अग्रिम	6	1.05	2.84
जमा दृ प्रतिभूति जमा	7	505.08	506.48
ऋण तथा अग्रिम	8	52.70	71.18
विविध देनदार	9	40.79	40.00
नकद तथा बैंक शेष	10	98,536.64	92,518.09
अन्य चालू आस्तियां	11	65,400.70	64,695.73
कुल		170,540.26	158,034.75
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	21		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	22		

हस्ता /—
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान	12	-	-
फीस	13	₹ 14,089.56	₹ 15,932.69
ब्याज आय	14	475.90	630.98
अन्य आय	15	0.61	0.90
पूर्व अवधि मद्दें (निवल)	16	-	-
आस्थागित आय	4	30.17	47.74
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
कुल (क)		₹ 14,596.24	₹ 16,612.31
व्यय			
स्थापना खर्च	17	₹ 1,224.28	₹ 1,391.81
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		496.10	364.42
यात्रा खर्च	18	5.01	58.22
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	₹ 3,170.64	₹ 3,017.91
स्टेशनरी तथा मुद्रण		23.83	26.71
मरम्मत तथा रखरखाव	20	56.47	47.17
पेट्रोल तथा स्नेहक		12.23	14.44
आतिथ्य खर्च		7.46	23.12
लेखा—परीक्षा फीस		4.11	4.11
मूल्यहास	4, 4d	70.74	79.87
पूर्व अवधि व्यय		43.35	-
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि		0.14	-
कुल (ख)		₹ 5,114.36	₹ 5,027.78
व्यय पर आय की अधिकता का सीईआरसी निधि खाते में अंतरण		₹ 9,481.88	₹ 11,584.53
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	21		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	22		

हस्ता /—
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

31 मार्च 2021 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियाँ

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 : पूंजी निधि		चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
पूंजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सुजित आस्तियाँ		141.59	189.83
घटाएँ: अचल आस्तियों पर वर्ष के लिए अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	30.17		
घटाएँ: सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	3.43	(33.60)	(48.24)
कुल योग		107.99	141.59

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

अनुसूची 2 : सीईआरसी निधि	चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
वर्ष के प्रारंभ में शेष	64,384.14	52,799.11
<u>जोड़े:</u> अविवादित जुर्माना		-
<u>जोड़े:</u> व्यय पर आय की अधिकता	9,481.88	11,584.53
<u>जोड़े:</u> सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	3.43	0.50
कुल	73,869.45	64,384.14

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

	चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20	(₹ लाख में)
अनुसूची 3 : चालू देयताएं और प्रावधान			
क. चालू देयताएं			
1. विविध ऋणदाता	136.48	619.72	
2. प्रतिदेय वेतन	83.78	86.02	
3. स्टाफ को देय अन्य राशि			
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	8.10	6.21	
3.2 चिकित्सा खर्च देय	0.05	15.25	
3.3 विशेष नगद पैकेज देय	1.40		
4. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग / टैरिफ फीस)			
4.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	112.94	153.41	
4.2 अपेक्षित और/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	228.56	141.02	
4.3 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 20-21	-	33.68	
4.4 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 21-22	36.41	33.41	
4.5 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 22-23	34.81	31.81	
4.6 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 23-24	31.57	30.37	
4.7 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष – 21-22	8.45	8.45	
5. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान:			
5.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	0.08	0.08	
5.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	0.09	0.09	
5.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	7.33	7.56	
5.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	3.15	13.33	
5.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	12.57	25.86	
5.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	22.03	4.34	
5.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	0.01	0.01	
5.8 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	0.10	-	
5.9 एनपीएस समरूप अंशदान	0.41	0.44	
6. अन्य चालू देयताएं			
6.1 जुर्माना	611.77	571.32	
6.2 प्रतिभूति जमा	37.29	30.76	
6.3 अन्य वसूलियां	0.01	-	
6.4 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-	
6.5 स्रोत पर कर कटौती	13.58	8.72	
कुल (क)	1,390.97	1,821.86	
7. प्रावधान			
7.1 छुट्टी नकदीकरण	180.73	335.63	
7.2 ग्रेच्युटी	190.96	267.60	

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

8. अन्य (विविरित करें)		
8.1 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क	8.84	11.59
8.2 अन्य	4.46	6.58
कुल (ख)	384.99	621.40
9. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)	94,786.86	91,065.76
कुल योग (क+ख+ग)	96,562.82	93,509.02

हस्ता / –
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 4 – नियत आर्थिकां (सहायता अनुदान)

(₹ लाख में)

	सकल खंड		मूल्यांकन				निवल खंड		हस्ता / – (सनोज कुमार शा) एकीकृत वित्तीय सलाहकार सचिव
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़ करतौती	वर्ष की समाप्ति में आरंभ के लागत	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल रुप में	वर्तमान वर्ष के रुप में	
क. मूर्त आर्थिकां:									
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण फर्मचर और किटिंग्स मशीनरी और उपकरण विद्युत संसाधन एवं उपकरण कंप्यूटर / बाह्य उपकरण प्रस्तकालय पुस्तकें	297.94	-	297.94	260.90	7.71	-	268.61	29.33	37.04
	393.69	1.80	391.89	363.01	5.49	1.71	366.79	25.10	30.68
	334.03	25.69	308.34	297.97	7.52	24.41	281.08	27.26	36.06
	78.88	4.58	74.30	59.09	5.06	4.35	59.80	14.50	19.79
	250.89	57.69	193.20	238.06	1.72	55.86	183.92	9.28	12.83
	5.68	-	5.68	5.68	-		5.68	-	-
ख. अमूर्त आर्थिकां:									
गोपनीयता	14.01	-	14.01	8.82	2.67	-	11.49	2.52	5.19
कुल	1,375.12	-	89.76	1,285.36	1,233.53	30.17	86.33	1,177.37	107.99
कुल योग	1,375.12	-	89.76	1,285.36	1,233.53	30.17	86.33	1,177.37	107.99
पूर्ववर्ती वर्ष	1,383.68	-	8.56	1,375.12	1,193.85	47.74	-	8.06	1,233.53
									141.59
									189.83

हस्ता / –
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार



वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

निवास	सकल छंड			मूल्यहास			निवल छंड	
	वर्ष के आंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष की समाप्ति लागत	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल पर	वर्ष की वर्ष समाप्ति तक कुल रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियाः								
फर्नीचर और फिटिंग्स	4.63	3.40	-	8.03	1.53	1.67	0.12	-
सथानी और उपकरण	5.40	4.48	1.30	8.58	3.20	0.25	2.51	-
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	2.93	1.58	-	4.51	1.07	0.48	0.21	-
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	57.36	5.60	-	62.96	36.55	12.70	1.75	-
ख. अमर्त आस्तियाः								
स्पष्टवेयर	2.26	62.57	-	64.83	1.08	0.72	20.16	-
कुल	72.58	77.63	1.30	148.91	43.43	15.82	24.75	-
कुल योग	72.58	77.63	1.30	148.91	43.43	15.82	24.75	-
पूर्ववर्ती वर्ष		26.62	45.96	-	72.58	11.30	7.13	25.00
							-	43.43
							-	29.15
							-	15.32
हस्ता /— (राजीव पुष्करण) एकीकृत वित्तीय सलाहकार								
(सनोज कुमार शा) सचिव								

अनुसंधानी 5 – प्रगति में पूँजी सकर्म

(₹ लाख में)

	सकल खंड		मूल्यहास		निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष की आरंभ के रूप में लागत	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्षमान वर्ष के रूप में
विवरण						
क. मूर्त आस्तियाः						
निर्माणाधीन भूमि एवं भवन	-	5,828.5।	-	5,828.5।	-	- 5,828.5। -
ख. अमर्त आस्तियाः	29.69	-	27.80	1.89	-	- 1.89 29.69
निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर						
कुल	29.69	5,828.5।	27.80	5,830.40	-	- 5,830.40 29.69
कुल योग	29.69	5,828.5।	27.80	5,830.40	-	- 5,830.40 29.69
पूर्ववर्ती वर्ष	12.08	17.6।	-	29.69	-	- 29.69 12.08

हस्ता /—
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

अनुसूची 6 : अग्रिम		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	उत्सव के लिए अग्रिम	0.30	-
2	अन्य अग्रिम		
	- छुट्ठी यात्रा रियायत अग्रिम	0.75	0.88
	- विदेश यात्रा अग्रिम	-	1.87
	- चिकित्सा अग्रिम	-	0.09
	कुल	1.05	2.84

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 7 : जमा — प्रतिभूति जमा		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	प्रतिभूति जमा — ब्रॉडबैंड	0.02	0.02
2	प्रतिभूति जमा — एमटीएनएल	0.90	0.90
3	प्रतिभूति जमा — एनडीएमसी	500.88	500.88
4	प्रतिभूति जमा — पेट्रोल और स्नेहक	0.40	0.40
5	प्रतिभूति जमा — कर्मचारियों के लिए पट्टा	1.88	3.28
6	प्रतिभूति जमा — सी—डैक	1.00	1.00
	कुल	505.08	506.48

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 8 : ऋण तथा अग्रिम		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	स्टाफ	52.70	63.09
2	अन्य	-	8.09
	कुल	52.70	71.18

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

(₹ लाख में)		
	चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
अनुसूची 9 : विविध देनदार		
प्राप्य शुल्क घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	40.79 -	40.00
कुल	40.79	40.00

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

(₹ लाख में)		
	चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
अनुसूची 10 : नगद तथा बैंक शेष		
अनुसूचित बैंक के साथ बैंक शेष		
चालू खाते में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीस्पीप सहित)	4,049.50	2,826.04
बचत खाते में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीस्पीप सहित)	73.52	0.16
चालू खाते में (आवर्ती जमा) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीस्पीप सहित)	93,862.52	89,140.79
दीर्घकालिक एफडीआर में (मुकदमेबाजी के अधीन प्राप्त जुर्माने के लिए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	551.10	551.10
कुल	98,536.64	92,518.09

हस्ता /—
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

		(₹ लाख में)	
		चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
अनुसूची 11 : अन्य चालू आस्तियाँ			
1 चालू आस्तियाँ			
केविविआ निधि खाता (भारत काका लोक खाता)	64,350.03	62,632.03	
2 नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियाँ या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए			
2.1 पूर्वदत्त खर्च	50.70	79.92	
2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	-	1.05	
3 आय प्रोद्दृत परंतु देय नहीं			
3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	2.70	29.80	
3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	60.67	20.21	
3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	924.34	1,924.97	
3.4 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	9.37	4.83	
4 वस्तुसूची	2.89	2.92	
कुल	65,400.70	64,695.73	

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

		(₹ लाख में)	
		चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
अनुसूची 12 : विद्युत मंत्रालय से अनुदान			
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	-	-	-
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	-	-	-
वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल रकम	-	-	-
घटाएँ: केविविआ निधि को वापस अंतरित नकदी आधार पर बचत / अव्ययित रकम	-	-	-
कुल	-	-	-

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुसूची 13 : शुल्क से आय		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	फाइलिंग शुल्क / टैरिफ शुल्क	8,708.44	9,793.96
2	अनुज्ञाप्ति शुल्क	5,240.57	5,981.09
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	58.00	58.00
4	विविध शुल्क	82.55	99.64
	कुल	14,089.56	15,932.69

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 14 : ब्याज आय		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	4.88	3.86
2	बैंक में नकद पर ब्याज	471.02	627.12
	कुल	475.90	630.98

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 15 : अन्य आय		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	0.27	0.30
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	-	0.06
3	आरटीआई शुल्क	-	-
4	विविध प्राप्तियां	0.34	0.51
5	अखबार की बिक्री	-	0.03
	कुल	0.61	0.90

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2020-21

अनुसूची 16 : अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
I	पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में प्राप्त शुल्क / प्राप्तों का समायोजन	-	-
	कुल	-	-

हस्ता/-
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 17 : स्थापना व्यय		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
I	<u>वेतन एवं मजदूरी:</u>		
1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	658.63	693.42
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	116.60	105.92
1.3	भत्ते तथा बोनस	272.12	281.07
1.4	भविष्य निधि में अंशदान	97.68	103.78
2	<u>अन्य निधियों में अंशदान:</u>		
2.1	उपदान अंशदान	3.25	2.54
2.2	पेंशन अंशदान	11.16	8.67
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	20.80	16.87
2.4	उपदान के लिए प्रावधान	2.09	8.65
2.5	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	(60.47)	58.28
3	<u>कर्मचारी कल्याण खर्च</u>		
3.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	44.18	60.07
3.2	अन्य	33.12	35.81
4	<u>अन्य (विनिर्दिष्ट):</u>		
4.1	टदूशन फीस/ बाल शिक्षा भत्ता	8.10	6.75
4.2	छुट्टी यात्रा रियायत	16.71	8.19
4.3	छुट्टी नकदीकरण	0.31	1.79
	कुल	1,224.28	1,391.81

हस्ता/-
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

अनुसूची 18 : यात्रा खर्च		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	स्वदेश यात्रा खर्च अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी स्टाफ	5.01	34.12 0.12
2	विदेश यात्रा खर्च अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी स्टाफ	-	23.98 -
	कुल	5.01	58.22

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

अनुसूची 19 : अन्य प्रशासनिक खर्च		चालू वर्ष 2020-21	(₹ लाख में) पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च	592.67	542.23
2	विद्युत एवं ऊर्जा	46.89	57.41
3	जल प्रभार	7.09	4.81
4	किराया दरें एवं कर	2,257.17	2,024.16
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	21.47	27.40
6	वाहन	0.24	0.35
7	अभिदाय खर्च	92.59	100.40
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	38.62	115.14
9	<u>अन्य (विनिर्दिष्ट करें):</u>		
9.1	पुस्तके एवं आवधिक पत्रिकाएं	13.31	18.04
9.2	विविध खर्च	2.44	2.33
9.3	टैक्सी/ पढ़े पर कार को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	62.85	72.06
9.4	सूचना प्रणाली—अनुज्ञाप्ति शुल्क इत्यादि	19.78	38.00
9.5	प्रशिक्षण खर्च	-	3.70
9.6	उपभोग्य वस्तुएं	10.55	6.83
9.7	बैंडविड्थ प्रभार	4.94	4.95
9.8	विनियम का कर्मेंडियम (आंतरिक उपयोग)	0.03	0.10
	कुल	3,170.64	3,017.91

हस्ता / –
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-21

		(₹ लाख में)	
अनुसूची 20 : मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2020-21	चालू वर्ष 2019-20
1	कंप्यूटर	15.57	9.81
2	भवन	14.25	13.52
3	अन्य	1.94	5.79
4	यूपीएस	0.56	0.82
5	एयरकंडीशनर्स	24.15	17.23
	कुल	56.47	47.17

हस्ता /—
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन कर्वेशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कर्वेशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियाँ

नियत आस्तियाँ आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती है। स्वयं की निधियों से निर्मित नियत आस्तियों की तुलना में अनुदान से निर्मित नियत आस्तियाँ अलग से प्रदर्शित की जाती हैं।

3. मूल्यह्रास

- i. नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—।। में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।
- ii. वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास और 30 सितम्बर के पश्चात् अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई / हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यह्रास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई / हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।
- iii. 5000/- रुपए या उससे कम के मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

सॉफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या सॉफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो, जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संचयवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। वर्ष 2018–19 से, केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य रकमों को ‘प्रोद्भवन आधार’ पर आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। जुर्मानों की प्राप्त अविवादित रकम को विद्युत मंत्रालय को अंतरित किया जाता है तथा जुर्मानों की प्राप्त विवादित रकम को चालू देयताओं के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

- i- सरकारी अनुदान / सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।
- ii- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यहास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूँजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक- 11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

- (i) कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक-15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन / ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।
- (ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक और बाह्य चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसका लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर रखा जा रहा है।

10. माल सूची

विनियमों का सार संग्रह आंतरिक एवं सरकारी तथा सरकारी कंपनियों व प्राइवेट पार्टियों को निर्धारित कीमत पर प्रयोग के लिए मुद्रित किया जाता है। वर्ष 2016-17 से, वर्ष के अंत में विनियमों के सार संग्रह की सूची कम लागत या उसकी बाजार कीमत पर परिगणित है।

हस्ता/-
(राजीव पुष्करणा)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
(सनोज कुमार झा)
सचिव



31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – आकस्मिक देयताओं और लेखों पर टिप्पणी

1. केविविआ निधि

- i. केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज़ करने की मांग करेगा।
- ii. भारत के लोक खाता के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर-व्ययगत और गैर-व्याज वहन खाता होगा। विद्युत मंत्रालय ने ‘अनुदान सहायता’ के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई केविविआ निधि से रिलीज़ राशि को मान लिया। वर्ष 2015–16 से 2017–18, केविविआ का समग्र व्यय प्रोद्भवन आधार पर केविविआ निधि से रिलीज़ ‘अनुदान सहायता’ से किया गया। वर्ष 2018–19 से, वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय में निर्णय / विचार–विमर्श तथा परिवर्तित लेखा नीति के अनुसार, केविविआ ने वार्षिक व्यय तथा चालू पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा करना आरंभ किया है। प्रस्ताव अगले आवश्यक अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।
- iii. वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 1718 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 9974 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ शून्य की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ शून्य) रिलीज़ की जो केविविआ निधि (भारत को लोक खाता) में 31 मार्च, 2021 को ₹ 64350 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 62632 लाख) का शेष रखते हुए केविविआ स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए थे।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं

- i. विकास के अधीन भूमि एवं भवन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को ₹ 27472 लाख की पूँजीगत प्रतिबद्धताएं थीं।

भवन की खरीद के लिए अग्रिम

केविविआ ने कार्यालय के लिए जगह की आवश्यकता को पूरा करने हेतु वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्रीहोल्ड आधार पर 54,494 वर्ग फुट वाले कार्पेट क्षेत्र (74,788 वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप क्षेत्र) के कार्यालय की जगह की खरीद हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (क्रियान्वयन एजेंसी – एनबीसीसी के

माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। चूंकि परियोजना विचाराधीन है, इसलिए एनबीसीसी को दिया गया अग्रिम, कार्यशील पूँजी के अधीन “भवन की खरीद के लिए अग्रिम” के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

- ii. नवीन कार्यस्थल का संस्थापन ₹ 26 लाख

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि ₹ 4.57 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 7.86 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

- i. विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित आस्तियां मूल्यहासित हैं एवं पूँजी रिजर्व में तदनुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष असंगति आय के रूप में परिणित की गई है।
- ii. आस्तियों का भौतिक सत्यापन जून, 21 में किया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने के अंतर्गत है। भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण असंगति नहीं पाई गई। समायोजन, यदि कोई हो, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

5. चालू देयताएं

- i. पावर एक्सचेंजों में गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की व्यापार कीमत के संबंध में एक विवाद के समाधान को लंबित करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ₹ 500 प्रति गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की राशि केविविआ में जमा की जाए। मामले के निपटान पर, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, ₹ शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 2188 लाख) की प्राप्त राशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा गया। ₹ 3721 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 5396 लाख) की ब्याज की राशि सहित ₹ 94787 लाख की कुल प्राप्त राशि को ‘चालू देयता’ में अनुरूप राशि के साथ ‘चालू आस्ति’ में लेखाबद्ध किया गया है।
- ii. 31 मार्च, 2021 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1782 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1782 लाख) की थी जिसमें ₹ 1288 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1288 लाख) विभिन्न न्यायालयों में पार्टियों द्वारा विवादित रही और अनुदत्त स्थगन के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। ₹ 494 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 494 लाख) की शेष रकम केविविआ में प्राप्त की गई। प्राप्त रकम से, ₹ 355 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 357 लाख) विभिन्न न्यायालयों में विवादित रही और चालू देयताओं के रूप में प्रकट की गई है। प्राप्त परंतु विविदित रकम बैंक में अल्पकालिक नियत जमा के अधीन रखी गई है और केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई) जमा की जाएगी या न्यायालय मामलों के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला हो, पार्टी को वापस की जाएगी। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से है। भारत के



नियंत्रक एवं महापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादित दंड की रकम से की गई नियत जमा पर ‘प्राप्त’ और ‘उपचितलेकिन प्राप्त नहीं’ व्याज अन्य चालू देयताओं के अधीन परिगणित किया गया है। इस कारण से आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।

- iii. केविविआ के स्थाई कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर क्रमशः ₹ 181 लाख और ₹ 191 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 336 लाख तथा ₹ 268 लाख) की व्यवस्था की गई है।
- iv. मार्च, 2019 में एनडीएमसी से प्राप्त पट्टा करार मसौदे में शून्य प्रतिभूति जमा का ध्यान रखा गया है। इस पट्टा करार पर हस्ताक्षर को लंबित रखते हुए, एनडीएमसी के साथ प्रतिभूति जमा के समायोजन को आरंभ नहीं किया गया है।
- v. तृतीय एवं चतुर्थ तल पर 942 वर्ग फुट क्षेत्र के संबंध में किराए के कारण ₹ 406 लाख की देयता का व्यवस्थापन (अधिभार को छोड़कर) एनडीएमसी के साथ किया जा चुका है।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

- i. प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां, ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।
- ii. वर्ष 2010–11 के दौरान, ₹ 16,91,875 /— के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त करा दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 28 जून, 2021 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. आय एवं व्यय लेखा

वर्ष 2017–18 तक, समग्र फीस एवं प्राप्तियां केविविआ निधि में अंतरित की गई थीं तथा व्यय को सहायता अनुदान में से किया गया था। आय को प्रोटभूत आधार पर अनुदान की राशि तक स्वीकृत किया गया था। केविविआ द्वारा केवल अधिशेष निधियों को भारत के लोक खाता में जमा करने की अनुमति के मामले को भारत सरकार तक ले जाया गया है। वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के निर्णय / विचार–विमर्श के अनुसार,

केविविआ द्वारा उसके वार्षिक व्यय तथा चालू पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद केवल अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है। संशोधित लेखा नीति के अनुसार, केविविआ के लिए समग्र फीस तथा अन्य उपार्जित आय को आय तथा अधिशेष के रूप में लेखाबद्ध कर केविवि�आ निधि में अंतरित किया गया है।

9. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ / ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

10. मालसूची

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श अनुसार वर्ष 2016-17 से विनियमों के सार-संग्रह के स्टॉक को माल सूची के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

11. अनुसूची 1 से 22 को 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता / –
(राजीव पुष्करण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
(सनोज कुमार झा)
सचिव



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां			पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20	भुगतान चालू वर्ष 2020-21	भुगतान चालू वर्ष 2020-21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)				
1. आरंभिक शेष के लिए				1. भव्या द्वारा		
(क) बैंक शेष				(क) स्थापना खर्च		
(i) चालू खातों में यूनियन बैंक और इंडिया (ऑटोस्ट्रीप सहित)	2,826.04	1,108.73		(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य) (ii) वेतन (अधिकारी एवं स्थापना) (iii) भते एवं बोनस (iv) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	108.14 665.79 274.54 480.67	109.92 708.38 282.75 381.97
(ii) बचत खाते: यूनियन बैंक और इंडिया (ऑटोस्ट्रीप सहित)	0.16	0.15		(v) हुट्टी नकदीकरण	94.73	38.21
यूनियन बैंक और इंडिया – आवर्ती जमा (ऑटोस्ट्रीप सहित)	89,140.79	82,986.53		(vi) यात्रा खर्च	–	–
(iii) सारणि जमा	551.10	498.27		(i) विदेश यात्रा (ii) स्वदेश यात्रा	4.32	43.33
(ख) हाथ में नकदी	–	–		(ग) विकिस्ता तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएँ	59.29	50.88
2. प्राप्त अनुदान				(घ) अन्य स्थापना प्रभार	–	–
(i) व्याज प्राप्ति	481.54	604.29		(i) दृश्यन फीस / बाल शिक्षा भता (ii) हुट्टी यात्रा वियाहत	6.21 14.75	9.45 7.34
– ऑटो स्ट्रीप जमा पर व्याज	16.57	0.72		(ii) भविष्य निधि में अंशदान	91.42	93.97
– बचत खातों से व्याज	–	–		(iii) सीपीएफ मैट्रिक अंशदान	1.29	1.65
– पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा व्याज	–	–		(iv) एनपीएस मैट्रिक अंशदान	6.38	4.88
– कार ऋण पर व्याज	–	–		(v) स्टाफ कल्याण खर्च	32.82	38.24
3. आयोग की प्राप्ति के लिए				2. प्रशासनिक खर्च द्वारा		
(i) व्याज प्राप्ति	0.26	0.06		(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च	588.92	538.77
– ऑटो स्ट्रीप जमा पर व्याज	0.06	0.02		(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	43.53	60.14
– बचत खातों से व्याज	–	–		(ग) जल प्रभार	5.76	4.90
– कंप्यूटर अग्रिम पर व्याज	–	–		(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	3.15	5.73
– मोटर साईकिल अग्रिम पर व्याज	–	–		जारी...		

		(₹ लाखों में)	
(ii) कर्मचारियम की विकी	—	0.10	(इ) किरायाए दर तथा कर (ब) वाहन बलन एवं रखरखाव
(iii) अखबरों की विकी	—	0.03	(i) टेस्टी भाड़े पर लेने का खर्च (ii) बालन तथा रखरखाव
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार	—	(छ) डाक-व्यय, ऐलिफोन तथा संपर्यगना प्रभार	12.14 20.39
— फाइलिंग फीस	830.50	(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी	19.09
— अनुज्ञाति फीस	5,237.66	(झ) यात्रा तथा वाहन	0.24
— टैक्स फीस	7,842.28	(ञ) संगोष्ठी / बैठकों पर खर्च	7.23
— वार्षिक पंजीकरण फीस	58.00	(ट) अधिदान खर्च	83.06
— जुर्माना	—	(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक / विधिक फीस	6.86
— अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	120.56	(ड) विज्ञापन तथा प्रचार	42.70
— अतिरिक्त प्राप्त फीस	10.00	(इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	—
— आरटीआई फीस	—	— एम्सी ईपीएपीएक्स	0.64
(v) विविध प्राप्तियां	—	— एम्सी फोटोकॉपी मशीन	0.42
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए	10.70	— एम्सी एयरकंडीशनर	5.17
(क) रस्ताक से अधिमों की वसूली	16.65	— एम्सी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	26.03
(i) मोटर कार/ निजी कंप्यूटर अधिम	0.32	— एम्सी यूपीएस	9.30
(ii) स्कूटर/मोटर साईकिल अधिम	—	— एम्सी विद्युत	1.28
(iii) विशेष उत्तरव अधिम	0.10	— एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	5.85
(iii) अन्य अधिम (विनिर्दिष्ट करें)	—	— एयरकंडीशनर अप्रिकाएं	13.24
(क्ष) अधिम की वसूली	0.30	— बैंडविड्थ प्रभार	3.84
(i) प्रदायकर्ताओं को अधिम	—	— भवन मरम्मत तथा रखरखाव	7.97
		— उपभोग्य	9.53
		— अग्रदाय	0.49
		— कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	4.24
		— सूचना प्राप्ती – सॉफ्टवेयर का रखरखाव	3.80
		— विविध खर्च	2.31
		— प्रशिक्षण खर्च	—
		— पूर्व अवधि व्यय	33.69
		—	—

जारी...



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
Central Electricity Regulatory Commission

(₹ लाखों में)							
,ग) अन्य जमा	0.40	7.73	3.	किए गए निषेध			
(i) प्रतिशूलि जमा				(क) प्रतिशूलि जमा			
5. विषेषण प्राप्तियों के लिए				4. (II) स्टाफ को अधिक द्वारा			
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	5.13	3.28		(क) अन्य अधिक (खर्च)			
(ख) अनुज्ञापि फीस	1.84	1.74		(ख) एफटीई अधिक			
(ग) आयकर (वेतन / गैर-वेतन)	240.69	247.86		(ग) छुट्टी यात्रा रियायत अधिक			
(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	0.15	0.22		(घ) चिकित्सा अधिक			
(ङ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बैमा योजना (सीजीईजीआईएस)	0.09	0.12		(ङ) विशेष उत्तरव अधिक			
(च) अन्य प्राप्तियाँ	21.46	15.10		(III) आकस्मिक अप्रियों द्वारा			
— ईपीएफ / जीएसएलआई वसूली				(क) प्रदायकर्ताओं को अधिक			
— सीपीएफ भैरंगा अंशदान / ईपीएफ / जीएसएलआई / जीपीएफ / एनपीएस	125.59	117.11		(क) प्रतिशूलि निषेप प्रतिदाय			
— एफटीई वसूली	—	0.89		(IV) अन्य द्वारा			
— एलटीसी वसूली	0.88	0.12		(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ / सीपीएफ / ईपीएफ आदि की वसूली			
— एचबीए वसूली	10.36	9.66		— विप्रेषित जीपीएफ वसूली			
— अनुज्ञापि फीस की वसूली (आवास लीलीज)	0.34	0.44		— विप्रेषित ईपीएफ वसूली (केविविआ कर्मचारी स्वैच्छिक)			
— प्राप्त उपदान	0.60	15.99		— विप्रेषित ईपीएफ (स्वैच्छिक) वसूली			
— छुट्टी वेतन अंशदान	2.44	3.11		(ख) अनुज्ञापि फीस			
— पीएम केयर निधि	2.18	—		(ग) आयकर (वेतन / गैर-वेतन)			
6. सुधीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरइसी जमा				(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)			
— प्राप्ति	—	2,187.95		(ङ) सीजीईजीआईएस / सीईईआईएस			
— पतेलसी जमा पर व्याज	4,721.73	3,966.31		— जारी...			
7. अन्य प्राप्तियों के लिए							
— आस्तियों की विक्री	3.30	0.50					
— चिकित्सा अधिक की धन वापरसी	—	0.48					

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2020-21

		(₹ लाखों में)	
		(क) भवन निर्माण आगम अन्य वसूलियां	—
		(छ) पीएम केयर निधि	5.13
		(ज) पेंशन	2.18
5.	<u>अंशदानों द्वारा</u>	(क) छुट्टी वेतन	11.92
		(ख) उपदान	26.40
6.	<u>नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा</u>	(क) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	83.39
		(ख) मशीनरी एवं उपकरण	1.47
		(ग) भूमि एवं भवन	11.51
		(घ) अमर्त आस्तियां	5,828.51
7.	<u>अन्य द्वारा</u>	(क) फीस वापसी	36.49
8.	<u>केनियिआ निधि को अंतरित निधियाँ भारतीय लोक लेखा)</u>	(क) फीस वापसी	—
9.	<u>हाथ में नकदी</u>	(क) अंतिम शेष द्वारा	—
10.	<u>अंतिम शेष द्वारा</u>	(i) <u>बालू खातों में:</u> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीस्वीप सहित) (ii) <u>बवत खातों में:</u> यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीस्वीप सहित) रुनियन बैंक ऑफ इंडिया आवर्ति जमा (ऑटो स्वीप सहित) (iii) <u>सावधि जमा</u>	—
		1,12,264.61	1,07,943.19
			1,12,264.61
			1,07,943.19

हस्ता /—
(राजीव पुष्कराण)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार


हस्ता /—
(सनोज कुमार झा)
सचिव



अनुबन्ध-XIII

संगठन चार्ट

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
(३१ मार्च, २०२१ के अनुसार)





केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन : +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in